ISSN 2454-504X | 16-31 मार्च, 2025 | राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका | RNI No. DELHIN/2002/08663 | ₹ 15

दूसरा मत

दूसरा मत कामयाबी के 22 साल

www.doosramat.com | YOUTUBE DOOSRA MAT | जहां सच बोलते हैं शब्द

किसी को रंग से दिक्कत है तो घर में रहें- अनुज चौधरी, सीओ- संभल

इतना 'रंग' में आपका सीओ

Affiliation No. 330342

Estd. - 2005

ST. PAUL
SR. SECONDARY SCHOOL

Affiliated to C.B.S.E., Delhi

LKG to STD. XII English Medium

Admission Is Going On

2025-2026

Class: LKG to IXth, XIth

Bahdarpur, NH-31, Begusarai,

7488907005, 8405000606, 8405000604

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी

Dr. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY

Morabadi Ranchi- 834008

- Dr. Shyama Prasad Mukherjee University is the only College which has Senior Division (Boys), Senior Wing (Girls) in Army and Boys Air wing.
- Fourteen (14) Cadets attended Republic Day Camp, New Delhi and among them two cadets were declared Best Cadet in 2004 & 2005 in Bihar and Jharkhand Directorate.
- Two cadets attend All India Para jumping camp held at Para Training School Agra and declared having excellent grading.
- 28 cadets attended National Integration Camp held at Mumbai, Rajasthan, New Delhi, Nagaland and Port Blair.
- One cadet attended Indian Military Academy attachment camp held at Dehradoon and declared Best Cadet in all over the country.
- Three cadets attended All India Basic / Advanced courses in mountaineering expedition held at Uttarkashi & Manali.
- More than 50 cadets of NCC of this college joined Army and Air Force in different army units of our country.
- Two cadets selected for “Thal Sainik” Camp held at New Delhi.
- Two cadets visited foreign countries under Youth Exchange Program of NCC.
- Jharkhand Police Force went on strike paralyzing total traffic of Ranchi City. Seventy (70) NCC cadets of Dr. Shyama Prasad Mukherjee University take over the charge of Traffic control of Ranchi city winning laurels from the Public, DGP and District Administration. On this occasion 12 (Twelve) cadets received Silver Medal by local MLA C.P. Singh.
- Dr. Shyama Prasad Mukherjee University family took out a silent procession with NCC cadets of the college against regular Band and Chakka Jam in Ranchi after the creation of Jharkhand.
- Dr. Shyama Prasad Mukherjee University is the first college in the country to take out a Vijay Diwas procession of the students, Teachers and Non-teaching staff of the college along with Ncc cadets of the college after the Kargil War.
- Creation of a Task Force of NCC Cadets for “DISASTER Management”.

Prof. (Dr.) Tapan Kumar Shandilya

Vice-Chancellor

दूसरा मत
जहां सच बोलते हैं शब्द

RNI No. DELHIN/2002/08663

वर्ष: 24, अंक: 06
16-31 मार्च, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

संपादकीय सलाहकार
मन्त्रेश्वर झा (IAS R.)
(पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार)

प्रमुख परामर्शी एवं प्रमुख क़ानूनी सलाहकार
न्यायमूर्ति राजेन्द्र प्रसाद
(अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय)

प्रमुख सलाहकार
जियालाल आर्य (IAS R.)
(पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व चुनाव आयुक्त बिहार)

ब्यूरो प्रमुख
रुफी शमा

राजनीतिक संपादक
देवेंद्र कुमार प्रभात

बेगूसराय ब्यूरोचीफ सह ब्यूरो बिहार
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: doosramat@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आज़ाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं शालीमार ऑफसेट प्रेस, 2622, कूचा चेलान, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित।
संपादक-ए आर आज़ाद

पत्रिका में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। पत्रिका में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी।
सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा।
**उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

प्रसंगवश 36
साहित्यिक महोत्सव

जायज़ा 24
न्यायपालिका में पारदर्शिता की ओर

ग़ौरतलब 16
न रूस जीता न यूक्रेन हारा

दृष्टिकोण 06
पर्यावरण से विकास की संभावनाएं

हस्तक्षेप 44
एआई की बढ़ती क्षमता

प्रसंग 16
हिंदी-विरोध का नया दौर

दृष्टिपथ 10
केजरीवाल और सीएजी रिपोर्ट

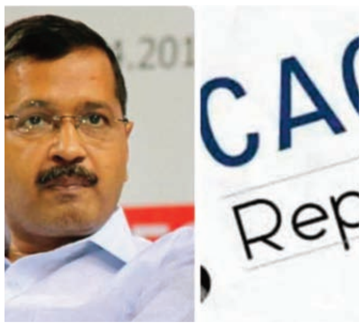

विचार: हिंदुत्व की अवधारणा 18
मुद्दा: होली-रमज़ान, रंग-नमाज़-अज़ान 20
बेबाक: दोषी नेताओं पर प्रतिबंध के... 28
सवाल: चुनाव पूर्वानुमान का समाधान 34
पड़ताल: महिलाओं के समावेशन की... 40
सेहत: बकला सेहत का पावर हाउस 63
कहानी: 'हूक' चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 64

योगी जी रंग को लेकर इतना 'रंग' में आपका सीओ

किसी को रंग से दिक्कत है तो घर में रहें- अनुज चौधरी, सीओ- संभल

प्रकृति यानी क़ुदरत इंसान को इंसान बनाने की तड़प लेकर कई बार सामने आ जाती है। और इंसान को इंसान से जोड़ने की इसी तड़प को लेकर प्रकृति ने हमारी चौखट पर फिर दस्तक दी। लेकिन हम तो बात-बात में लड़ने और आपसी भाईचारे की दीवार को नफ़रत के सहारे गिराने के आदी हो चुके हैं। और प्रकृति ने जो हमें अनमोल तोहफ़ा दिया था- रमज़ान और होली का, उसे भी नफ़रत की भेंट चढ़ाने में कहां चूकें? हमारी मानसिकता में दूसरों के लिए इतना द्वेष क्यों है? यह एक यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार और सत्ता में बैठे रहनुमाओं से चाहिए। क्योंकि हमारा समाज तो सौहार्द की मिठास से लबरेज़ है। उसमें मुहब्बत और अपनापन का रस गन्ना की तरह है। लेकिन सत्ता पर क़ाबिज़ होने वाले और सत्तासीन बनने की चाह रखने वाले कुछ नेता इस गन्ने की मिठास में नफ़रत डालकर ज़हरीला बनाने में माहिर होते चले जा रहे हैं।

भारत की व्यवस्था ही सांप्रदायिक सौहार्द की रही है। बात-बात में सौहार्द बिगाड़ने की रीति बनाकर उसे एक रणनीति के तहत समाज को विषैला करने का इस तरह का प्रयत्न भारत की अस्मिता को दाग़दार करने जैसा ही है। हर बात के लिए देश का अल्पसंख्यक कैसे ज़िम्मेदार हो सकता है? एक ज़िले के सीओ की इतनी औक़ात कैसे हो सकती है कि वह किसी संवेदनशील मसले पर एक मूर्ख शासक की तरह तुग़लकी फ़रमान जारी कर दे? एक सीओ का यह काम नहीं है कि वह किसी संप्रदाय विशेष को धिक्कारे या किसी संप्रदाय विशेष की वकालत करे। उसे वकील बनना था, तो सीओ बनने की क्या ज़रूरत थी? उसे संघी चोला पहन लेना चाहिए था। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो जाना चाहिए था। और आग उगल कर व नफ़रत फैलाकर जल्दी तरक़्क़ी पानी थी, तो बीजेपी का दामन थामकर अल्पसंख्यकों के लहू से पार्टी को सींचना चाहिए था। इसका ईनाम भी चाहत से कुछ ज़्यादा मिलता। और एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर मंत्री बना दिया जाता। लेकिन एक डरी और सहमी हुई क़ौम को डराकर और नमाज़ जैसी पुज्य परंपरा पर उपदेश देकर उस सीओ ने न्याय की बलि चढ़ा दी है। और अदालत को धत्ता बताकर यह साबित कर दिया है कि अब अदालत की इस देश को ज़रूरत ही नहीं है। देश की अदालत सरकार के इशारे पर नाचने को मजबूर है। उसके पास अब अपनी कोई दृष्टि नहीं रह गई है। वह भी राजनेताओं के चंगुल में छटपटा रही है। या फिर इस स्थिति में भी वह ख़ुद को सुखद महसूस कर रही है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हर तरफ़ जंगलराज हो जाए, तो अदालत को संज्ञान तो लेना ही चाहिए। अदालत को एक गाइड लाइन सरकार को देनी चाहिए थी कि होली भी मने, और रमज़ान के जुमे की नमाज़ भी अदा हो जाए।

ए आर आज़ाद

उस सीओ को इतना पता होना चाहिए कि नमाज़ में हुड़दंग नहीं होती है। हुड़दंग होली में होती है। शराब पीकर मुसलमान नमा्ज नहीं पढ़ते हैं। शराब पीकर होली खेली जाती है। इसलिए होली में ग़ैरशालीनता, अश्लीलता और फ़ुहड़ता पर विराम देना प्रशासन का काम है। लेकिन प्रशासन जब ख़ुद ही जनमानस को उकसाए और एक इशारा दे कि तुम नमाज़ के रंग में भंग डालो तो फिर शिकायत किससे की जा सकती है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसे सीओ की वकालत करेंगे। योगी को तो फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और उन्हें इसकी सज़ा देनी चाहिए थी। कम से कम डांट तो ज़रूर पिलानी चाहिए थी। लेकिन योगी ने ऐसे अफ़सरों की हिमायत करके जता और बता दिया है कि दरअसल उनकी मंशा ही मुसलमान को लेकर सही नहीं है। एक शासक को देश और सूबे को मद्देनज़र रखते हुए शासन करना चाहिए। योगी अगर इसी तरह हिन्दू-मुसलमान की आड़ में अपने एजेंडे को फलीभुत करने का यत्न करते रहें, तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता वोट से उनपर चोट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। योगी जी को समझना होगा कि शासक में जो गुण होते हैं, वह महत्वपूर्ण होते हैं, अवगुण नहीं। योगी जी को चाहिए कि अच्छे शासक के गुणों को वे अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। लोकप्रिय नेता किसी एक धर्म विशेष का गुलाम नहीं होता है। योगी जी आपको भी नहीं होना चाहिए।

इस देश में होली और नमाज़ होती रही है। आपके आने से ही ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आपके रहते हुए जिस तरह का पाखंड हो रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ है।

यह देश सबका है। सियासत में घृणा की राजनीति को विराम देना होगा। हिन्दू और मुसलमान के बीच नफ़रत की खेती बंद करनी होगी। कोई भी शासक इस देश के अल्पसंख्यक को अपनी अंगुली पर नहीं नचा सकता है। सबके अपने-अपने कर्मकांड हैं। किसी के कर्मकांड को किसी भी शासक को नज़र अंदाज़ नहीं करना चाहिए। संविधान के हनन का किसी शासक-प्रशासक को कोई अधिकार नहीं है। देश का संविधान अजर अमर है। भारत की एकता और उस एकता में विविधता हमारी पहचान है। इस देश से गंगा जमुनी तहज़ीब और हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द कभी ख़त्म नहीं सकता है। इस देश का हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को अपना भाई और थाती समझता है। किसी तरह की नफ़रत से इस सौहार्द का बाल बांका नहीं हो सकता है।

देश का सभ्य और शांत माहौल आपसे अनुरोध करता है कि देश को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में आप अपना भी योगदान दें। और अपने प्रदेश के प्रशासन पर थोड़ी पैनी नज़र भी रखें। और ख़ुद भी न्याय के साथ इंसाफ़ करें। फिलहाल इतना ही आपसे गुज़ारिश है।

जय हिन्द! जय भारत!! ●

पर्यावरण समृद्धि से विकास की भरपूर संभावनाएं

▸▸सुनील कुमार महला
स्तंभकार

आज पूरी धरती की जलवायु व मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहें हैं।भारत में भी जलवायु परिवर्तन से मौसमी दशाओं में भी अनेक अभूतपूर्व व व्यापक तौर पर परिवर्तन हुए हैं। दरअसल,इसके पीछे कारण यह है कि आज विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण धरती का पूरा ऊर्जा संतुलन(एनर्जी बैलेंस) गड़बड़ा रहा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है। पाठकों को बताता चलूं कि जनवरी 2025 में दुनिया का तापमान औद्योगिक युग (1850-1900) से पहले के मुकाबले 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा, जो कि बहुत चिंतनीय है। वास्तव में, वर्ष 2025 ही नहीं, वर्ष 2024 भी सबसे गर्म वर्ष रहा था। जानकारी के अनुसार औसत वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो वर्ष 1991-2020 के औसत से 0.72 डिग्री अधिक था और वर्ष 2023 से 0.12 डिग्री अधिक रहा। जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन का प्रभाव निश्चित ही धरती के सभी जीव-जंतुओं और वनस्पतियों पर पड़ता है।कहना गलत नहीं होगा कि बदलते मौसम ने मानव की जीवनशैली को भी काफी हद तक प्रभावित किया है।केवल मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं, मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में भी खूब देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में भारी वर्षा, बादल फटने की घटनाएं, बाढ़, वनस्पतियों

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

का समय से पहले परिपक्व होना कहीं न कहीं जलवायु और मौसम दशाओं में परिवर्तन का ही प्रभाव है। कहना गलत नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतों में गर्मी एवं वर्षा दोनों की ही तीव्रता लगातार बढ़ रही है। पाठकों को बताता चलूं कि कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे कि गंगोत्री, पोंटिंग, मिलम, पिंडारी आदि उत्तरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्तराखंड राज्य पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां पर सैकड़ों नदियों का उद्गम स्थल है। हमारे देश की सबसे लंबी नदी तथा भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में ही है।काली नदी (उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी), भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, भिलंगना,काली, सरस्वती,गौला, कोसी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, सरयू,टोंस, नयार(पूर्वी), पिंडारी, धौलीगंगा, गोरी गंगा, काली गंगा,रामगंगा(पूर्वी नदी),और लाधिया आदि उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। नदियां ही नहीं, उत्तराखंड विभिन्न छोटे-बड़े ग्लेशियरों का भी गढ़ है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक हिमालय रीजन में 9,527 ग्लेशियर हैं। इनमें उत्तराखंड में करीब 3600 हैं। एक अन्य जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में करीब 1439 ग्लेशियर हैं जो कुल 4060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। विभिन्न श्रेणियों में विभाजित, राज्य के ग्लेशियर नंदा देवी समूह, धौलीगंगा समूह, कामेट समूह, गंगोत्री समूह, सतोपंथ समूह और बंदर पुंछ पर्वत समूह का हिस्सा हैं। वैसे तो उत्तराखंड में अनेक नदियां व ग्लेशियर स्थित हैं, लेकिन यहां 12-15 नदियां और एक दर्जन से अधिक प्रमुख ग्लेशियरों के साथ, उत्तराखंड भारत का एक बड़ा मीठे पानी का भंडार है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कई अध्ययनों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय तापमान वृद्धि दर्ज की है, और हाल की प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं जैसे कि ग्लेशियरों का पीछे हटना और ऊपर की ओर बढ़ती बर्फ रेखा, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की कमी, अनियमित वर्षा पैटर्न, अनियमित शीतकालीन वर्षा, फसल के मौसम में बढ़ोतरी, पौधों के पुष्पन व्यवहार में उतार-चढ़ाव, सेब और अन्य फसलों की खेती के क्षेत्रों का स्थानांतरण, सर्दियों में बर्फ में कमी(जो कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण वर्तमान में भी महसूस की जा रही है), अचानक आने वाली बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि, क्षेत्र में विभिन्न बारहमासी धाराओं का लगातार सूखना आदि को इस गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक के हवाले से यह खबरें आईं थीं कि उत्तराखंड में बदलते मौसम से हिमालयी गांवों में वहां की जीवनशैली(ग्रामीण जीवन स्तर) लगातार बदल रही है। दैनिक के अनुसार 'बदलते मौसम के कारण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हर साल प्रवास पर निचली घाटियों में आने वाले ग्रामीण बीते साल(वर्ष 2024)के मुकाबले इस बार एक-डेढ़ महीने पहले ही अपने मूल गांवों में वापसी की तैयारी करने लगे हैं।' कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में ग्लेशियर (बर्फ) देखने को मिलती थी।अब उतनी बर्फ देखने को नहीं मिलती है।इतनी कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी गांवों के रास्ते मार्च अंत तक भी भारी बर्फ से पटे रहते थे, लेकिन अब हिमपात पहले की तुलना में काफी कम हो रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि समुद्र तल से करीब 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट ओम(ओम पर्वत) भारत, चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। हिमालय की इस चोटी पर बर्फ से बनी 'ओम' आकृति केवल भारतीय क्षेत्र से ही दिखाई देती है, लेकिन पिछले साल यानी कि वर्ष 2024 में इस पर्वत के शिखर पर बर्फ नहीं जमीं और पर्यटक कम आए, क्यों कि अमूमन वे इस पर्वत पर प्राकृतिक रूप से बनने वाली ओम की आकृति देखने आते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फ जमने के कारण यहां की खेती भी प्रभावित हुई है और यहां का जन-जीवन भी। दरअसल, पिछले कुछ समय से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है और पहले जहां स्थानीय लोगों को उच्च हिमालयी गांवों में खेती करने के लिए अधिक बर्फ के कारण अप्रैल माह तक इंतजार करना पड़ता था,अब फरवरी की समाप्ति और मार्च के प्रथम सप्ताह से स्थानीय लोग इन क्षेत्रों में खेती करने की तैयारियां शुरू करने लगें हैं। अब हिमालयी क्षेत्रों के रास्ते उतने बरफ से ओतप्रोत नहीं होते,जितने कि बरसों पहले हुआ करते थे। मतलब यह कि अब समय से पहले ही बर्फ.पिघलने लगी है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी गांवों के लोग अब फरवरी की समाप्ति और मार्च के प्रथम सप्ताह में ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खेती की तैयारियां करने के लिए पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में खिलने वाले बुरांस, फ्योंली के फूल जो आमतौर पर गर्मी के मौसम में खिलते थे, मौसम में आमूलचूल बदलाव की वजह से समय से पहले ही खिलने लगे हैं।अब बुरांस के फूल जनवरी-फरवरी माह में ही खिलते हुए देखे जा सकते हैं। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि

बुरांश के फूल अमूमन फरवरी के दूसरे पखवाड़े से लेकर मार्च तक खिलते रहे हैं, लेकिन अब ये जनवरी की समाप्ति पर ही खिलने लगे हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के जंगलों में कई जगह काफल फल भी समय से पहले ही पकने को तैयार हो रहे हैं।आमतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश का फूल आधे मार्च के बाद ही खिलता है। गौरतलब है कि बुरांश उत्तराखंड का राज्य पुष्प कहलाता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि बुरांश में एंटी-हिपेरग्लिसेमिक गुण पाया जाता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में इंफ्लमेशन, गाउट, ब्रोंकाइटिस और गठिया के इलाज के लिए भी बुरांश के फूल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं बुरांश का शरबत गर्मियों में सेहत के लिए वरदान है। बुरांश ही नहीं उत्तराखंड में पाया जाने वाला काफल भी, जैसा कि ऊपर बता चुका हूं कि,अब समय से पहले पक रहा है। दरअसल, मार्च के दूसरे पखवाड़े और अप्रैल में काफल पकता है। यह अत्यंत आश्चर्य जनक है कि मिर्थी, डीडीहाट, धौलछीना,बिनसर अभयारण्य के जंगलों में बुरांश जनवरी के समाप्त होते-होते ही खिलना शुरू हो गया और उत्तराखंड का लाल, गुलाबी छोटे आकार का काफल फल(पहाड़ के फलों का राजा)का पकना भी जल्द शुरू हो चुका है। दरअसल,अब प्रकृति अपना रंग दिखा रही है। यह दशार्ता है कि पहाड़ों में वनस्पतियों पर ग्लोबल वार्मिंग का अच्छा खासा प्रभाव इन दिनों पड़ रहा है। वनस्पति वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह सब हो रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनस्पतियों का जीवन -चक्र अब गड़बड़ाने लगा है। इस बात की आशंकाएं भी हैं कि वनस्पतियों में इस तरह के असामान्य बदलाव भविष्य में और अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे यहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। यदि यह स्थिति यूं ही बनी रही, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव पर्यावरण और स्थानीय जीव-जंतुओं पर भी पड़ सकता है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि आज पहाड़ों में विभिन्न विकास कार्यों यथा सड़क निर्माण,पुल निर्माण, बांध, शहरीकरण, छोटे-बड़े उधोगों की स्थापना, कटते जंगल, बढ़ती जनसंख्या के बीच कहीं न कहीं पहाड़ों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक असर पड़ रहा है। प्रकृति से हो रहे खिलवाड़, छेड़छाड़ और लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण, आज यहां की अनेक नदियां और गदेरे तक सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं।सच तो यह है कि पहाड़ों में आज अनेक जलस्त्रोतों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। कुछ समय पहले स्प्रिंग एंड रिजुविनेशन अथॉरिटी (सारा) की टीम ने एक फैक्ट साझा करते हुए यह बताया था कि बदलते मौसम चक्र, जलवायु परिवर्तन और मानवीय दखल से प्रदेश की 206 सदानीरा नदियां और गदेरे सूखने के कगार पर हैं। प्रदेश के 5428 जलस्रोतों पर संकट मंडरा रहा है। बहरहाल, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़-पौधों, औषधीय पौधों, नदियों, ग्लेशियरों की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का एक सम्पन्न राज्य है और यहां प्राकृतिक हरियाली व वातावरण देखते ही बनता है।आज यहां बांज के पेड़ों पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण विकास और संतुलन को बनाए रखने वाले बांज के पेड़ों का संरक्षण आज समय की आवश्यकता है। अंत में यही कहूंगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों के बीच इस बात पर चिन्तन- मनन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से अपनी प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें प्रकृति के इशारों को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण पर बहुत ही गंभीरता से काम करना होगा। हमें विकास और पर्यावरण के बीच भी संतुलन स्थापित करने की नितांत आवश्यकता और जरूरत है। वास्तव में हमें इस बात को समझना चाहिए कि विकास का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। यदि हमारा पर्यावरण समृद्ध है तो विकास की संभावनाएँ भी भरपूर होती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि विकास का आधार संसाधन ही हैं और संसाधन प्रकृति प्रदान करती है। पर्यावरण व विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

केजरीवाल सरकार और सीएजी रिपोर्ट के काले पन्ने

रामस्वरूप रावतसरे

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं हमेशा से अहम रही हैं। ये अलग बात है कि जनता को हमेशा झुनझुना ही मिलता रहा है। दिल्ली की सत्ता पर 11 साल काबिज रहे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार ने जनहित के कामों को करने की जगह ढिंढोरा ही पीटा क्योंकि अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे केजरीवाल सरकार की करतूतें उजागर हो रही हैं। इन रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल या आतिशी के मुख्यमंत्री रहते विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया।

सीएजी की दो नई रिपोर्ट्स ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक योजनाओं की पोल खोल दी है। पहली रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है जिसमें सरकारी अस्पतालों में आईसीयू , एंबुलेंस और बेड की कमी से लेकर कोविड-19 के दौरान फंड के दुरुपयोग तक की बातें शामिल हैं। दूसरी सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की लाडली योजना में 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ियाँ उजागर की हैं, जिसमें फर्जी पंजीकरण, वित्तीय लापरवाही और लाभार्थियों तक फायदा न पहुंचने जैसे गंभीर मुद्दे हैं।

ये दोनों रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने जनता की भलाई के लिए मिले संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया और कुप्रबंधन के चलते आम लोग परेशान रहे। इन रिपोर्ट्स ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सुधार की सख्त जरूरत को रेखांकित किया है। आइए इन दोनों मुद्दों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता के साथ क्या-क्या हुआ।

सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है। कुल 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू की सुविधा तक नहीं है, जो गंभीर मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा 12 अस्पतालों में एंबुलेंस नहीं हैं, यानी जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की कमी है जिससे आपात स्थिति में खून की व्यवस्था करना एक बड़ा संकट बन जाता है।

दिल्ली की आप सरकार जिन मोहल्ला क्लीनिकों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है, उनकी हालत भी दयनीय है। ऐसी 21 क्लीनिकों में शौचालय नहीं हैं, 15 में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है और 6 में तो डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है। 12 क्लीनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जो आप सरकार के कथित विकास दावों की हवा निकाल देता है। ये हालात साफ दिखाते हैं कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दिल्ली की जनता से कोसों दूर हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, दिल्ली में भी हालात भयावह थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली को इस संकट से निपटने के लिए 787.91 करोड़ रुपए का फंड दिया था लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बाकी 205.07 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के पड़े रहे जिसका नतीजा ये हुआ कि मरीजों को जरूरी सुविधाएँ नहीं मिल सकीं।

दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए मिले थे लेकिन इसमें से 30.52 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दवाइयां, पीपीई किट्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई के लिए 119.85 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे लेकिन 83.14 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं हुआ। इस लापरवाही की कीमत दिल्ली की जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की भारी किल्लत थी।

दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक 32,000 नए बेड जोड़ने का बड़ा वादा किया था लेकिन असल में सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए, जो लक्ष्य का महज 4.24 प्रतिशतहै। इस कमी का असर ये हुआ कि कई अस्पतालों में बेड की ऑक्यूपेंसी 101 प्रतिशत से 189 प्रतिशत तक रही, यानी एक बेड पर दो-दो मरीजों को रखना पड़ा या कई मरीजों को फर्श पर इलाज लेना पड़ा। स्टाफ की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ में 21प्रतिशत और पैरामेडिकल स्टाफ में 38 प्रतिशत की कमी है। खास तौर पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हालात बदतर हैं जहां डॉक्टरों की 50-74 प्रतिशत और नर्सिंग स्टाफ की 73-96 प्रतिशत कमी पाई गई। इस कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार सही देखभाल भी नहीं मिल पाती।

दिल्ली में तीन नए अस्पताल बनाने की परियोजनाएं शुरू हुई थीं लेकिन इनमें भारी देरी और लागत में इजाफा हुआ। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5

साल की देरी हुई और लागत 314.9 करोड़ रुपए बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल 6 साल लेट हुआ, जिसकी लागत में 41.26 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वहीं, एमए डेंटल अस्पताल (फेज-2) में 3 साल की देरी हुई और 26.36 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। ये प्रोजेक्ट पिछली सरकार के वक्त शुरू हुए थे लेकिन मौजूदा सरकार इन्हें पूरा करने में नाकाम रही। इसके अलावा, कई अस्पतालों में जरूरी उपकरण भी खराब पड़े हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, मरीजों को लोक नायक अस्पताल में बड़ी सर्जरी के लिए 2-3 महीने और बर्न व प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6-8 महीने का इंतजार करना पड़ा। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए 12 महीने की वेटिंग थी। कई जगहों पर एक्स-रे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीनें बेकार पड़ी रहीं, जिससे मरीजों को सही समय पर डायग्नोसिस भी नहीं मिल सका।

कोविड के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था और सीएजी रिपोर्ट बताती है कि 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं थी। ये वो वक्त था जब लोग सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे। इसके साथ ही, 12 अस्पतालों में एंबुलेंस की सुविधा नहीं थी और जो सीएटीएस एंबुलेंस चल रही थीं, उनमें भी जरूरी उपकरणों की कमी थी। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। मोहल्ला क्लीनिकों में भी हालात बद से बदतर थे। 15 क्लीनिकों में बिजली बैकअप नहीं था, यानी बिजली जाने पर मरीजों का इलाज ठप हो जाता था। इन सबके बीच सरकार के दावे हवाई साबित हुए और जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

यही नहीं, लाडली योजना को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शुरू किया था जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और 18 साल की उम्र पर 1 लाख रुपये तक की मदद देना था लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस योजना में भी धांधलियों को अंजाम दे दिया। सीएजी की रिपोर्ट ने इसमें 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताएं उजागर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 41 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ और 618.38 करोड़ रुपए की राशि अघोषित पड़ी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने में ढिलाई बरती जिसके चलते बड़े पैमाने पर डुप्लिकेशन हुआ। 36,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए जहां नाम, जन्मतिथि और माता-पिता का विवरण एक जैसा था। दिसंबर 2022 तक 8.84 लाख सक्रिय लाभार्थियों में 16,546 डुप्लिकेट और 131 ट्रिपल पंजीकरण पाए गए, जिससे 11.49 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

ऑडिट में ये भी पता चला कि 20,127 मामलों में जहां नाम या जन्मतिथि मिलती थी, वहां 29.23 करोड़ रुपए गलत तरीके से वितरित किए गए। सबसे बड़ी खामी ये थी कि मई 2023 तक आधार सत्यापन को योजना में शामिल नहीं किया गया था। इसके चलते एक ही लाभार्थी के कई पंजीकरण हो गए और फर्जीवाड़ा बढ़ता गया। करीब 9 प्रतिशत लाभार्थियों ने 18 साल की उम्र के बाद नामांकन कराया जिससे 180.92 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। 78,065 ऐसे लाभार्थी थे जो पंजीकरण के

समय पात्र उम्र पार कर चुके थे, फिर भी उनके खातों में पैसे जमा किए गए। कई मामलों में जन्मतिथि का कॉलम खाली था जिससे ये साफ हो गया कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी थी।

दिल्ली में 8.84 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 4.9 लाख लड़कियां यानी 55 प्रतिशत, पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले सकीं। 18-20 साल की उम्र के 1.26 लाख लाभार्थियों के 236.03 करोड़ रुपए, 20-26 साल के 1.18 लाख के 224.56 करोड़ रुपए, और 26 साल से ऊपर की 77,000 लड़कियों के 157.78 करोड़ रुपए अभी तक वितरित नहीं हुए हैं। इसके अलावा 1 लाख 74 हजार 960 ऐसे मामले थे जिनमें लाभार्थी समाप्ति मानदंड को पूरा करते थे लेकिन उनका निपटारा नहीं हुआ। विभाग का कहना है कि उसने पात्र लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे लेकिन ऑडिट में पाया गया कि सिर्फ दो बार 10 सितंबर, 2020 और 17 जून 2022 को नोटिस जारी हुए। इतने बड़े पैमाने पर योजना चलाने के लिए ये कोशिश नाकाफी थी और लाभार्थियों तक जानकारी नहीं पहुंच सकी।

लाडली योजना में हर साल पंजीकरण की संख्या में भारी गिरावट आई है। 2009-10 में 1,39,773 लाभार्थी पंजीकृत हुए थे जो 2020-21 में घटकर सिर्फ 43,415 रह गए, यानी 69 प्रतिशत की कमी। जन्म के समय पंजीकरण भी 23,871 से घटकर 3,153 हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि योजना धीरे-धीरे अपनी अहमियत खोती जा रही है। लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के जिस मकसद के लिए इसे शुरू किया गया था, वो पूरा नहीं हो सका। फंड की बबार्दी, फर्जी पंजीकरण और कुप्रबंधन ने इस योजना को नाकाम कर दिया। सरकार ने इसे ठीक करने के लिए मई 2023 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टम में शामिल करने की कोशिश शुरू की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लाडली योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद जिम्मेदारी तय करने की कोई कोशिश नहीं दिखती। विभाग ने न तो लाभार्थियों के डेटा को सही करने की जहमत उठाई और न ही फंड के सही इस्तेमाल पर ध्यान दिया। 618.38 करोड़ रुपये जैसे भारी-भरकम फंड का इस्तेमाल न होना बताता है कि योजना को लेकर गंभीरता की कमी थी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लड़कियों को हुआ जो इस मदद की हकदार थीं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।

सीएजी की दोनों रिपोर्ट्स ने केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाओं की कमी और कोविड फंड की बबार्दी से लेकर लाडली योजना में फर्जीवाड़ा और लापरवाही तक, ये सब दिखाता है कि जनता के हितों को कितना नजरअंदाज किया गया। दिल्ली की जनता ने इन कमियों की भारी कीमत चुकाई है, चाहे वो इलाज के लिए तरसना हो या शिक्षा के लिए मदद न मिलना हो। ●

(लेखक के व्यक्त विचार अपने हैं)

न रूस जीता न यूक्रेन हारा

राजेश जैन

करीब तीन साल पहले रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस युद्ध को एक मिलिट्री ऑपरेशन बताते गए 72 घंटे में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेने का दवा किया था। लेकिन तीन साल पूरे होने के बाद अब चौथा साल चल रहा है। इसके बावजूद युद्ध में ना रूस जीता है और ना ही अभी तक यूक्रेन हारा है। सवाल यह नहीं है कि इस जंग में कौन सही कौन गलत? लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध में दोनों देशों में भारी तबाही मची है। रूस और यूक्रेन के हजारों नागरिकों और सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। दोनों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा है। लगभग 1100 दिनों की इस जंग ने मानवता को न भरने वाले घाव और कड़वी यादें दी हैं। आज यहां हम चर्चा करेंगे कि युद्ध कैसे शुरू हुआ और इसके कारण दोनों देशों को क्या खोना पड़ा।

यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद से, रूस और पश्चिम देश, दोनों इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन से सटा काला सागर रूस को कई भू-राजनीतिक फायदे देता है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच यूक्रेन बफर जोन है। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी आंदोलनों को रूस का समर्थन मिला और 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए। रूस से सुरक्षा के लिए यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था। इसको लेकर विवाद बढ़ा तो फरवरी 2022 में, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कुल मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने विश्व को एक नए युग की ओर धकेल दिया है, जहां शक्ति की लड़ाई और राजनीतिक हितों की टकराहट ने मानवता को खतरे में डाल दिया है।

इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप, यूक्रेन के कई शहरों में व्यापक विनाश हुआ, हजारों ने जान गंवाई और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 24 फरवरी, 2022 को जंग की शुरूआत के बाद यूक्रेन की 11 फीसदी जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर साल 2014 से तुलना करें तो रूस

यूक्रेन के 18 फीसदी भूभाग पर कब्जा कर चुका है। गत 8 दिसंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में घोषणा की थी कि फरवरी 2022 में युद्ध की शुरूआत के बाद से युद्ध के मैदान में 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार 24 फरवरी 2022 के बाद से इस जंग में 12,654 से अधिक पुरुषों, महिलाओं, लड़कियों और लड़कों की हत्या हो चुकी है जबकि लगभग 30,000 लोग घायल हुए हैं। 84 प्रतिशत मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुई हैं। जंग से 42 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार यूक्रेन में अभी 20 लाख लोग बिना घर के रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के 2024 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार, यूरोप में 6.3 मिलियन से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें जर्मनी मे लगभग 1.2 मिलियन, पोलैंड में लगभग 1 मिलियन और चेक गणराज्य में 390,000 शामिल हैं। जून 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान के अनुसार, रूसी फेडरेशन में 1.2 मिलियन यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे थे। अनुमान है कि 10 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियन अभी भी विस्थापित हैं।

इस जंग से सुपर पावर के रूप में बनी रूस की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का पहुंचा है । रूस में युवा जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। जबरन भर्तियां करनी पड़ रही है और भाड़े के सैनिकों का सहारा लेना पड़ा रहा है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि नौकरी करने के लिए रूस गए भारतीयों को ठगी के जरिये जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 2024 में युद्ध में 4,30,790 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए जबकि रूसी मीडिया कम से कम 31,481 रूसी सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि कर रहा है। अन्य स्वतंत्र एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार रूस की सेना के लिए लड़ने वाले 95,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो स्वघोषित डोनबास गणराज्यों के मिलिशिया में लड़ते हुए मारे गए। उनकी संख्या 21,000 से 23,500 के बीच बताई जाती है।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की वजह से हुए आर्थिक नुकसान अरबों-खरबों में है। विश्व बैंक और यूक्रेन सरकार के अनुमान के अनुसार 2023 तक, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग 150 अरब डॉलर (लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान होने का अनुमान था। 2024 के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ गया है, कुछ विशेषज्ञ पुनर्निर्माण लागत सहित इसे 400-500 अरब डॉलर तक आंकते हैं। 2022 में यूक्रेन की जीडीपी 35-40% तक सिकुड़ गई थी, और 2023-2024 में इसमें मामूली सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी युद्ध-पूर्व स्तर से बहुत नीचे है। रूसी बमबारी में ध्वस्त सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल,और नष्ट बिजली प्लांट के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर चाहिए। हालांकि रूस का नुकसान यूक्रेन जितना प्रत्यक्ष नहीं है पर उसको भी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के 2023 के एक अनुमान के अनुसार, रूस ने युद्ध में सेना, हथियार और लॉजिस्टिक्स पर 211 अरब डॉलर (लगभग 18 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए थे। 2025 तक यह राशि 300 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। 2022 में उसकी जीडीपी 2-3% घट गई। नुकसानों को जोड़ा जाए, तो रूस-यूक्रेन युद्ध से अब तक 1-1.5 खरब डॉलर (लगभग 80-125 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान हो चुका है। यह राशि भारत के सालाना बजट से कम से कम दोगुना बैठती है। ●

हिंदी-विरोध का नया दौर

प्रमोद जोशी

हिंदी की पढ़ाई को लेकर तमिलनाडु में एक बार फिर से तलवारें खिंचती दिखाई पड़ रही हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को एक विशाल विरोध-प्रदर्शन में चेतावनी दी कि हिंदी थोपने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक और विद्रोह जन्म ले सकता है। उनके पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यों पर शिक्षा-निधि के मार्फत दबाव बनाने का आरोप लगाया था। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में द्रमुक ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) और तीन-भाषा फॉर्मूले की आलोचना करके माहौल को गर्मा दिया है।

तमिलनाडु में भाषा केवल शिक्षा या संस्कृति का विषय नहीं है। द्रविड़-राजनीति ने इसके सहारे ही सफलता हासिल की है। द्रविड़ आंदोलन, जिसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को जन्म दिया, भाषाई आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित था। राष्ट्रीय आंदोलन के कारण इस राज्य में भी कांग्रेस, मुख्यधारा की पार्टी थी, पर भाषा पर केंद्रित द्रविड़ आंदोलन ने राज्य से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और आज तमिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक के सहारे है। इस राज्य में भाषा-विवाद लगातार उठते रहते हैं। पिछले साल संसदीय शीत-सत्र में 5 दिसंबर को विरोधी दलों के सदस्यों ने 'भारतीय न्याय संहिता' के हिंदी और संस्कृत नामों के विरोध में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर 'हिंदी इंपोजीशन' का आरोप लगाया। एक दशक पहले तक ऐसे आरोप आमतौर पर द्रमुक-अद्रमुक और दक्षिण भारतीय सदस्य लगाते थे। अब ऐसे आरोप लगाने वालों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है।

अप्रैल, 2022 में गृहमंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी को पूरे देश में स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सरकार का कामकाज हिंदी में हो। उनके इस बयान के पीछे 'हिंदी-विरोधियों' को साम्राज्यवाद की गंध आई। शाह ने कहा कि हिंदी को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने के प्रयास होने चाहिए। जब विभिन्न राज्यों के नागरिक संवाद करते हैं, तो 'यह भारत की भाषा में होना चाहिए।'

उनके इस वक्तव्य के अलावा, नई शिक्षा-नीति के अंतर्गत देशभर के स्कूलों में कक्षा 10 तक परोक्ष रूप में हिंदी को अनिवार्य बनाने की केंद्र सरकार की योजना पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। 10 अप्रैल को, तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम ने केंद्र सरकार को हिंदी थोपने के किसी भी नए प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और लोगों से इसका विरोध करने का आह्वान किया। पार्टी के मुखपत्र मुरासोली में लिखा गया, यह कदम देश की अखंडता को नष्ट कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में प्रवेश तो मिल गया है, पर तमिलनाडु में वह अभी हाशिए पर है। पिछले कुछ समय से वह अपने राज्य प्रमुख अन्नामलाई के जरिये राज्य के एक तबके को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस राज्य में हिंदी-समर्थक पार्टी के सफल होने की कोई गुंजाइश है? राज्य में हिंदी की पढ़ाई को उत्सुक लोग भी हैं, जिन्हें लगता है कि रोजगार के लिए हिंदी का ज्ञान भी जरूरी है। भाजपा कार्यकर्ता अब मार्च से मई तक एक सर्वेक्षण करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वे तीन-भाषा नीति पर तमिलनाडु भर के परिवारों से बातचीत करेंगे और अपने निष्कर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे।

राज्य सरकार हिंदी के पठन-पाठन के दरवाजे बंद रखना चाहती है। उसे लगता है कि एक बार दरवाजे खुले तो राजनीति का रंग-रूप बदल जाएगा। बहरहाल तमिल-बगावत के स्वर एनईपी के तहत तीन-भाषा सूत्र से जुड़ी शर्तों और समग्र-शिक्षा कार्यक्रम लिए केंद्रीय धन जारी करने से जुड़े मतभेदों के कारण सुनाई पड़े हैं। एनईपी के विरोधियों का तर्क है कि यह नीति परोक्ष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार ने राज्य को 2,152 करोड़ रुपयों का आवंटन इस आधार पर रोक रखा है, क्योंकि उसने 'पीएम श्री स्कूलों' और एनईपी को स्वीकार नहीं किया है।

डीएमके और उसके सहयोगी दलों के चेन्नई में आयोजित विरोध प्रदर्शन में उदयनिधि ने कहा, हम न तो भीख मांग रहे हैं और न आपकी निजी संपत्ति। यह हमारा वैध अधिकार है। संविधान का कोई भी अनुच्छेद तीन-भाषा की बात नहीं करता है। तमिलनाडु इस फॉर्मूले को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राज्य में हिंदी के प्रवेश से तमिल का विलोपन हो जाएगा जैसा राजस्थानी, भोजपुरी और उत्तर भारत की अन्य भाषाओं के साथ हुआ है।

हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नई शिक्षा-नीति के अनुपालन का फंड जारी करने में तीन-भाषा सूत्र लागू करने की शर्त होगी। जब तक तमिलनाडु एनईपी को पूरी तरह से लागू नहीं करेगा, तब तक समग्र शिक्षा निधि जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, नई शिक्षा-नीति में हिंदी की अनिवार्यता नहीं है। तमिलनाडु के छात्र चाहें, तो तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई भी तीसरी भारतीय-भाषा पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति, हिंदी नहीं थोप रही है, बल्कि छात्रों को एक अतिरिक्त भाषा सीखने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि अन्य राज्यों के विपरीत तमिलनाडु तीन-भाषा फॉमूर्ले का विरोध क्यों कर रहा है? तमिलनाडु में हिंदी-विरोध का इतिहास करीब एक सदी बहुत पुराना है, जो 1930 के दशक से शुरू हुआ था। तब यह मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा था। वर्ष 1937 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने राज्य में हिंदी की अनिवार्य पढ़ाई का फैसला किया था, जिसके बाद राज्य में पहला हिंदी-विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने द्रविड़-राजनीति की नींव डाली। हिंदी विरोधी प्रदर्शन आजादी के बाद भी जारी रहे, जिसमें 1965 में छात्रों का आंदोलन भी शामिल है।

वर्ष 1959 में जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित करने के बाद राज्य में स्थिति सामान्य हुई। यह विरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हिंदी को लेकर जब भी कोई गतिविधि होती है, यह विरोध शुरू हो जाता है। तमिलनाडु ने एनईपी-2020 का विरोध किया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, पर तमिलनाडु ने इसे लागू नहीं होने दिया, जबकि ज्यादातर राज्यों ने इसे लागू किया। तमिलनाडु 1967 से दो-भाषा फामूर्ले (मातृभाषा तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहा है। उस वर्ष सीएन अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सत्ता में आई थी। उसके बाद से राज्य में द्रमुक और अन्ना द्रमुक पार्टी की सरकारें ही सत्ता में आई हैं। द्रविड़ दलों ने लंबे समय से मांग की है कि ह्यशिक्षाह्न को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में वापस लाया जाए।

यह मसला भारतीय संघवाद की विसंगतियों को भी रेखांकित करता है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास से जुड़े अंतर्विरोधों की प्रतिध्वनि भी इसमें सुनाई पड़ती है। स्वतंत्रता के पहले 'द्रविड़नाडु' नाम से अलगाववादी नजरिया भी उभरा था। इंदिरा गांधी के दौर में केंद्र को मजबूत बनाने की जो कोशिशें हुईं, उनमें शिक्षा का मसला भी शामिल था। संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन तक शिक्षा राज्य सूची में थी। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद इसे समवर्ती सूची में लाया गया। अब शिक्षा समवर्ती सूची में है। ●

(लेखक वरिष्ठ संपादक रहे हैं।)

हिंदुत्व की अवधारणा

डॉ.बालमुकुंद पांडेय
राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से संबद्ध

परंपरागत और सामान्य व्यावहारिक शब्दों में सिंधु प्रदेश के निवासी हिंदू कहलाते हैं। हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रवादी चिंतक,1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अपने लेखों के माध्यमों से सामान्यजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी जीवन की आहुति देने के विचारों में राष्ट्रवाद की भावना का लौ और अलख को अर्जित करने वाले चिंतक बीडी सावरकर ने वर्ष 1923 में किया था। हिंदुत्व का शाब्दिक आशय जीवन जीने का एक तरीका या आत्मा की स्थिति से है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रकृति की भावना पर आधारित है। हिंदुत्व उदारवाद,समाजवाद, आदर्शवाद और गांधीवाद के समान एक दर्शन है, जो संपूर्ण समाज के आनंद को प्रदान करने वाला गत्यात्मक अवधारणा हैं। हिंदुत्व में शासक और शासित के अधिकार, कर्तव्य और आचार संहिता के अनुपालन पर संकेंद्रण किया गया है।

हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका,राष्ट्रीय परंपरा एवं अनुशासन हैं, जिसमें भौतिकवाद, सनातन धर्म, अस्पृश्यता विहीन समाज, उत्पीड़न विहीन समाज, शोषण विहीन समाज, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, और पंथनिरपेक्ष तत्वों की मौलिक विशेषता है। हिंदुत्व भारतीय संस्कृति और भारतीयता का जय घोष है। हिंदुत्व का महानतम मौलिक विशेषता उदारवाद का संप्रेषण, सहिष्णुता, समाज को समायोजित करने वाले गुरुत्वीय शक्ति और वैश्विक स्तर की समस्त शक्तियों को आत्मसात करने वाले तत्वों से हैं। हिंदुत्व के अंतर्गत सभी धर्मों का उन्नयन बिना किसी द्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव के हुआ है।

हिंदुत्व, ईसाई-धर्म और इस्लाम-धर्म की तरह कोई धर्म नहीं है,बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का सार्थक समुच्चय

है। इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय वस्तु में आध्यात्मिक स्वतंत्रता हैं। इन समस्त मार्गो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो दूसरों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करे और उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी के सार्थक समुच्चय को हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व की अवधारणा भारत तक सीमित नहीं है,बल्कि वैश्विक स्तर अमृतरूपीतत्व के रूप में समाहित है। यह हमारी पार्थिव के मुख्य परंपराओं, संस्कृतियों, संस्कारों और अनुशासन के आंतरिक आत्मा की दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सारतत्व को श्री अरविंदो ने कहा है कि सनातन धर्म भारतीय राष्ट्रीयता के आधारशिला हैं।

मौलिक रूप से हिंदुत्व समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को उन्नयन करता है। हिंदुत्व के एक छोटे उपसमुच्चय के रूप में हिंदू धर्म मात्र एक शाखा है। हिंदू समाज सामाजिक आर्थिक समस्याओं का ही नहीं, वरन गंभीर नैतिक और धार्मिक संकट का सामना कर रहा हैं। हिंदुत्व भारत में आर्यों के आगमन की प्रतिक्रिया है। हिंदुत्व की विशालतम जड़ें वेदों में निहित हैं। हिंदुत्व के लिए सभ्य नागरिक होना अति आवश्यक है। इस देश के स्थाई निवासी होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उनके पूर्वज भी स्थाई नागरिकता की पात्रता धारण करते हों। हिंदुत्व के लिए व्यक्ति को हिंदू धर्म की संस्कृति, रक्त संबंध और धर्म को अपनाना चाहिए। विवेकानंद जी ने हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार किया, जिनके विचारों में कोई राजनीतिक तत्व नहीं था। विवेकानंद जी के अनुसार भारतीय राष्ट्र उन व्यक्तियों का एक संघ है, जिनके दिलों में समान आध्यात्मिक भावना हों।

स्व से पहले सर्व का कल्याण की कामना हिंदुत्व हैं। हिंदुत्व एक प्रत्यय है, एक विचार है, एक दर्शन है , एक जीवन का पाठ है, जीवन की एक सकारात्मक दृष्टि है। और जीवन जीने का एक अनुशासन है। यह मानवीय समुदाय का शाश्वत नियम है। हिंदुत्व में शांति का, प्रेम का, दया का, करुणा का, ममता-स्नेह का एवं परोपकार के सार का समुच्चय है। हिंदुत्व सर्व कल्याण की भावना का योजित शब्द है। यह मानवता,परंपरा एवं संस्कृति के उन्नयन में प्रबल विश्वास करता है। हिंदुत्व वैश्विक समुदाय को एकाकार एवं मानवीय सहयोग पर जोड़ देता है। हिंदुत्व ने लौकिक जगत के उत्कर्ष और आध्यात्मिक उन्नति का सकारात्मक संयोजन है। हिंदुत्व आचरण की सुचिता और पवित्रता पर विशेष जोर देता है। यह 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के दर्शन पर आधारित हैं यह संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। लेखक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से संबद्ध हैं)

होली, रमजान, रंग, नमाज़ और अज़ान

डॉ घनश्याम बादल

भारत में सभी धमार्नुयायी अपने-अपने तीज त्यौहार हमेशा से साथ-साथ मनाते आए हैं और इसमें कभी भी किसी तरह का वैमनस्य या प्रतिस्पर्धा अथवा एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव देखने को नहीं मिला। लेकिन इस वर्ष इस बार कुछ स्थानों पर, कुछ विशेष कारणों एवं व्यक्तियों की वजह से टकराव की स्थिति बनी।

वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रमजान और होली का त्यौहार लगभग लगभग एक साथ पड़ा हो । यदि हिजरी संवत और चंद्रमा आधारित पंचांग को उठाकर देखें तो लगभग हर 33 वर्ष बाद इस तरह का संयोग बनता रहा है।1930, 1962, 1994 एवं 2016 में भी रमजान एवं होली का पर्व काफी पास-पास पड़े थे। और बहुत प्रेम एवं सौहार्द के साथ यें पर्व मनाए गए।

यदि संविधान की दृष्टि से देखें तो भारत बेशक एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। और यहां हर धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है। और इसका उपयोग वे लगातार 1947 और उससे पहले भी करते आए हैं। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि आजादी के बाद एक लंबे कालखंड तक राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए एक धर्म विशेष के लोगों का उपयोग किया गया।

1970 के आस पास मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं संस्थाओं ने उनके लिए एक तरह से ऐसी बाध्यकारी अपील जारी करने की परंपरा सी डाल दी कि वे एक दल या विचारधारा विशेष के पक्ष में लामबंद होकर वोट करने लगे। और बदले में उनके हितों की पैरोकारी राजनीतिक दृष्टि से होती गई। जहां इस राजनीतिक पक्षधरता से मुस्लिम समाज को काफी सुविधाएं एवं आरक्षण तथा सुरक्षा मिली, वहीं हिंदू समाज के कट्टरपंथी लोगों को यह बात अखरने लगी। परिणाम स्वरूप मनों में दूरी बढ़ती गई, जिसका चरम एक तरह से हमने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में देखा।

फिर केंद्र में हिंदुत्व विचारधारा की सरकारें आईं और हिंदू वोटो को लामबंद करने के लिए इन सरकारों ने मुस्लिम समाज का 'तुष्टिकरण' लगभग बंद करते हुए हिंदुत्ववाद का 'संतुष्टिकरण' शुरू कर दिया। इस क्रिया की भी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। और इसके चलते राजनीतिक क्षेत्र में कट्टरतावादी लोग आगे बढ़े और यह काम दोनों खेमों में हुआ। हिंदू वर्चस्व की राजनीति के पैरोकारों में भी और मुस्लिम वर्चस्व के राजनीतिक पैरोकारों में भी। धीरे-धीरे सत्ता में आने के लिए अपने-अपने समर्थकों के लिए अड़ने और लड़ने की ज़िद बढ़ती गई। आज इसी ज़िद का परिणाम सामने है होली में रमजान के अवसर पर टकराव के रूप में।

भले ही कभी भी और किसी का भी वर्चस्व क्यों न रहा हो पर सच यह भी है कि भारत में मात्र किसी एक धर्म विशेष के साथ ही चलकर तरक्की संभव नहीं है। दूसरा सच यह भी है कि कम या ज्यादा हर वर्ग, धर्म और क्षेत्र तथा भाषा भाषियों ने अपने खून पसीने से हिंदुस्तान बनाया है। बात यह भी गलत नहीं है कि एक पक्ष अपने धर्म के प्रति बहुत अधिक कट्टर रहा है तो दूसरा काफी लचीला। हालांकि एक पक्ष के सभी लोग कट्टर हों, ऐसा नहीं है। और प्रतिपक्षी गुट के भी सभी लोग बहुत उदार हों, यह भी सच नहीं है। लेकिन उग्रता के दृष्टिकोण से मुस्लिम पक्ष हमेशा भारी रहा है। लेकिन 1992 के बाद से ही हिंदुत्ववादी भी कम नहीं रहे।

1992 से 2023 24 के आते-आते भव्य राममंदिर अस्तित्व में आया और इसके साथ ही हिंदुत्ववादी नेताओं में यह बात गहरे से घर कर गई कि मंदिरों के सहारे सत्ता में आया और लौटा जा सकता है।

धर्म, मजहब अपनी जगह ठीक हैं और ये आस्था का सबब हैं, जहां तर्क काम नहीं करता। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि तर्क के बिना राष्ट्र का जीवन नहीं चल सकता। किसी भी राष्ट्र का गौरव उसकी तरक्की में होता है। जब तक कोई राष्ट्र तरक्की पसंद नीतियां अपनाता है, तो वह आगे बढ़ता चला जाता है। और जब वह पोंगापंथी के जाल में फंस जाता है, तब सारी तरक्की न केवल नष्ट हो जाती है, अपितु भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। इसके उदाहरण एक नहीं, अनेक राष्ट्र बने हैं।

खैर रंग, मस्ती, संस्कृति और भाईचारे का त्योहार होली है, तो सभी के लिए दुआ करने का महीना रमजान भी है। थोड़ा सा साहित्यिक लपेटा मारें तो रमजान में 'राम' भी है और 'जान' भी है तो वहीं होली पावनता का पर्व है। सारे गिले, शिकवे भुलाने, रूठो को गले लगाने और प्रेम में के रंग में रंगने का त्यौहार है। राजनीतिक नेतृत्व का यह कहना कि यदि आपको रंग पसंद नहीं है, तो घरों में रहें, एक व्यवहारिक मशिवरा है। लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। वहीं रंग खेलते, नाचते, गाते रंग-बिरंगे चेहरे वाले होरियारों पर बेहतर हो कि पत्थरों की नहीं, फूलों की वर्षा हो, और रमजान के महीने में हमेशा की तरह इफ्तार पार्टियां हिंदुओं की तरफ से हों। और ऐसा होगा भी, यही विश्वास हिंदुस्तान की पहचान है।

कट्टरता केवल कड़वाहट और नफरत लाती है, जबकि थोड़ा सा झुक कर सलाम करने से या होली पर पैर छूकर बधाई देने से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह बात नई पीढ़ी को समझाने का जिम्मा बुजुर्गों का है। और बुजुर्गों को तरक्की का तर्क समझाने की ज़िम्मेदारी युवा वर्ग की। उम्मीद है इस बार की होली और रमजान आपस में गले मिलकर एक नई तरक्की पसंद भारत का पथ प्रशस्त कर अनुकरणीय उदाहरण पेश करेंगे। ●

भाषा विवाद या संवाद

डॉ. नीरज भारद्वाज

21वीं सदी के सभी माध्यमों ने देश-दुनिया की दूरियों को कम कर दिया है और विश्वग्राम (ग्लोबल विलेज) की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध कर दिया है। इस अत्याधुनिक दौर में चलत-फिरते, सोते-जागते, यहां-वहां, देश-दुनिया का व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है। वह देश-दुनिया की घटनाओं को जानने, समझने, सुनने और देखने में सक्षम भी दिखाई दे रहा है। मोबाइल और इंटरनेट से इस नई प्रौद्योगिकी को नया कलेवर और नया रूप मिला है। आधुनिक युग में भाषा की दीवार बहुत दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती, फिल्मों व धारावाहिकों की डबिंग, इंटरनेट पर अनुवाद और ब्लॉक में लिपियांतण आदि सभी कुछ सरल और सुबोध हो गया है। अनभिज्ञता किसी भी वस्तु या स्थान की नहीं रही। शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, खान-पान मनोरंजन आदि सभी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय हो गए हैं।

वैश्वीकरण में सम्प्रेषण स्थापित करना ही सबसे शक्तिशाली तत्व है और इसके लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसमें लोग समझ सके। दूसरा इसमें प्रचार-प्रसार के माध्यम

से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का वैशिष्ट्य हो। अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने में जनसंचार माध्यम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जनसंचार के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना, सन्देश और जानकारी पहुंचाई जाती है। किसी भी विकसित प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लोगों द्वारा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा के माध्यम से उपलब्ध कराए जो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली हो। जनसंचार में आम आदमी तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि वह जनप्रिय भाषा के रूप में उपलब्ध हो।

आज राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। भारतीय बाजार व अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपने को स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिन्दी भाषा को विभिन्न जनसंचार माध्यमों में प्रयोग कर प्रचार-प्रसार का मार्ग अपनाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आईपीएल के समय कितने ही विदेशी खिलाड़ी प्रोडक्टों का हिन्दी में विज्ञापन करते नजर आते हैं। महाकुंभ में कितने ही विदेशी यात्री हिन्दी में बोलते नजर आ रहे थे। खुले बाजार के इस युग में चाहे मीडिया हो या व्यापार सभी अपनी बातों व उत्पाद को जनमानस तक पहुचानें तथा अपनी पकड़ मजबूत करने में हिन्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज मीडिया माध्यमों के चलते हिन्दी विश्व के कोने-कोने को देख आई और विश्व में सम्प्रेषण स्थापित करने व अपनी पहचान बनाने में सक्षम भी हो रही है। वैश्वीकरण में अंग्रेजी के बाद हिन्दी ही विश्व को हर स्थिति में जोड़ने व सम्प्रेषण स्थापित करने में सफल व सार्थक सिद्ध हो रही है। वैश्वीकरण में हिन्दी का वर्चस्व बढ़ रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता।

जहां तक विश्व में हिन्दी की बात है, आज वह एक अरब से अधिक लोगों के बीच बोली और समझी जा रही है साथ ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा का दर्जा भी हासिल किए हुए है लेकिन इस बात को कुछ बुद्धि जीवी पचा नहीं पा रहे हैं। हिन्दी की लोकप्रियता और व्यापक स्तर पर लोगों के बीच उसे पहुंचाने में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यमों का सहयोग रहा है। साधन मजबूत हो और उसके कार्यक्रमों में जान न हो तो साधन क्या करंगे ? इसलिए साधनों के साथ-साथ हिन्दी भाषा और उसके कार्यक्रमों में पकड़ व सार्थकता अधिक है, जिसके चलते हिन्दी विश्व मानचित्र पर विश्व की दूसरी बड़ी भाषा के रूप में अपना नाम अंकित कर चुकी है।

इस प्रकार समझने और विचार करने से यही कहा जा सकता है कि जनसंचार के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों व उसके कार्यक्रमों के साथ हिन्दी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जनसंचार में हिन्दी 'भाषा बहता नीर' कथन पर सार्थक सिद्ध हो रही है। छोटी-मोटी त्रुटियों से हर काल में हर भाषा को लड़ाई लड़नी पड़ी है। जहां तक हिन्दी की लोकप्रियता की बात है, वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसी गति के चलते विश्व में प्रथम भाषा का दर्जा भी जल्द की हासिल कर लेगी। ●

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025

न्यायपालिका में पारदर्शिता की ओर पहलकदमी

डॉ. सुधीर कुमार

भारत की न्यायपालिका, जो न्याय और समानता की आधारशिला है, हमेशा से ही सुधारों की मांग करती रही है। लंबित मामलों का बोझ, ऊंच-नीच के आरोप और प्रक्रियात्मक जटिलताओं ने न्यायपालिका की दक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधान है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है, जो भारत में कानूनी पेशे को नियंत्रित करता है।

पहले, 1961 के अधिनियम के अनुसार, कोर्ट में वकालत करना ही कानूनी व्यवसाय माना जाता था। लेकिन, नए विधेयक में कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को और बढ़ा दिया गया है। अब, कानूनी व्यवसाय में कोर्ट में वकालत करने वालों के अलावा वे सभी लोग शामिल होंगे जो कानून से जुड़े अलग-अलग कामों में लगे हैं, जैसे कि कंपनियों के लिए कानूनी काम, कॉन्ट्रैक्ट बनाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े काम। इस बदलाव से कानूनी पेशे का दायरा बढ़ गया, इसमें कई तरह के कानूनी काम शामिल हो गए हैं। इससे कानूनी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को विविध कानूनी मदद प्राप्त करने में आसानी होगी।

वर्तमान में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन, अधिवक्ता संशोधन

विधेयक 2025 की धारा 4 में संशोधन करके केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह बीसीआई में मौजूदा निर्वाचित सदस्यों के अलावा 3 सदस्यों को नामित कर सके। यह संशोधन सरकार को कानून के प्रावधान लागू करने में बीसीआई को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करेगा।

वर्तमान में, अपने मुवक्किल को धोखा देना पेशेवर कदाचार माना जाता है, जिसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया से की जाती थी। हालांकि, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 45बी के तहत, पेशेवर कदाचार के कारण यदि किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वह बीसीआई में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी हड़ताल के कारण किसी का नुकसान होता है, तो यह वकील का पेशेवर कदाचार माना जाएगा। यह संशोधन मुवक्किलों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित करता है। यह प्रावधान वकीलों को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने मुवक्किलों के हितों की रक्षा करें।

अभी तक, एक वकील एक साथ कई बार एसोसिएशनों का सदस्य हो सकता था और उन सभी में चुनाव के दौरान वोट भी कर सकता था। लेकिन, नए विधेयक में धारा 33ए जोड़ी गई जिसके अनुसार, अदालतों, ट्रिब्यूनलों और प्राधिकरणों में वकालत करने वाले वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां वे वकालत करते हैं। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं, तो 30 दिनों के भीतर बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। अब वकील एक से अधिक बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हो सकते और केवल एक बार एसो. में वोट कर सकते हैं।

मौजूदा व्यवस्था में, हड़ताल करना गैरकानूनी नहीं था, लेकिन पेशेवर कदाचार माना जाता था। हालांकि, नए विधेयक में धारा 35ए जोड़ी गई है, जो किसी वकील या वकील संगठन को अदालत के बहिष्कार का आह्वान करने, हड़ताल करने या काम रोकने से रोकती है। इस धारा का उल्लंघन वकालत पेशे का कदाचार माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लेकर वकीलों में कई चिंताएं हैं। उनका मानना है कि इसके कुछ प्रावधान उनके अधिकारों का हनन और न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। तर्क है कि धारा 35ए उन्हें अपनी बात रखने और समस्याएं उठाने के लिए हड़ताल-बहिष्कार जैसे महत्वपूर्ण हथियारों से वंचित करती है। वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि यह धारा उनकी आवाज दबाने जैसी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकती है।

विधेयक की धारा 35 में वकीलों पर 3 लाख रुपये तक जुमार्ना लगाने का प्रावधान है। वकीलों का मानना है, यह जुमार्ना उन पर अनावश्यक दबाव डालेगा और उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, नए कानून के अनुसार, अगर किसी की शिकायत झूठी या बेकार साबित होती है, तो उस पर 50,000 रुपये तक जुमार्ना लग सकता है। लेकिन, यदि किसी वकील के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। वकील इसे एकतरफा कानून मानते हैं और अपने साथ अन्याय बताते हैं। नये विधेयक की धारा 36 के तहत, बीसीआई को किसी भी वकील को तुरंत निलंबित करने का अधिकार है। वकीलों को डर है कि यह प्रावधान उनके खिलाफ दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। बिना उचित जांच किसी को निलंबित करना अन्यायपूर्ण है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि नया विधेयक वकीलों की स्वतंत्रता और बीसीआई की स्वायत्तता पर प्रहार है। विधेयक के कुछ प्रावधान वकीलों के अधिकारों को कम करते हैं और उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। यह विधेयक वकीलों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मुश्किल पैदा करेगा। बीसीआई ने सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने और वकीलों और बीसीआई के साथ चर्चा करने की मांग की है। इन चिंताओं के बावजूद, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की क्षमता है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है।

(लेखक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।)

अभिव्यक्ति की आजादी के अभिप्रेत

डॉ.वेदप्रकाश

अश्लीलता, हिंसा और अभद्र भाषा का प्रयोग व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नैतिक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज करोड़ों लोग विभिन्न रूपों में सकारात्मक और राष्ट्रहित के कार्यों में जीवन खपा रहे हैं। क्या उनकी चर्चा कहीं होती है? दूसरी और अश्लील, हिंसक और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले राष्ट्रीय समाचारों में स्थान पा रहे हैं। माननीय न्यायालय भी बिना किसी दंड के उन्हें शाब्दिक चेतावनी देकर छोड़ देता है। क्या ऐसा करना दूसरों को भी अभद्र करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है? भारतीय कानून एवं दंड व्यवस्था में आज अनेक बदलावों की आवश्यकता है।

अभिव्यक्ति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति के अभाव में कुंठा एवं नकारात्मकता के बढ़ने की संभावना है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं। यहां कोई भी बात अथवा विचार किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि उस पर समग्रता में बातचीत करते हुए अथवा संवाद के जरिए स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ लोग एवं डिजिटल मंच कुछ भी बोल देने का लाइसेंस समझ रहे हैं, क्या यह एक नागरिक और सभ्य समाज के लिए घातक नहीं है?

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मंचों पर अभद्रता, अश्लीलता और हिंसा की बाढ़ आ गई है। विभिन्न डिजिटल मंच सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर प्रहार करने के साथ-साथ मानसिक प्रदूषण भी फैला रहे हैं। जल्दी लोकप्रियता और अधिक व्यू मिलने की चाहत में निजाता को भी रील बनाकर फैलाने की होड़ लगी हुई है। अनेक वीडियो एवं वेब सीरीज भिन्न-भिन्न रूपों में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों व महिलाओं की नग्न वीडियो बड़े मंचों पर बोली लगाकर खरीदी- बेची और प्रसारित की जा रही हैं। क्या इन पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को इंडिया गाट लेटेंट कॉमेडी शो के दौरान अभिभावकों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। माननीय न्यायालय ने कहा- अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता...रणवीर के दिमाग में गंदगी भरी है, जो उसने शो पर उगल दी। माननीय न्यायालय ने रणवीर की मानसिकता को विकृत और भाषा को निंदनीय करार देते हुए कहा कि उसकी भाषा बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक की समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराती है। ध्यातव्य है कि विगत दिनों उस शो के दौरान रणवीर के साथ वहां मंच पर उपस्थित अन्य लोगों ने भी अश्लील शब्दों, अभद्र व गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया। सैकड़ों युवक- युवतियां उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस प्रकार की अश्लीलता और अभद्रता उचित है? कुछ समय में ही इस अभद्र कॉमेडी शो को करोड़ों लोगों ने देख लिया। कई दिन तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस कार्यक्रम एवं अभद्रता की चर्चा सुर्खियों में बनी रही। अभी तक न कोई गिरफ्तारी न कोई सजा। इस प्रकार की अश्लीलता एवं अभद्रता का यह पहला मामला नहीं है। हमारे देश में कोई बड़ी घटना अथवा दुर्घटना के बाद ही प्रशासन एवं सरकार जागती है।

इलाहाबादिया प्रसंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजिटल मंचों विषयक मौजूदा प्रविधानों की समीक्षा कर रहा है। विचारणीय यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार प्रकाशक और डिजिटल मीडिया के लिए बना जिसका उद्देश्य एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करना है। क्या विभिन्न प्लेटफार्म इस नियम के उद्देश्य में वर्णित चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खरे उतर रहे हैं? नियम में सामग्री प्रसारित करने वाले मध्यस्थों की भी

बनाए जिससे अश्लीलता, हिंसा और अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नियंत्रित हो।

कुछ लोग सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे बच्चों के वीडियो डालकर लोकप्रियता और पैसा कमा रहे हैं, क्या यह बाल अधिकारों का हनन नहीं है? क्या यह विषय भी कठोर दंड के प्रविधान में नहीं आना चाहिए? कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं, देवी-देवताओं आदि पर भी अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुर्खियों में आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के वीडियो अनेक बार सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी कारण बनते हैं। क्या यह विषय भी कठोर दंडात्मक कानूनी प्रविधानों के दायरे में नहीं आने चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ कहीं भी, कुछ भी बोलना, करना अथवा दिखाना नहीं है अपितु यह दायित्व के साथ जुड़ी है। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य के अंतर्गत लिखा है- सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा। संविधान की उद्देशिका में भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है किंतु ध्यान रहे संविधान में स्थान स्थान पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात भी प्रमुख है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलते वालों पर संविधान लागू नहीं होता?

यदि संविधान सभी को समान रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है तो जिम्मेदारियों का आह्वान भी करता है। क्या यह सत्य नहीं है कि हम अधिकारों के साथ कर्तव्य अथवा जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रहे हैं? अनेक अवसरों पर देश विरोधी बातें और नारे राष्ट्रीय एकता व अखंडता को भंग करते हैं। क्या ऐसे दुष्कृत्यों को देशद्रोह के श्रेणी में रखकर कठोर दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए? कॉमेडी मनोरंजन और लोकप्रियता के लिए अनेक विषय हो सकते हैं। अश्लीलता, अभद्रता और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा। आज जब विकसित भारत का संकल्प लेकर हम चल रहे हैं तब जन जन में भारत भाव एवं समर्पण आवश्यक है। इसलिए कानून के कठोर दंडात्मक प्रावधान तत्काल यह सुनिश्चित करें कि अभिव्यक्ति की आजादी कुछ भी बोल देने का लाइसेंस नहीं है।●

चर्चा है। वहां कहा गया है- मध्यस्थ को बौद्धिक संपदा अधिकारों, अपमानजनक और अश्लील सामग्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री की चोरी को रोकने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। ध्यान रहे नियम में सामग्री की चोरी को रोकने के लिए नीतियां बनाने की बात है किंतु अश्लील सामग्री और अभद्र भाषा आदि के प्रयोग पर दंड का प्रविधान कहीं दिखाई नहीं देता। नियम में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का पांच श्रेणियां में वर्गीकरण है। क्या केवल किसी सामग्री पर यू , यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+ एवं ए (वयस्क) लिख देना ही पर्याप्त है?

शिकायत निवारण के अंतर्गत शिकायत किसी सामग्री, किसी मध्यस्थ या प्रकाशक के किसी कर्तव्य या किसी मध्यस्थ के कंप्यूटर संसाधन से संबंधित अन्य मामले हैं। शिकायत निवारण के लिए भी तीन स्तर बनाए गए हैं। पहले में प्रकाशकों द्वारा स्व- नियमन, दूसरे में प्रकाशकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व- विनियमन और तीसरे में निरीक्षण तंत्र की बात कही गई है। क्या ये प्रावधान केवल दिखावटी नहीं है? यदि ये प्रभावी होते तो क्या विभिन्न प्लेटफार्म पर अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित होती? और यदि हो रही है तो उसके लिए किसे, क्या दंड मिला? नियम 2021 और अन्य प्रविधानों से यह भी लगता है कि ये नियम कठोर दंड के प्रावधान के बिना प्रभावी नहीं हो सकते? नियम में स्व नियमन की अपेक्षा करना और सरकार द्वारा प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण न करने के निर्देश व्यर्थ हैं। डिजिटल मंचों पर अश्लीलता, हिंसा और अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तत्काल नया कठोर दंडात्मक कानून

(ये लेखक के अपने विचार हैं। लेखक किरोड़ीमल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ है केंद्र सरकार!

कमलेश पांडेय

जब राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार ही गंभीर नहीं है, तब इसे रोकवा पाना न्यायपालिका के लिए कतई संभव नहीं है। चूंकि केंद्र सरकार अपने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर हर फैसले लेती है, इसलिए बेलगाम नेताओं को कानूनी नजरिए से बांधने की अधिकांश न्यायिक पहल भी बेकार चली जाती है। सच कहूं तो नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है।

ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद केंद्र सरकार ने ही दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। इससे सरकार की 'बदनीयती' समझ में आती है। एक तो वह समय रहते ही कानून नहीं बनाती है और दूसरे जब इसकी मांग उठती भी है तो अपने पूरे सियासी गिरोह की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है।

तभी तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस तरह की अयोग्यता तय करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि अर्जी में जो अनुरोध किया गया है, वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है। चूंकि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े ऐसे अन्य कानून बनाने का अधिकार दिया है, जिसे बनाना

वह सही समझता हो।

सरकार के मुताबिक, संसद के पास अयोग्यता के आधार और उसकी समयसीमा, दोनों तय करने की शक्ति है। ऐसे में आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का तर्क है कि कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार तय होते हैं। लिहाजा, सजा के असर को एक समय सीमा तक सीमित रखना कोई असंवैधानिक बात नहीं है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधानसभा या विधानपरिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता से सम्बन्धित है।

अपने हलफनामे में केंद्र ने रेखांकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह कहा है कि एक विकल्प या दूसरे पर विधायी विकल्प के असर को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में इस विषय पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है ! इसलिए कोर्ट विवेकसम्मत व न्यायसंगत निर्देश दे। बता दें कि वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, किसी भी नेता को सजा होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाता है। इसलिए केंद्र ने कहा है कि उक्त धाराओं के तहत आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा।

इस प्रकार सरकार ने कोर्ट के समक्ष तीन बातें स्पष्ट कर चुकी है। पहला यह कि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया है। दूसरा यह कि यह न्यायिक समीक्षा से जुडी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। और, तीसरा यह कि दोषी राजनेताओं पर आजीवन बैन सही है या नहीं, यह सवाल पूरी तरह से संसद के दायरे में आता है।

इससे साफ है कि सरकार में शामिल राजनीतिक नेतृत्व अपने दूरगामी राजनीतिक हितों के दृष्टिगत राजनेताओं के खिलाफ सही और तर्कसंगत कानून भी नहीं बनने देता है और जब जब ऐसी बात उठती है तो वह तमाम तरह के किंतु-परन्तु करता है। यही वजह है कि हमारी संसद में गरीबों को छोड़कर हर तरह के लोग मिल जाएंगे। गम्भीर अपराध और चरित्रहीनता के आरोपी भी ! 'दंगाई' और 'देशद्रोही' भी ! क्योंकि कानून राजनेताओं के पक्ष में है, जिसका ये भरपूर लाभ उठाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट्स इस बात की पूरी चुगली करती है।

लिहाजा, यह एक गम्भीर प्रशासनिक विडंबना है, संवैधानिक त्रासदी है और समाज में बढ़ते अपराधिक और राजनीतिक मनमानी की सबसे बड़ी वजह भी है। ऐसा इसलिए कि राजनेताओं के खिलाफ यथोचित कानूनों की कमी है। कई मामलों में उन्हें अनैतिक संरक्षण भी विशेषाधिकार के तौर पर हासिल है। ऐसे सभी मामलों में सत्ता पक्ष-विपक्ष चोर चोर मौसेरे भाई की तरह काम करते हैं।

इसलिए भ्रष्ट और दोषी नेताओं के खिलाफ उतनी मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो पाती है, जितनी कि आम जनता के खिलाफ तुरंत हो जाती है। क्या अमृतकाल में यह प्रवृत्ति बदलेगी या फिर लोकतांत्रिक हलाहल भी जनता को ही पीने के लिए अभिशप्त रहना होगा, यक्ष प्रश्न है। खासकर लगातार तीन बार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई एनडीए के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को इससे बचना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक सुधार के लिए उससे जनता को बहुत उम्मीदें है। ●

(लेखक के व्यक्त विचार अपने हैं)

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आगे की डगर कठिन

तमाल बंद्योपाध्याय

सिटी यूनियन बैंक, कर्णाटका बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड और पंजाब एवं सिंध बैंक में एक जैसा क्या है? जवाब है इन सभी की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए), जो कम से कम 1 प्रतिशत हैं। ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कुछ अन्य बैंकों में एनपीए केवल 0.5 प्रतिशत है। एनपीए का यह आंकड़ा सूचीबद्ध यूनिवर्सल बैंकों के दिसंबर तिमाही के नतीजों से लिया गया है।

जहां तक सकल एनपीए की बात है तो बंधन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड और पंजाब नैशनल बैंक में सकल एनपीए कम से कम 4 प्रतिशत है और ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक में एनपीए 1.5 प्रतिशत से कम है। वित्त वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही में अच्छी बात यह रही है कि ऐसे बैंकों की संख्या अधिक रही है, जिनका सकल एवं शुद्ध एनपीए प्रतिशत कम रहा है। यह बात और है कि पूरे आंकड़े देखने पर निजी बैंकों की सकल एनपीए सितंबर तिमाही की 1.35 लाख करोड़ रुपए से मामूली बढ़कर दिसंबर में 1.39 लाख करोड़ रुपए हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.37 लाख करोड़ रुपए थी।

शुद्ध एनपीए में भी यही रुझान देखा जा रहा है, जो दिसंबर तिमाही में बढ़कर 36,260 करोड़ रुपये हो गई। यह सितंबर में 34,843 करोड़ रुपये और दिसंबर 2023 में 33,116 करोड़ रुपए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी फंसे ऋणों की मात्रा कम हो रही है। उनमें दिसंबर 2023 तिमाही में 4.93 लाख करोड़ रुपए सकल एनपीए थी, जो सितंबर तिमाही में कम होकर 4.57 लाख करोड़ रुपये रह गई। यह दिसंबर 2024 में और कम होकर 4.44 लाख करोड़ रुपए रही। शुद्ध एनपीए भी दिसंबर 2020 के 1.12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से कम होकर सितंबर 2024 में 99,675 करोड़ रुपये रह गई। दिसंबर 2024 में यह और भी घटकर 99,556 करोड़ रुपए तक आ गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेहन या जमानत के बगैर दिए जा रहे पर्सनल लोन में तेज इजाफा देखकर इसमें कमी लाने के उपाय किए थे, जो कारगर होते दिख रहे है। नवंबर 2023 में केंद्रीय बैंक ने ऐसे कर्ज पर जोखिम भार बढ़ा दिया, जिससे बैंकों के लिए इस तरह का कर्ज देना महंगा हो गया क्योंकि उन्हें इसके लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ रही है। इससे पर्सनल लोन श्रेणी में एनपीए काबू में आ रही है।

दिसंबर तिमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों की शुद्ध ब्याज आय दिसंबर 2023 तिमाही के मुकाबले 8.88 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपए हो गई। सितंबर 2024 तिमाही के मुकाबले इसमें 1.51 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शुद्ध ब्याज आय एक साल पहले की तुलना में 5.44 प्रतिशत बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपए

हो गई मगर सितंबर 2024 तिमाही के मुकाबले इसमें 1.06 प्रतिशत बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। बैंक कर्ज पर जो ब्याज कमा रहे होते हैं, उसमें से जमा पर दिया जा रहा ब्याज घटाने पर उनकी शुद्ध ब्याज आय निकल आती है।

दिसंबर तिमाही में निजी बैंकों की अन्य आय भी दिसंबर 2023 से 10.2 प्रतिशत बढ़ी मगर सितंबर 2024 की तुलना में यह 1.7 प्रतिशत गिर गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में साल भर पहले से 14.04 प्रतिशत और एक तिमाही पहले से 18.64 प्रतिशत तक तेजी देखी गई। अन्य आय में फीस, कमीशन और ट्रेजरी आय शामिल होती हैं।

दिलचस्प बात कि निजी बैंकों ने पिछले साल फंसे ऋणों के लिए जितनी रकम का प्रोविजन या इंतजाम किया था वह साल भर पहले के मुकाबले भी बढ़ी और एक तिमाही पहले के मुकाबले भी। मगर इसमें किसी साफ रुझान का पता नहीं चल रहा है। दिसंबर 2023 तिमाही में निजी बैंकों ने ऐसे कर्ज के लिए 10,997 करोड़ रुपए रखे थे, जो सितंबर 2024 तिमाही में बढ़कर 13,134 करोड़ रुपए हो गए और दिसंबर 2024 तिमाही में उन्हें 14,149 करोड़ रुपए का प्रोविजन करना पड़ा। सार्वजनिक बैंकों ने दिसंबर 2023 तिमाही में 12,495 करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में 16,445 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था मगर दिसंबर 2024 तिमाही में रकम घटकर 10,193 करोड़ रुपए ही रह गई।

बैंकों के कुल परिचालन मुनाफे की बात करें तो दिसंबर तिमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 10.6 प्रतिशत बढ़कर 75,315 करोड़ रुपए हो गया, जो सितंबर में खत्म तिमाही की तुलना में सपाट ही था। प्रोविजन के बाद शुद्ध मुनाफा साल भर पहले से 3.97 प्रतिशत बढ़कर 46,374 करोड़ रुपए हो गया मगर एक तिमाही पहले की तुलना में 2.48 प्रतिशत की कमी आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिचालन मुनाफा दिसंबर तिमाही में 13.28 प्रतिशत बढ़कर 70,218 करोड़ रुपये हो गया मगर सितंबर तिमाही के मुकाबले यह 10.72 प्रतिशत फिसल गया। एक साल पहले की तुलना में इन बैंकों का शुद्ध मुनाफा 46.81 प्रतिशत बढ़कर 44,474 करोड़ रुपए रहा मगर एक तिमाही पहले से यह 2.36 प्रतिशत कम हो गया।

खत्म करने से पहले बैंकों के मुनाफे का आकलन करने वाले दो सबसे अहम पैमाने देख लेते हैं। ये हैं झ कुल जमा में सस्ते चालू एवं बचत खाते (कासा) का प्रतिशत और बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) शामिल हैं। बैंक जमा पर जितना ब्याज देते हैं और ऋण पर जो ब्याज कमाते हैं उनके अंतर का प्रतिशत ही यह मार्जिन होता है।

छह बड़े बैंकों - दो निजी और चार सरकारी बैंक - का कासा अनुपात दिसंबर तिमाही में मामूली बढ़ा है। येस बैंक का कासा 32 प्रतिशत से बढ़कर 33.1 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कासा 32.72 प्रतिशत से बढ़कर 33.43 प्रतिशत हो गया। पंजाब ऐंड सिंध बैंक के लिए यह 30.43 प्रतिशत से बढ़कर 31.16 प्रतिशत और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 42.44 प्रतिशत से बढ़कर 43.37 प्रतिशत हो गया। आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को छोड़कर सभी बैंकों का कासा अनुपात दिसंबर तिमाही में साल भर पहले से कम रह गया।

इस बीच ज्यादातर बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन दिसंबर तिमाही में कम रहा है, जिसे बैंक द्वारा बांटे गए ऋण से जोड़कर देखा जाता है। अगर असुरक्षित ऋण श्रेणी में किसी बैंक की हिस्सेदारी ज्यादा होती है तो उसका शुद्ध ब्याज मार्जिन अधिक रहता है मगर उसे ऋण की लागत या परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है।

नीतिगत दर में 25 आधार अंक की कटौती के बाद बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर और असर पड़ सकता है। सभी खुदरा ऋण रीपो रेट से जुड़े होते हैं। रीपो रेट में कमी से बैंक ऐसे ऋणों पर ब्याज कम कर रहे हैं मगर रकम जुटाने पर उनका खर्च कम नहीं हुआ है क्योंकि वे जमा पर ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। कंपनियों को आवंटित ऋण रकम जुटाने पर आ रही बैंकों की लागत से जुड़े होते हैं। बैंक जमा पर अपनी लागत संभालने के लिए कंपनियों के लिए कर्ज महंगा कर रहे हैं। जब तक बैंकों में जमा रकम पाने की होड़ लगी रहेगी तब तक बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन दबाव में रहेगा।

शेयर बाजार में तेज गिरावट और म्युचुअल फंड निवेश में कमी को देखते हुए कुछ बैंकों को जमा बढ़ने की उम्मीद दिखने लगी है। मगर फिलहाल स्थिति साफ होने का इंतजार ही किया जा सकता है। ●

संकट में तंदूरी रोटी

सुशील मिश्र

मुंबई की बिगड़ती हवा की सेहत को दुरुस्त करने के लिए अदालत ने आंखें तरेरी तो प्रशासन ने मुंबई में होटलों, रेस्तरां और ढाबों में तंदूर रोटियां बनाने के लिए तंदूर कोयला भट्ठी के उपयोग पर बैन लगाने का फरमान जारी कर दिया। तंदूर भट्ठी बंद करने के फरमान से तंदूरी रोटी और कबाब के शौकीन बेहतरीन स्वाद की विदाई के आहट से परेशान है। वहीं होटल कारोबारी और चारकोल (लकड़ी कोयला) व्यापारी लामबंद होकर पुनर्विचार की गुहार लेकर अदालत की चौखट पर पहुंच गए।

दरअसल बंबई उच्च न्यायलय ने 9 जनवरी को आदेश जारी करके सभी दुकानों को 8 जुलाई तक स्वच्छ ईंधन का विकल्प अपनाने को कहा। अदालत के आदेश के बाद मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर से सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस जारी करके तंदूर भट्ठी बंद करने को कहा गया और होटल मालिकों और संचालकों को इलेक्ट्रिक भट्ठियों के विकल्प का सुझाव दिया। बीएमसी की इस कार्रवाई पर कुछ होटल मालिकों ने नाराजगी जताई है। कुछ लोगों का कहना है कि कोयले की भट्ठियां बंद करने से तंदूर रोटी का स्वाद बदल जाएगा। जबकि पारंपरिक तंदूरों के बिना कबाब अपना वजूद खो सकते हैं।

इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (आहार) के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा कि अदालत के निर्णय में कहीं भी रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं है, इसके बावजूद बीएमसी अधिकारी रेस्टोरेंट को नोटिस भेज रहे हैं। इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। आहार के पूर्व अध्यक्ष निरंजन शेट्टी कहते हैं कि बीएमसी और प्रदूषण बोर्ड अपनी नाकामी छुपाने के लिए होटल कारोबारियों को निशाना बना रही है। अदालती आदेश में चारकोल का जिक्र न होने के बावजूद इसको प्रतिबंधित करके वह अदालत को यह बताना चाह रहे हैं कि हमने प्रदूषण कम कर दिया जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाहनों और निर्माण परियोजनाओं से हो रहा है उन पर ध्यान न देकर होटल कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। शेट्टी कहते हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल के लिए कहा जाता है तो प्रशासन को इसमें मदद भी करनी चाहिए। प्रतिबंध के साथ विकल्प भी देना होगा। गैस भट्ठी या बिजली की भट्ठी लगाने के लिए जो खर्च आएगा इसमें सरकार क्या मदद करने वाली है वह स्पष्ट करें।

तंदूर भट्ठी बंद करने को लेकर होटल मालिकों में भी अलग अलग राय है। एक तरफ छोटे और मझोले होटल मालिक बीएमसी के फरमान को

गैरजिम्मेदाराना करार दे रहे हैं वहीं बड़े होटल कारोबारी पर्यावरण के नाम पर इसका समर्थन कर रहे हैं । फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के अध्यक्ष भरत मलकानी कहते हैं कि हम अदालत और प्रदूषण बोर्ड की चिंता को समझते हैं उनके कदम का समर्थन भी करते हैं क्योंकि होटलों में जिस कोयला का उपयोग किया जाता है वह लकड़ी से तैयार किया जाता है। लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है जिससे हरियाली कम हो रही है। हम अदालत और प्रशासन से तोड़ा समय चाहते हैं ताकि कोयले भट्टी को गैस या इलेक्ट्रिक भट्टी में बदला जा सके। इसके लिए चार से छह महीने का समय चाहिए ।

तंदूरी भट्टी में पर प्रतिबंध से सबसे ज्यादा चारकोल (लकड़ी कोयला) के कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। उनका तर्क है कि बीएमसी अदालत के आदेश को पूरी तरह समझे बिना यह प्रतिबंध लगा रहा है। द बॉम्बे चारकोल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह कहते हैं कि अदालत ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी और प्रदूषण बोर्ड को कदम उठाने को कहा तो वह तंदूर भट्टी को प्रतिबंधित करने का फरमान जारी कर दिया जबकि तंदूर भट्टियों में लकड़ी का कोयला इस्तेमाल होता है इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि यह लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है और मुंबई में कोयला बनाया नहीं जाता है । कोयला ईंधन का काम करता है और इसकी राख भट्टी के नीचे बैठ जाती है जिसके कारण इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है।

कई पीढ़ियों से चारकोल के व्यवसाय से जुड़े पारस बोरा जो चारकोल एसोसिएशन के सदस्य भी है, वह कहते हैं दरअसल अदालत ने पत्थर कोयले पर रोक लगाने को कहा है जबकि तंदूर भट्टियों में लकड़ी का कोयला इस्तेमाल होता है। यह कोयला बबूल की लकड़ी तैयार किया जाता है जिस-ाकी परमिशन है। चारकोल सब प्रोडक्ट है इससे प्रदूषण नहीं होता है। इस बात को समझे बिना बंद का फरमान जारी कर दिया गया। इसलिए हमने अदालत में पुनर्विचार याचिका जारी की है ताकि अदालती आदेश में स्पष्टी कारण आ सके। अदालत ने लकड़ी जलाने पर रोक लगाने को कहा है लकड़ी का इस्तेमाल तंदूर भट्टियों में नहीं होता है इसका इस्तेमाल बेकरी में किया जाता है।

वह कहते हैं कि चारकोल बनाने में छायादार या फलदार अथवा उपयोगी वृक्षों की कटाई नहीं होती है और सरकार की तरफ जिन जंगली पेड़ों की कटाई की परमिशन है। इसकी लकड़ी से चारकोल बनाया जाता है। यह प्रदूषण का नहीं बल्कि नासमझी का मुद्दा है। दिल्ली जैसे शहर ज्यादा प्रदूषण है फिर भी वह चारकोल (कोयला) के इस्तेमाल की अनुमति है, जबकि मुंबई में प्रतिबंधित कर दिया। हम इससे संबंधित जानकारी और कानूनी सलाह ले रहे हैं जल्द ही न्यायालय में पुनर्विचार की अपील करेंगे। इस क्षेत्र में जुड़े लोगों के रोजी रोटी का सवाल है।

तंदूर भट्ठियों में जो कोयला इस्तेमाल होता वह बबूल की लकड़ी से तैयार किया जाता है जिसे जलाऊ लकड़ी के श्रेणी में रखा गया है। मुंबई में मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से चारकोल आता है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र के होटलों और रेस्त्रां में हर दिन करीब 100 टन से ज्यादा कोयला लगता है। इस समय मुंबई में कोयला का भाव 20 रुपये से 25 रुपये प्रति किलोग्राम है।

मुंबई की कई पारंपरिक बेकरी लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करके चलती हैं । न्यायालय के फैसले के कारण उन्हें बंद करने का समय आ गया है। इससे बेकरी व्यवसायियों पर आर्थिक संकट आ गया है। फिलहाल वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इंडिया बेकर्स एसोसिएशन के अनुसार वैकल्पिक ईंधन पर भट्ठी बदलने के लिए कम से कम एक महीने के लिए बेकरी बंद रखनी पड़ेगी। साथ ही बिजली पर चलने वाली भट्ठियों का खर्च वहन करना मुश्किल है और गैस आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।

बेकरी पर मंडरा रहे संकट का असर मुंबईकरों के पसंदीदा व्यंजन पाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। महीने भर के लिए बेकरी बंद होती हैं तो पाव की आपूर्ति कम होगी। आपूर्ति कम होने पाव महंगा भी होगा। बेकरी व्यवसायियों के अनुसार, गैस या बिजली पर चलने वाली भट्ठियों का विकल्प इतनी जल्दी खड़ा नहीं किया जा सकता है। गैस पर चलने वाली भट्ठियों के लिए बड़े पैमाने पर सिलेंडर स्टोर करने की जरूरत होगी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकता है। पीएनजी गैस लाइन हर गली में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था तुरंत करना मुश्किल है। इसलिए बेकरी कारोबारी सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। वह वैकल्पिक ईंधन के लिए आर्थिक मदद और अनुदान देने का आग्रह किया है। ●

चुनाव पूर्वानुमान का समाधान?

अशोक कुमार लाहिड़ी

भारत में पिछले दो दशकों से लोक सभा चुनावों के नतीजे पूर्वानुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं। और कई बार तो एकदम उलट नतीजे आए हैं। चुनावों के दौरान सर्वेक्षण करने वाले लगभग सभी लोगों ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत का दावा किया था। लेकिन इसका उलटा हुआ। और कांग्रेस की अगुआई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सत्ता में आ गई। पांच साल बाद 2009 में संप्रग की प्रचंड जीत के दावे किए गए थे। लेकिन सबको धता बताते हुए त्रिशंकु लोकसभा सामने आई। 2014 में भी ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की जबरदस्त जीत का अनुमान नहीं लगा पाए थे।

2019 में ज्यादातर सर्वेक्षण राजग की चुनावी लहर कमजोर पड़ने और बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने की बात कह रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल में उसे 300 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। और ऐसा हुआ भी। इससे सर्वेक्षणकताओं को कुछ हद तक अपनी इज्जत और साख बचाने में मदद मिल गई। मगर बची-खुची साख 2024 में खत्म हो गई। उस साल ज्यादातर अनुमान राजग को 362 से 411 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिलने के थे। लेकिन गठबंधन 293 सीटों पर सिमट गया।

हाल के विधानसभा चुनावों में भी अनुमान बहुत गलत साबिह हुए। दिल्ली में 2013, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए। 2013 में सबने आम आदमी पार्टी (आप) को बढ़त मिलने का अनुमान तो लगाया था। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि पार्टी कुल 70 में से 28 सीट जीत लेगी। 2015 और 2020 में आप की जीत का अंदाजा सबको था। लेकिन चुनाव पंडितों को 67 और 62 सीट मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इस साल के विधानसभा चुनावों में भी यही गलती दोहराई गई। इस बार दांव उल्टा पड़ गया। क्योंकि उन्हें आप की इतनी करारी हार (62 से घटकर केवल 22 सीट) और भाजपा की इतनी प्रचंड जीत (8 सीटों से उछलकर 48 सीट) का अनुमान तो बिल्कुल नहीं था।

बिहार में 2015, उत्तर प्रदेश में 2017, छत्तीसगढ़ में 2023 और हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनावों में भी यही कहानी दिखी। 2015 में ज्यादातर सर्वेक्षणकर्ता बिहार में राजग के खिलाफ महागठबंधन की बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगा पाए। और 2017 में वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी जीत का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। चुनावी पंडितों को 2023 में छत्तीसगढ़ और 2024 में हरियाणा में भाजपा की जीत होती नहीं दिख रही थी।

हैरत की बात है कि पिछले कुछ साल में कई एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं। मतदान से पहले हुए सर्वेक्षणों में वे लोग भी शामिल होते हैं, जो बाद में किसी न किसी कारण वोट नहीं डाल पाते। मगर एग्जिट पोल में उन्हीं लोगों की राय पूछी जाती है, जो मतदान केंद्रों से वोट डालकर निकल रहे होते हैं। कई बार मतदाताओं का मन बाद में बदल जाने पर भी सर्वेक्षण खोखले साबित होते हैं। एग्जिट पोल में यह समस्या भी नहीं रहती। इसलिए माना जाता है कि चुनावी नतीजों का अनुमान लगाने में जनमत सर्वेक्षणों के मुकाबले एग्जिट पोल ज्यादा सटीक होते हैं।

जनमत सर्वेक्षण अनुमान आधारित होते हैं और अमेरिका समेत कई देशों में भी गलत साबित हो चुके हैं। यहां तक की गैलप पोल शुरू करने वाले जॉर्ज होरास गैलप भी 1948 में गलत साबित हुए। उस साल गैलप और दो अन्य बड़े सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया कि रिपब्लिकन पार्टी के थॉमस ड्यूई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के हैरी ट्रूमैन को परास्त कर देंगे। लेकिन उनका अनुमान सही नहीं रहा। गैलप ने 1936 में लोगों की राय के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाना शुरू किया था। वहां कई अन्य राष्ट्रपति चुनावों में भी सर्वेक्षण गलत साबित हो चुके हैं।

जब सर्वेक्षण लगातार गलत होते हैं तो उन्हें करने वालों पर तंज कसे जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता एवं समझ-बूझ पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सर्वेक्षण में लिए गए नमूनों में खामी होने और अनुमान लगाने की गलत विधि अपनाने के आरोप भी लगते हैं। कभी-कभी तो उन पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लग जाता है। मगर उन्हें फर्जी सर्वेक्षण के लिए लुभाने वाले कारण ठीक नहीं लगते। बेहतर नतीजे का पूवार्नुमान किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और चुनाव अभियान में भी ऊर्जा आ जाती है। इससे प्रभावित होकर लोग भी संभावित विजेता के पक्ष में वोट डाल सकते हैं क्योंकि कोई भी अपना वोट उसे देकर बरबाद नहीं करना चाहता, जिसका हारना तय लग रहा हो। लेकिन यह भी सच है कि सर्वेक्षणकर्ता इस व्यवसाय में लंबे समय तक टिकने और काम बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए वे खास तौर पर मतदान की तारीख के आसपास गलत पूवार्नुमान देकर अपनी साख दांव पर लगाना नहीं चाहेंगे।

फर्जी एग्जिट पोल के पीछे कोई ढंग की मंशा तलाश पाना तो और भी मुश्किल लगता है। एग्जिट पोल के पूवार्नुमान में किसी भी तरह की चूक 72 घंटे के भीतर सामने आ जाती है क्योंकि उस समय तक वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। इसकी एक ही वजह हो सकती है और वह है शेयर बाजार को प्रभावित करना। मिसाल के तौर पर बाजार के अनुकूल रुख वाली पार्टी के जीतने की संभावना हो, तो दूसरी पार्टी के पक्ष में अनुमान जता दीजिए। शेयर गिर जाएंगे और असली नतीजे आने से पहले सस्ते शेयर खरीदने का मौका मिल जाएगा। नतीजे आने पर बाजार उफनेगा, तब ये शेयर बेचकर तगड़ी कमाई कर लीजिए। मगर यह पैंतरा भी एक या दो बार ही आजमाया जा सकता है क्योंकि इसमें पकड़े जाने का डर रहता है।

पिछले कुछ सालों में जनमत सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल को गलत अनुमान लगाने से रोकने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जिनमें उन पर पूरी तरह रोक लगाना या कड़े कायदे बनाना शामिल है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जैसे कुछ 'संदिग्ध' सर्वेक्षणों के अंदेशे से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें संविधान में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। और भरोसा रखना चाहिए कि सर्वेक्षण देखने वाले अपनी समझदारी से दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे।

कुछ नियम बनाए जा सकते हैं मसलन सर्वेक्षण करने वाली संस्था के मालिक, पते-ठिकाने, अनुभव आदि की जानकारी मांगी जा सकती है। उसके बाद हमें इंतजार करना चाहिए ताकि सर्वेक्षण करने वाले काम करने का तरीका सुधारें, मत प्रतिशत का अनुमान लगाने में चूक कम करें और उसके बाद मत प्रतिशत को सटीक ढंग से सीटों में तब्दील करें। चुनाव की भविष्यवाणी करने की यह कला, यह विज्ञान भारत में अभी नया है। राजनीति विज्ञान, सांख्यिकी और नमूने इकट्ठे करने में माहिर लोगों के योगदान से यह समय के साथ मंझता जाएगा। ●

(लेखक अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य हैं)

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का शानदार रहा साहित्यिक महोत्सव

कई प्रकाशकों ने की भागीदारी

प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के मेम्बरों की पुस्तकों की भी रही धूम

'बेटी: एक ग़ज़ल' पर ए आर आज़ाद ने की चर्चा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अपनी भागीदारी का दायरा बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च, 2025 तक तीन दिनों का प्रेस क्लब में साहित्यिक आयोजन किया गया है। यह साहित्यिक आयोजन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर महोत्सव में बदल गया। इस साहित्यिक महोत्सव में कई प्रकाशकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और कई गंभीर और चर्चित गरम मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी हुई। 'प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करे मीडिया संस्थान' जैसे विषयों पर भी खुलकर चर्चा हुई। इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय का इज़हार किया। इस विषयक चर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार ने किया।

इस मौके पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष अनंत नाथ भी मौजूद थे। और उन्होंने भी अपने विचारों से लोगों को रूबरू कराया।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव नीरज कुमार ने ज़ोर डालते हुए कहा कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, जो पत्रकारों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को क़ानूनी, वित्तीय और पेशेवर सुरक्षा देने के लिए संगठन की ज़रूरत है।

इसके अलावा 'मीडिया और क़ानून' विषय पर चर्चा का एक सत्र चला।

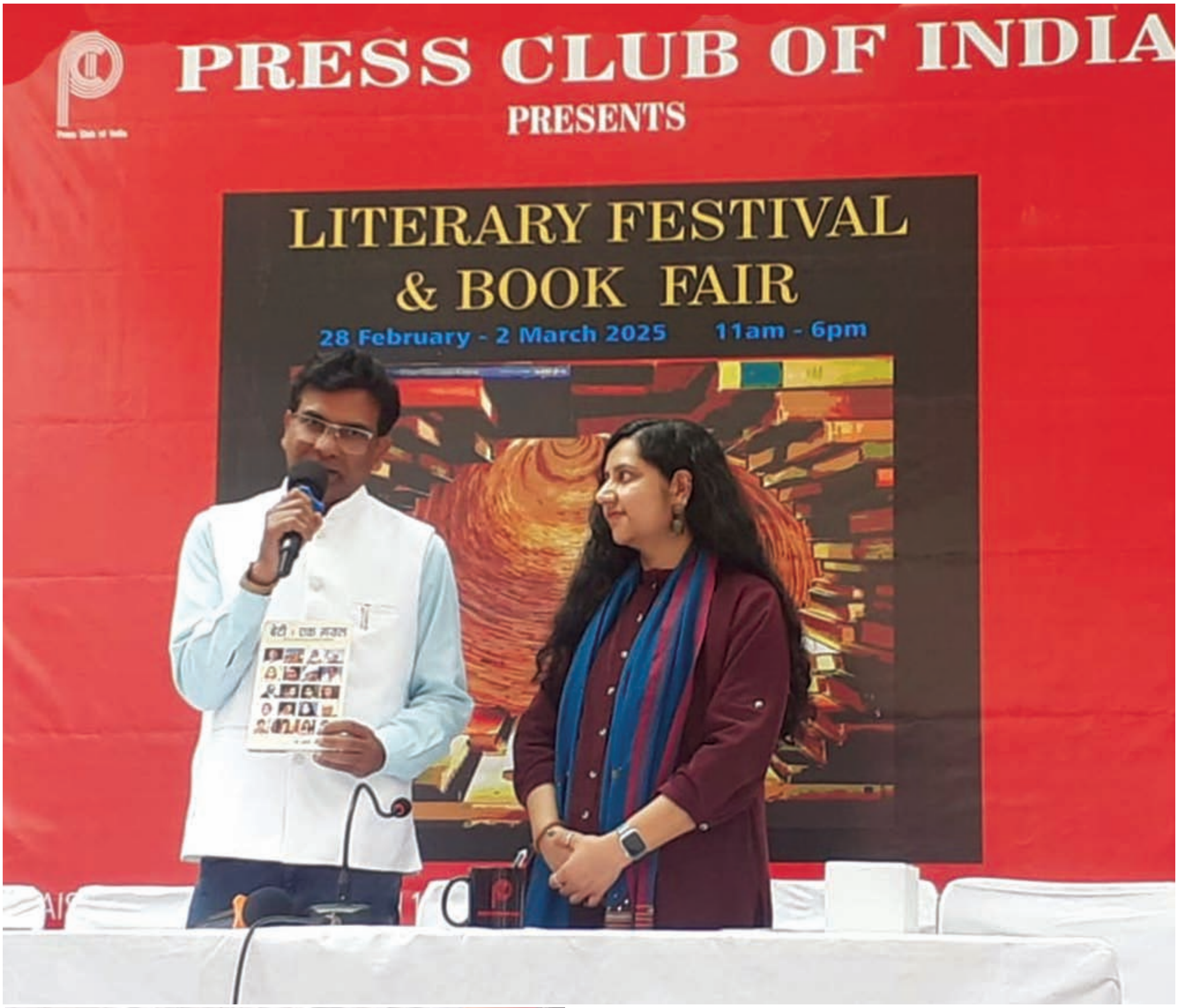

सत्र के दौरान आगंतुक सत्र में भी भाग लेते रहे। और प्रवाहित व प्रभावित कर रहे विचारों के बीच पुस्तक स्टॉल पर भी अपनी दृष्टि गड़ाए रहे। पुस्तकों की ख़रीददारी करते रहे। और एक दूसरे से मिलते हुए चाय की चुस्की भी लेते रहे।

प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी ने इस महोत्सव की कामयाबी पर खुलकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आगे हम आयोजन को विस्तार देंगे। और आने वाले वर्षों में इसे और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे।

पुस्तक महोत्सव पर अपनी राय ज़ाहिर करते हुए प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह साहित्यिक समारोह से हमारी सार्थक भूमिका खुले मंच पर आई है। इस अवसर पर की गई चर्चाएं काफ़ी सार्थक रहीं। और इस आयोजन ने हर साल इसे करने के हमारे इरादे को और मज़बूत किया है। यह बेहतरीन पहल थी, जो सार्थक और सफल रही।

इस पुस्तक महोत्सव में 18 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। इस

पुस्तक महोत्सव का सबसे बड़ी ख़ूबी ये रही कि इस महोत्सव में प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के सदस्यों की भी प्रकाशित पुस्तकों को रखा गया। इसके लिए अलग से स्टॉल लगाए गएं। प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के सदस्यों और साहित्यकार-पत्रकारों की लगभग एक दर्जन से अधिक नवीन पुस्तकों का विमोचन भी हुआ।

इस अवसर पर 'दूसरा मत' के संपादक और वरिष्ठ साहित्याकार एवं तीस से अधिक मौलिक पुस्तकों के रचयिता ए आर आज़ाद की 11 पुस्तकें भी इस महोत्सव का हिस्सा बनीं। इस मौक़े पर ए आर आज़ाद ने अपनी सर्वाधिक चर्चित एवं सर्वमान्य पसंदीदा पुस्तक 'बेटी : एक ग़ज़ल' पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की। पुस्तक के संदर्भ में सम्मानित पत्रकारों, संपादकों, साहित्यकारों, विद्वानों, साहित्य एवं सांस्कृतिक मनीषियों के बीच कहा कि 'बेटी : एक ग़ज़ल' अब तक की एक नायाब ग़ज़ल की पुस्तक है। इस पुस्तक में जो प्रयोग किए गए हैं, वे प्रयोग अब तक देश क्या दुनिया में भी नहीं हुआ है। एक ही रदीफ़ और काफ़िया में समान मात्रा पर पूरी की पूरी ग़ज़ल हैं। इसमें कुल 530 अशआर हैं। और इतने अशआर बेटी पर देश के कुल शायरों के अशआर को मिला भी दिया जाए, तो कम पड़ जाएंगे। इस पुस्तक में बेटी को बड़े ही स्ट्रोंग तरीक़े से बताया गया है।

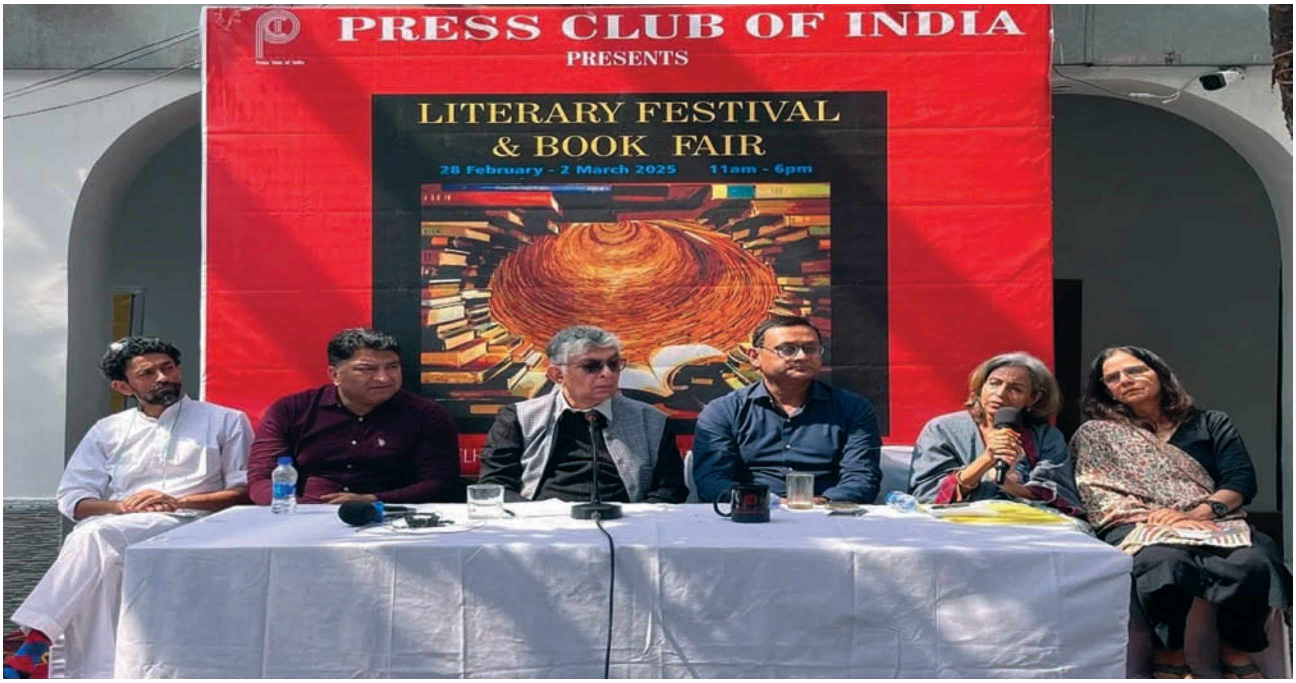

इस पुस्तक में बेटी कहीं से और कोई कमज़ोरी बनकर सामने नहीं आई है। इस पुस्तक की भूमिका में देश के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार डॉ विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है,- ''आज़ाद साहब की इस पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुआ। एक ही विषय पर लिखने में बड़ा खतरा होता है। कुछ सामग्री भरती की देनी होती है। लेकिन आज़ाद साहब की इस पुस्तक में मुझे कोई भी शेर भरती का नहीं मिला। यह किताब हिन्दी ग़ज़ल के साहित्य में एक नयापन लाती है। और ग़ज़ल के रीतिकालीन यानी रुग्न या कोठे से उतारकर सामान्य भारतीय परिवार के आत्मीय परिवेश में ला देती है।''

इसलिए जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो सहसा बेटी के गुण और उसकी अहमियतें आपकी आंखों के सामने सौंदर्य-बोध के साथ आन-बान और शान से सामने मौजूद नज़र आएंगी। इसलिए आप लोग बेटीः एक ग़जल को पढ़ने के लिए अब तैयार हो जाएं। ●

सैयद असद आज़ाद

महिलाओं के समावेशन की जमीनी सच्चाई

रमा बिजापुरकर

देश के सभी हवाई अड्डों पर पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग-अलग सुरक्षा जांच और बॉडी स्कैनिंग की व्यवस्था है। अधिकतर देशों में ऐसा नहीं है। वहां सभी लोग एक ही स्कैनर वाली चौखट से गुजरते हैं। हां, अगर किसी महिला की और जांच की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए महिला सुरक्षाकर्मी होती हैं। मगर यह जांच खुले में ही की जाती है।

भारत के हवाई अड्डों पर हर किसी की अलग-अलग जांच की जाती है और इसके लिए हाथों में पकड़े जाने वाले स्कैनर का इस्तेमाल होता है। महिलाओं की जांच के समय शायद उनके स्त्री होने का खास ध्यान रखा जाता है और इसीलिए यह काम पर्दे के भीतर किया जाता है। वहां लगे पर्दे को दिन में हजारों बार हाथ से खोला-बंद किया जाता है। इस कारण महिला सुरक्षाकर्मियों को पुरुष कर्मियों के मुकाबले ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। यह मेहनत और भी बढ़ गई है क्योंकि अब छोटे-बड़े सभी हवाई अड्डों पर महिला मुसाफिरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।

महिला सुरक्षाकर्मी इस तरह की बेकार और थकाऊ कवायद करती हैं मगर इसके लिए उन्हें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वेतन नहीं मिलता। हैरत की बात यह है कि कभी किसी ने उन्हें इस मेहनत से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। किसी को यह ख्याल ही नहीं आया कि इस बेकार की कवायद और मेहनत को खत्म करने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जा सकती है या पर्दों के बजाय नई तरह का सुरक्षा जांच कमरा तैयार किया जा सकता है।

हाथ में पकड़े जाने वाले स्कैनर शरीर से उचित दूरी पर रखे जाते हैं और उनके इस्तेमाल के समय दुपट्टा या साड़ी का पल्लू हटाने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में सुरक्षा के उस पर्दे वाले घेरे को खत्म किया जा सकता है और इसमें किसी की गरिमा कम भी नहीं होगी। यह काम ज्यादा दुस्साहसी लग रहा हो तो एक और कारगर तरीका है। उसमें सुरक्षा वाले घेरे या कमरे को नए तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जिसमें पर्दे तो हट जाएं मगर निजता बनी रहे।

मैंने महिला सुरक्षाकर्मियों से कई बार पूछा है कि उन्होंने यह व्यवस्था बदलने की मांग क्यों नहीं की? एक ही जवाब मिलता है कि उन्होंने कई बार अपने पुरुष अधिकारियों से इस बारे में शिकायत की है मगर कोई तवज्जो नहीं देता। अगर यह कोई कारोबारी दिक्कत होती, जिससे नफा या नुकसान हो रहा होता या पुरुषों को परेशान करने वाली कोई बात होती तो अब तक इसे सुलझा दिया गया होता।

स्त्रियों के साथ भेद करने वाली या प्रतिकूल व्यवस्था कई तरह से

दिखती है। जब महिला यात्री हवाई अड्डों पर अलग और कम भीड़ वाली डिजि यात्रा सुरक्षा कतारों में जाना चाहती हैं तो अक्सर पुरुष सुरक्षाकर्मी उन्हें सलाह देते हैं, 'मैडम, आप लेडीज क्यू में चली जाना, यहां नहीं'। इससे गुजरा जमाना याद आता है, जब टॉयलेट पर भी पुरुष, महिला और एक्जिक्यूटिव (यानी पुरुष) लिखा होता था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि स्त्री-पुरुष को समान बरतने वाली कई पहल अच्छी मंशा मगर खराब या दकियानूसी सोच के कारण बेकार हो जाती हैं।

लंबे समय तक भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडलों यानी बोर्ड में महिलाएं नहीं होती थीं या महज एक महिला होती थी। अब कानूनी अनिवार्यता के कारण महिलाओं की उपस्थिति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और धीमी गति से ही सही महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते कुछ दशकों में कई बोर्डों में काम करने के बाद अब मैं ऐसी बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में हूं, जहां ज्यादातर निदेशक महिला हैं और चेयरपर्सन तथा प्रबंधन निदेशक की कुर्सी पर भी दो पेशेवर महिलाएं ही बैठी हैं। यह कमिंस इंडिया का बोर्ड है, जो फार्चून 500 की सूची में शामिल इंजीनियरिंग कंपनी कमिंस इंक की भारतीय सहायक कंपनी है। कमिंस इंक में भी चेयरपर्सन और सीईओ महिला ही हैं। क्या इस बोर्ड की बैठक कुछ अलग लगती हैं? बिल्कुल नहीं। हम दुनिया के किसी भी अन्य बोर्ड की तरह ही काम करते हैं। बोर्ड बैठकों में या लंच के समय होने वाली चर्चा भी कुछ अलग नहीं होतीं। फिर भी जब कमिंस इंक की ग्लोबल चेयरपर्सन और सीईओ जेनिफर रम्सी भारत आईं तो उन्होंने भारतीय बोर्ड के साथ रात्रि भोज में और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात में साड़ी ही पहनी। और मेरी पीढ़ी की महिलाएं 1980-90 के दशकों में विदेशी बैठकों में साड़ी पहनने से कतराती थीं।

अक्सर पूछा जाता है कि महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य बनाने वाले कानून के बाद भारतीय निदेशक मंडलों में क्या बदला है? ऐसे में 'महिला निदेशकों को प्रशिक्षण' देने का नया और तेजी से फलता-फूलता धंधा निराश करता है क्योंकि पुरुष निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। उम्मीद है कि बोर्ड प्रमुख ऐसे बोर्ड बनाने की पहल करेंगे, जहां कामकाज में महिलाओं की बराबर भागीदारी होगी। इसके लिए किसी बुनियादी बदलाव की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे तरीके बनाने हैं, जिसमें हर किसी को भागीदारी का और अपनी बात रखने का मौका मिले। मगर यह बदलाव किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठन का जिम्मा है।

अच्छी खबर यह है कि मनोनयन तथा वेतन तय करने वाली समितियां और बोर्ड सदस्य तलाशने वाली फर्में सक्षम निदेशक बनने योग्य महिलाएं तलाशने में जुटी हं और उन्हें पात्र महिलाएं मिल भी रही हैं। बुरी खबर यह है कि महिला उम्मीदवारों के चयन के समय पैमाने मुश्किल कर दिए जाते हैं। इसके बाद भी अच्छी खबर यह है कि क्षमतावान महिला स्वतंत्र निदेशकों की तादाद बढ़ रही है।

अंत में, चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल अब बोर्ड रूम में चेयरमैन के साथ खूब किया जाता है। हालांकि यह हमेशा स्त्रियों के लिए उतना समावेशी नहीं रहता, जितना सोचा गया होगा। अरसा पहले एक बड़े सार्वजनिक उपक्रम की कार्यकारी चेयरमैन चुनी गई एक महिला से पूछा गया कि वह खुद को 'चेयरपर्सन' क्यों नहीं कहतीं? जवाब था कि इससे कंपनी में कई लोगों को लग सकता है कि उन्हें असली काम नहीं बल्कि कुछ हल्का काम दिया गया है। खुद को चेयरपर्सन के बजाय चेयरमैन कहलाकर वह स्त्रियों को वाकई में ताकतवर दिखा पाती हैं। ●

15 लाख महिलाओं ने लगाया 2700 करोड़ का चूना

सुशील मिश्र

मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना का लाभ लेने वाली प्रत्येक महिला के आवेदनों की बारीकी से जांच शुरू है। जांच जैसे जैसे बढ़ रही है लाभार्थियों नाम तेजी से कट रहे हैं। अभी तक पांच लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं और करीब 10 लाख महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं। इस तरह कुल 15 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से बाहर हो सकते हैं। जिससे राज्य सरकार को करीब 2700 करोड़ रुपए सालाना की बचत होने का अनुमान है। इस योजना में 83 फीसदी महिलाएं विवाहित है जबकि सबसे ज्यादा लाभार्थी 30-39 साल की है।

चुनाव के पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना शुरू से ही चर्चा में रही। राज्य सरकार अब प्रत्येक महिला के आवेदन की जांच करके यह पता करने में लगी है कि योजना का लाभ ले रही महिलाएं योजना

की शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं। सरकार की जांच से मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। लाडकी बहिन योजना की लाभार्थियों को हर साल जून महीने में बैंक जाकर केवाईसी जमा करना होगा जिसमें जीवन प्रमाण पत्र भी देना होगा। जो महिलाएं दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं और जिनकी परिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है उन्हे अयोग्य घोषित किया जाएगा। पारिवारिक आय जानने के लिए सरकार आयकर विभाग की मदद लेगी।

महाराष्ट्र में नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं तथा 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं को राज्य सरकार 1,500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करती है । इस योजना के तहत, घर की एक अविवाहित महिला को भी यह सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक करीब 2.5 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की लाभार्थियों में से 83 प्रतिशत विवाहित महिलाएं हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि विवाहित महिलाओं की संख्या 83 प्रतिशत, जबकि अविवाहित महिलाओं की संख्या 11.8 प्रतिशत, विधवाओं की संख्या 4.7 प्रतिशत, जबकि 'तलाकशुदा, निराश्रित या परित्यक्त' महिलाओं की संख्या सामूहिक रूप से 1 प्रतिशत से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 0.3 प्रतिशत, परित्यक्त महिलाओं की संख्या 0.2 प्रतिशत और निराश्रित महिलाओं की संख्या 0.1 प्रतिशत है। सबसे अधिक 29 प्रतिशत लाभार्थी 30-39 साल के आयु वर्ग से हैं, इसके बाद 25.5 प्रतिशत 21-29 के आयु वर्ग से और 23.6 प्रतिशत 40-49 साल के आयु वर्ग से हैं। 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या केवल पांच प्रतिशत है।

यह योजना पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी। विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद कहा कि वादा निभाया जाएगा और आने वाले बजट में इस आशय की घोषणा की उम्मीद है। नई महायुति सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए समीक्षा का आदेश दिया। अब तक, पांच लाख लाभार्थियों को सूची से बाहर किया गया है, अधिकारियों का अनुमान है कि यह संख्या बढ़कर 15 लाख हो सकती है।

इस योजना में हर महिला को 1500 रुपए महीना यानी साल का 18000 रुपए मिलता है। पांच लाख महिलाओं के नाम काटने से सरकार को हर महीने 75 करोड़ यानी साल का 900 करोड़ रुपए बचेगा। और यह संख्या 15 लाख पहुंचती है तो हर महीने 225 करोड़ और प्रत्येक साल 2700 करोड़ की बचत होगी। ●

▸▸अरुण मायरा
पूर्व सदस्य योजना आयोग

एआई की बढ़ती क्षमता इंसानी अक्ल को चुनौती

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास ने तेजी पकड़ ली है। सट्टा बाजार में अरबों-खरबों का सवाल यह है कि इसे नियंत्रित कौन करेगा? अमेरिका और चीन के पास सबसे उन्नत एआई है। यही दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, हालांकि 'बढ़िया समाज' को लेकर उनके विचार भिन्न हैं। इस सिद्धांत में एक पक्ष इस सोच से संचालित है कि उदार बाजार वाला लोकतंत्र सबसे बढ़िया होता है और एक बढ़िया समाज के लिए अर्थव्यवस्था का विशाल होना आवश्यक है। वहीं दूसरा पक्ष स्थिर शासन को महत्व देता है और मानता है कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिक सद्भाव मूलभूत अवयव है।

अमेरिका को चिंता है कि एआई की दौड़ में चीन आ चुका है और शायद आगे निकल जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लोकतंत्र और मुक्त व्यापार के चैंपियन के रूप में, अमेरिका ने समाजवाद और घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने वाली व्यवस्था के खिलाफ (जिसका प्रतिनिधित्व चीन करता है) दुनिया को अपने पीछे लामबंद किया। मखमली दस्ताने में लिपटी अमेरिका की 'सॉफ्ट पॉवर' रूपी लोहे की मुट्ठी ढकी-छिपी हुई थी-महाशक्तिशाली सैन्य ताकत और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण-जिस्के बूते उसका वैश्विक आधिपत्य रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह दस्ताना उतार सच्चाई सामने ला दी। वे अमेरिका को फिर से 'महान' बनाना चाहते हैं और चीन का आगे निकलना गवारा नहीं करेंगे। सवाल यह कि बाकी दुनिया क्या बनना चाहती है : ट्रंप के अमेरिका जैसी या शी जिनपिंग के चीन की तरह? या फिर दुनिया पर एआई का नियंत्रण बनने देना?

मानवता के भविष्य के लिए दो बड़ी चिंताएं हैं : नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कौन जीतेगा -मनुष्य या रोबोट? देशों के अंदरूनी और उनके आपसी वैचारिक टकरावों में कौन जीतेगा- उदार लोकतंत्रवादी या राष्ट्रीय रूढ़िवादी? वैश्वीकरणकर्ता या राष्ट्रवादी?

इन अस्तित्वगत प्रश्नों के नीचे गहरे दार्शनिक सवाल छिपे हैं : क्या एआई मनुष्यों की जगह ले सकती है? 'तर्कसंगत' उदारवादी 'वैकल्पिक' सत्यों के समुद्र में क्यों डूबते जा रहे हैं? क्या जटिल घटनाओं को गणितीय विश्लेषण द्वारा समझा जा सकता है? एलन मस्क की संगत में ट्रंप का सत्ता में लौटना और मानव नियंत्रण से बाहर होती जा रही एआई के साथ, यह दार्शनिक प्रश्न पूछना अनिवार्य हो गया है। मैं असल में कौन हूं? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? ये ऐसे चिरस्थायी प्रश्न हैं, जो हर जगह मनुष्य सदियों से पूछते रहे हैं। इस लेखक ने ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान लिखे एक निबंध में रोबोट की मानसिकता के बारे में अनुमान लगाया था, 'रोबोट और हाथी वाले (रिपब्लिकन) किसे वोट देंगे : डोनाल्ड ट्रम्प या शी जिनपिंग?'

जब तक हम यह नहीं जान लेते कि असलियत क्या है, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि कृत्रिमता क्या है। जवाबों की तलाश में, लेखक ने कई किताबें पढ़ीं -एआई, गणित, सामाजिक विज्ञान, नैतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र की। कर्ट गोडेल और जॉर्डन एलेनबर्ग, इन दोनों प्रख्यात गणितज्ञों ने गणित की सीमाओं को साबित किया है। एलेनबर्ग 'हाउ नॉट टू बी रोंग : द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग' में कहते हैं : 'एक वास्तविक खतरा यह कि गणितीय विश्लेषण करने की अपनी क्षमताएं मजबूत करके, कुछ सवालों का हल पा जाने के बाद, हम अपनी धारणाओं पर अडिग

आत्मविश्वास बना बैठते हैं, जो कि अनुचित रूप से उन चीजों तक भी विस्तारित हो जाता है, जिनके बारे में हम अभी तक गलत हैं।' विज्ञान और प्रौद्योगिकी चीजों की प्राप्ति का साधन मुहैया करवाते हैं। क्या किया जाना चाहिए झकाम करने का सही ढंग- यह नैतिकता और दर्शन का मामला है, वे विषय जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के पाठ्यक्रम से इतर हैं।

मात्रात्मक और गणितीय क्षमता में गुणात्मक विस्तार करके प्राप्त 'वैज्ञानिक' होने की चाहत, अध्ययन के तमाम क्षेत्रों पर भी काफी हावी हो गई है। समाज को आकार देने वाली कई शक्तियां, जैसे कि सामाजिक सद्भाव और संस्थाओं में नागरिकों का भरोसा, इनको आसानी से मापा नहीं जा सकता। इसके अलावा, आधुनिक विज्ञान में आस्था के लिए कोई जगह नहीं। जोनाथन हैडट की 'द राइटियस माइंड : व्हाई गुड पीपल आर डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स एंड रिलीजन' नामक पुस्तक ज्ञान और विश्वास के दायरे के बीच विरोधाभास की गहन जांच करती है। हैडट ने भारत में शोध किया है। उन्होंने हाथी और महावत के उदाहरण का उपयोग मस्तिष्क के 'तर्कसंगत' हिस्से और आस्थाओं, विश्वासों और भावना वाले मानवीय व्यवहार को निर्देशित करने वाले 'गैर-तर्कसंगत' भाग के बीच संबंध समझाने के लिए किया है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। महावत (दिमाग का तर्कसंगत हिस्सा) चाहेगा कि गैर-तर्कसंगत हाथी उसके आदेशों का पालन करे। यह आसान नहीं। महावत को स्वीकार करना होगा कि हाथी के मिजाज का ख्याल रखकर चलना है, वरना वह उसे नीचे पटक देगा।

हमारा विश्वास उन तथ्यों को तय करता है, जिसे हम स्वीकार करना चाहते हैं। तथ्य-जांचकताओं के पास भी विश्वास होता है। यहां तक कि वैकल्पिक तथ्यों की जांच करने के लिए एआई एजेंट के पास भी कुछ मूलभूल विश्वास होता है। एआई एजेंट अरबों इंसानी फैसलों की तुलना करके खुद को प्रशिक्षित करते हैं। उन निर्णयों को लेने वाले मनुष्यों की मान्यताएं एआई एजेंटों की मान्यताओं को आकार देती हैं। चूंकि अमेरिका एक जीवंत लोकतंत्र है, जाहिर है लोग अपने हकों के लिए और नेताओं के खिलाफ बोलने का अधिकार चाहेंगे। जबकि चीनी प्रणाली में व्यवस्था का महत्व है : इसमें, लोगों की बजाय हुकूमत के अधिमान को तरजीह है। बेहतर एआई तकनीक विकसित करने को अमेरिका और चीन के बीच दौड़ जारी है। शायद चीन में सीखा एआई एजेंट शी जिनपिंग को वोट देना चाहेगा और अमेरिका में ट्रेंड रोबोट किसी और मुद्दे पर, परंतु एक चीज स्पष्ट है : एआई हमें एक-दूसरे के पास नहीं लाएगा।

सोशल मीडिया ने हमें पहले से ही वैचारिक रूप से बांटकर, अपने-अपने खोल में बंद उन समुदायों में गहराई तक विभाजित कर दिया है, जो एक-दूजे से नफरत करते हैं और एक-दूसरे की बात सुनने को राजी नहीं हैं। एआई ऐसे डिजिटल मंचों को और मजबूती दे रहा है। एआई एजेंट हमारे जीवन को पूरी तरह काबू कर लेंगे : हमारे शरीर को चलाएंगे, हमारे लिए निबंध लिखेंगे और हमारे दोस्त बन जाएंगे। तब जो लोग हमें पसंद नहीं, उनके साथ मानवीय संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एआई-संचालित ड्रोन और रोबोट हमारे दुश्मनों को खोजकर, जो कोई उन्हें ऐसा प्रतीत होगा, हमारे प्रयासों के बिना ही उसका खात्मा कर देंगे। जल्द ही, एआई को मनुष्यों की भी जरूरत नहीं होगी।

व्यस्त लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास सोचने तक का समय नहीं। एआई इसकी जरूरत ही खत्म कर देगा। इस लेखक का निबंध उन टवीट्स और लघु ब्लॉग्स से बहुत लंबा है, जिनके बारे में व्यस्त लोग कहेंगे कि उनके पास तो बस उन्हें पढ़ने जितना ही समय है। शायद एक एआई एजेंट उन किताबों को भी पढ़ और शोध कर सकता था जो इस लेखक ने पढ़ीं। अपनी अलग संवेदनशीलता और अलग 'दिमाग' के साथ, एक अलग निबंध तैयार कर सकता था, हो सकता है लेखक वाले से बेहतर या फिर दोयम, यह मूल्यांकनकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर है। सर्वाधिक संभावना इसकी है कि एआई एक सार तैयार कर सकता था, जिससे पाठक का काफी समय बचता। यह उस तरह है कि 1,000 शब्दों का यह लेख पढ़ने में आपको पांच मिनट लग सकते हैं जबकि लेखक का पूरा निबंध पढ़ने में शायद एक घंटा लगता।

यह लेख इस सवाल का जवाब नहीं देता कि एक एआई एजेंट किसे वोट देगा। हालांकि, यह यह सोचने में मदद कर सकता है कि आपके लिए मोल किसका हो, और आप अपने बच्चों को किस किस्म की दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं। ●

(लेखक योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं।)

अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें

डॉ. शशांक द्विवेदी

पिछले काफी समय से जेनेरिक या ब्रांडेड दवाओं पर बहस छिड़ी है। पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं भी लिखनी होंगी। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी के इस फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस नियम पर सवाल खड़े किए थे। कई डॉक्टर एसोसिएशन ने भी नए कानून का विरोध कर इसको वापस लेने की मांग की थी। तर्क यह दिया गया था कि ब्रांडेड दवा न लिखने से मरीजों को नुकसान हो सकता है। विरोध के बाद एनएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया था। सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होंगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के चलन से बड़ी फार्मा कंपनियों को सीधे

नुकसान होगा।

आमतौर पर सभी दवाओं में एक तरह का 'केमिकल सॉल्ट' होता हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड (जैसे क्रोसिन) के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है।

जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल, फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं। जबकि जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार-प्रसार पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता।

कई जानलेवा बीमारियां जैसे एचआईवी, लंग कैंसर, लीवर कैंसर में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हैं। वे इन्हें अलग-अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे एचआईवी की दवा टेनोफिविर या एफाविरेज की ब्रांडेड दवा का खर्च 2,500 डॉलर यानी करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च 12 डॉलर यानी महज 840 रुपये महीने तक हो सकता है। हालांकि, इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं।

देश में फार्मा इंडस्ट्री 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और इसकी सालाना ग्रोथ 11 प्रतिशत है। देश में सालाना करीब 1.27 लाख करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं, इसमें 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनियाभर की डिमांड की 20 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40 प्रतिशत और यूके में 25 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018-19 में देश से 1,920 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की गईं। दुनियाभर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50 प्रतिशत भारत से सप्लाई होता है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की गईं।

एक अनुमान के मुताबिक, किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70 प्रतिशत अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। फिलहाल सरकार की आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं का मिलना लोगों के लिए राहत की बात है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा देश की अधिसंख्य आबादी तक बढ़ाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड महंगी दवाइयों के स्थान पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करना है। सरकार के प्रयास के बावजूद अभी भी देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। समय आ गया है कि सामुदायिक स्तर पर जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयों के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसे में समय आ गया है कि सभी को जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं मुहैया कराइ जाएं। ●

(लेखक विज्ञान मामलों के जानकार हैं।)

माताओं के बढ़ते शैक्षिक स्तर में छिपा बच्चों का भविष्य

अमरपाल सिंह वर्मा

शिक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। देश में शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं बल्कि समग्र विकास की कुंजी बन गया है। एक समय में जहां शिक्षा के क्षेत्र में पिछडऩे के कारणों का विश्लेषण होता था, वहीं अब हर कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढकर अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने को आतुर है। देश में अब महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण साबित हो रही है, इनमें भी विशेषकर माताओं की शिक्षा एक सशक्त समाज की नींव रखने में मददगार साबित हो रही है। हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 के अनुसार ग्रामीण भारत में माताओं की शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की 46.6 प्रतिशत माताएं ऐसी थीं, जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 29.4 प्रतिशत रह गई है। इससे पता चलता है कि पढ़ी-लिखी माताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

यह रिपोर्ट एक गैर सरकारी संगठन ने जारी की है और यह वर्ष 2024 में 605 ग्रामीण जिलों के 17 हजार 997 गांवों में कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। यह रिपोर्ट एक नई उम्मीद जगाती है क्योंकि शिक्षा केवल व्यक्ति का विकास नहीं करती बल्कि पूरे परिवार और समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब कोई मां शिक्षित होती है तो वह अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अधिक जागरूक होती है और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। विभिन्न शोध एवं अध्ययनों के नतीजे बताते हैं कि शिक्षित माताओं के बच्चे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनकी शिक्षा जारी निरंतर रहने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार एक शिक्षित मां अपनी नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है।

हमारे देश, खासकर गांवों में शिक्षा का अभाव अनेक समस्याओं का कारण बना है। कृषि में व्यस्तता, आजीविका के लिए मजदूरी, लड़कियों की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी विचार, नजदीकी स्थलों पर स्कूलों का अभाव जैसे कई कारण महिलाओं की अशिक्षा के लिए जिम्मेदार रहे हैं। अशिक्षा के कारण महिलाओं को अनेक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षित माताएं न केवल अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं बल्कि वे स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन से संबंधित आवश्यक निर्णय भी नहीं ले पातीं। शिक्षा की कमी से वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं बन पातीं और सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनती हैं। महिलाओं के पिछडऩे का बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अशिक्षित माताएं अपने बच्चों की पढ़ाई को उतनी प्राथमिकता नहीं दे पातीं जिससे बच्चों का विद्यालय छोडऩे की संभावना अधिक होती है। कई बार वे अपने बच्चों को घरेलू कामों या मजदूरी में लगाने को मजबूर होती देखी गई हैं जिससे उनका बचपन शिक्षा के अभाव में गुजर जाता है।

सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) और समाज में बढ़ती जागरूकता के कारण ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में तेजी आई है। 2016 में जहां केवल 9.2 प्रतिशत माताएं कक्षा 10 से आगे पढ़ी थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढकर 19.5 प्रतिशत हो गई है। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का भी प्रमाण है।

केरल इस बदलाव में सबसे आगे है। 2016 में जहां 40 प्रतिशत माताएं कक्षा 10 से आगे पढ़ी थीं वहीं 2024 में यह संख्या 69.6 प्रतिशत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी यह संख्या 30.7 प्रतिशत से बढकर 52.4 प्रतिशत हो गई है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है। हालांकि, मध्यप्रदेश को अभी लंबा रास्ता तय करना है। 2016 में यहां केवल 3.6 प्रतिशत माताएं कक्षा 10 से आगे पढ़ी थीं जो 2024 में बढकर 9.7 प्रतिशत ही हुई हैं। यह वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

देश में न केवल माताओं बल्कि पिताओं की शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। 2016 में जहां केवल 17.4 प्रतिशत पिता कक्षा 10 से आगे पढ़े थे,

वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढकर 25 प्रतिशत हो गया है। हालांकि माताओं की शिक्षा में हुई प्रगति की तुलना में यह वृद्धि धीमी रही है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि माताओं और पिताओं की शिक्षा के बीच का अंतर कम हो रहा है। 2016 में यह अंतर 8 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 5 प्रतिशत रह गया है।

जब माताएं शिक्षित होती हैं तो वे केवल अपने जीवन को नहीं बदलतीं बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। शिक्षित माताएं न केवल अपने बच्चों की शिक्षा में योगदान देती हैं बल्कि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी सक्षम होती हैं। उनमें स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण के प्रति जागरूकता आती है जिससे उनके परिवार के सदस्यों का संपूर्ण विकास संभव होता है।

शिक्षा का प्रभाव केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। यदि आज की माताएं शिक्षित होंगी तो वे अपनी बेटियों को भी शिक्षित करेंगी जिससे भविष्य में महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। यदि बेटियां पढ़ेंगी तो न केवल समाज आगे बढ़ेगा बल्कि एक समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी होगा।

यह वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट एक उत्साह का संचार करती है मगर यह सिलसिला इसी प्रकार बना रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। सरकार को शिक्षा संबंधी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाकर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला साक्षरता अभियानों को बढ़ावा देना होगा। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अधिकाधिक उपयोग कर महिलाओं को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पूरे परिवार और समाज के लिए क्यों आवश्यक है, समाज में यह धारणा मजबूत की जानी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को छात्रवृत्ति योजनाओं को और सार्थक और प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए जितनी औपचारिक शिक्षा जरूरी है, उतना ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ●

सीतापुर की दरी

सिद्धार्थ कलहंस

फारस से आए कारीगरों से हुनर लेकर मुगलों के दौर से ही दरियों के लिए मशहूर सीतापुर के बुनकरों के दिन बहुरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीतापुर के दरी उद्योग को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल कर लिया है, जिसके बाद इसे पंख लग गए हैं। सीतापुर में सदियों से दरी हाथ से ही बुनी जाती रही हैं मगर तकनीक का साथ मिलने पर इन्हें मजबूत बाजार भी मिल रहा है।

यहां बनी दरियां कभी घरों में ही बिछाई जाती थीं मगर इन्हें बनाने वाले बुनकर अब तकनीक का इस्तेमाल करते हुए योगा मैट, बेडसाइड रनर और सेंटर टेबलरनर जैसे उत्पाद भी बना रहे हैं। इन उत्पादों का निर्यात भी जमकर हो रहा है।

कभी यहां सूती और ऊनी दरियां ही बुनी जाती थीं मगर सीतापुर के खैराबाद कस्बे के बुनकर अब उनसे आगे बढ़कर कालीन और गलीचे भी बनाने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने सीतापुर के खैराबाद, बिसंवा और लहरपुर कस्बों में जगह-जगह फैले दरी कारोबार को नए जमाने के मुताबिक ढालने के इरादे से कॉमन फैसिलिटी सेंटर और डाइंग सेंटर की स्थापना की है। कई कंपनियां भी आगे आई हैं, जो महिलाओं को दरी उद्योग से जोड़कर इसे बाजार तक पहुंचाने की कोशिश में हैं।

सरकार और कंपनियों की कोशिश का ही नतीजा है कि पिछले दो साल में ही सीतापुर के दरी उद्योग का सालाना कारोबार दोगुना हो गया है। 2021-22 में इस उद्योग ने 150 से 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 400 करोड़ रुपये के पार निकल गया। सीतापुर की हाथ से बनी दरियों की सबसे ज्यादा मांग महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में है। यहां की सूती दरी सबसे ज्यादा मुंबई, नाशिक, पुणे जैसे शहरों में जाती हैं और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में ऊनी दरियों की मांग ज्यादा है।

खैराबाद के दरी कारोबारी हकीम अंसारी बताते हैं कि पहले के जमाने में कारोबारी साइकलों पर माल रखकर गांव-गांव बेचने जाते थे मगर अब

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं
दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

बाहर के व्यापारी माल का सैंपल देखते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भेज देते हैं। बाहर की बात करें तो यूरोप के देशों तथा अमेरिका में भी सीतापुर की दरियां खूब जाती हैं। देश के भीतर यहां बने योगा मैट और बेड रनर की अच्छी मांग रहती है।

सीतापुर में 30,000 से ज्यादा परिवार दरी की बुनाई से जुड़े हैं। दरी कारोबारी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि 80 फीसदी लोग अब भी हथकरघे पर दरी बुनते हैं और करीब 20 फीसदी बड़े कारोबारियों नें पावरलूम लगा लिए हैं। मगर उनका कहना है कि सीतापुर की हाथ की बनी दरियों की मांग ज्यादा रहती है। बीच में चीन से आई मशीन से बनी दरियों ने बाजार में सीतापुर की दरी को झटका दिया था मगर अब तस्वीर उलटी हो गई है। आज सीतापुर की दरियों की मांग चीन ही नहीं बल्कि लुधियाना की पावरलूम पर बुनी दरियों से भी ज्यादा है। यह बात अलग है कि सीतापुर में प्रयोग भी हो रहे हैं और कहीं-कहीं सूरत से सिंथेटिक धागे मंगाकर दरियां बनाई जा रही हैं। मगर ज्यादातर काम कपास, ऊन और जूट का ही होता है।

प्रशासन भी इस उद्योग को पूरी मदद कर रहा है। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि बिसंवा में स्थापित सीएफसी में एक ही छत के नीचे दरी बुनकरों को डिजाइन, कच्चे माल के साथ बाजार से संपर्क की सुविधा मिल जाती है। ड्राइंग सेंटर में दरियों को आधुनिक तकनीक और नए तरीके से रंगने की सुविधा मिल रही है। उद्योग निदेशालय के अधिकारी बताते हैं कि बुनकरों को 25 लाख रुपये तक कर्ज पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है और 25 से 50 लाख रुपये तक कर्ज पर 20 फीसदी सब्सिडी मिलती है। ओडीओपी के तहत दो साल में सीतापुर के 352 बुनकरों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस वित्त वर्ष में 250 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

हर तबके के लिए दरियां

सीतापुर में 20 रुपए प्रति वर्ग फुट से 300 रुपए प्रति वर्ग फुट तक कीमत वाली दरियां तैयार की जाती हैं। हाथ की बारीक बुनाई वाली ऊन की दरियां व गलीचे सबसे मंहगे हैं तो सूती दरियों की कीमत कम होती है। योगा मैट 60 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक में आ जाते हैं। इसी तरह

हथकरघे पर तैयार बेड रनर मंहगा पड़ता है मगर पावरलूम वाला सस्ता मिल जाता है। ओडीओपी मार्ट पर सीतापुर की बनी दरियों से लेकर योगा मैट और अन्य उत्पाद मिल जाते हैं। साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी यहां के उत्पाद उपलब्ध हैं। बुनकरों का कहना है कि प्रदेश सरकार उन्हें बाहर लगने वाली प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने की सुविधा भी देती है, जिससे बाजार बढ़ रहा है।

दरी उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश कंपनियां भी कर रही हैं। डालमिया भारत समूह की सीएसआर शाखा डालमिया भारत फाउंडेशन ने जयपुर रग्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तर सीतापुर जिले के गोपालपुर गांव में एक रग लूम सेंटर शुरू किया है। इस केंद्र में सीतापुर के चार गांवों रामपुर, गोपालपुर, गोमिदापुर और अशरफनगर की 64 महिलाओं को हाथ से गांठ वाली कालीन बुनने के पारंपरिक शिल्प में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयपुर रग्स फाउंडेशन तैयार उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री में सहायता करेगा। गौरतलब है कि सीतापुर में दरी की बुनाई के काम में बड़ी तादाद में महिलाओं की हिस्सेदारी है। रग लूम सेंटर में महिलाओं को हाथ की बुनाई का हुनर सिखाया जा रहा है।

सीतापुर में दरी की बुनाई करने वाले कारीगरों को यह हुनर मुगलों के जमाने में फारस से आए हुनरमंदों से मिला। यहां कपास की प्रचुर उपलब्धता के कारण नवाबी दौर में बुनकरों की बस्तियां बसाई गईं और काम परवान चढ़ गया। पहले दरियां नवाबों के दरबारों से लेकर आला हुक्कामों के लिए बैठक व जानमाज के काम आती थीं। बाद में इसे आम लोगों के लिए बनाया और बेचा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17 वीं और 18 वीं सदी में खैराबाद व दरियाबाग में हथकरघा निर्यात केंद्र खोले थे। बाद के दिनों में बुनकरों की तादाद बढ़ी, काम फैला और सीतापुर की दरी आम लोगों को भी आसानी से कम दामों पर मिलने लगी। हाल के वर्षों में तराई क्षेत्र में कपास की खेती खत्म हो गई तो बुनकर सूती दरी के लिए कच्चा माल गुजरात, महाराष्ट्र से और ऊन पंजाब से मंगाने लगे हैं। ●

किसानों का काला हीरा

रामवीर सिंह गुर्जर

पांच साल पहले आई कोरोना महामारी ज्यादातर कारोबारों के लिए काल बनकर आई थी मगर मखानों के कारोबार में इसने नई जान फूंक दी। उस दौरान मखाने की मांग इतनी बढ़ी कि उत्पादन में इजाफे के बाद भी दाम दो-तीन गुना बढ़ गए हैं। मखाना किसान मालामाल तो हुए ही हैं अब उन्हें बाजार भी नहीं तलाशना पड़ रहा क्योंकि खरीदार खुद उनके दरवाजे आ रहे हैं।

मखाने के दिन बदलने का सबसे बड़ा फायदा बिहार के किसानों को हुआ है क्योंकि देश में 85 फीसदी से ज्यादा मखाना वहीं से आता है। बिहार सरकार मखाने की खेती बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है और अब केंद्र सरकार का ध्यान भी इस पर टिक गया है। इस बार के आम बजट में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके

बाद बिहार के मखाने की मांग विदेश में भी बढ़ने की उम्मीद है।

मखाने की सबसे ज्यादा खेती बिहार के मिथिलांचल में होती है, जहां पोखरों में मखाने उगाए जाते हैं। मखाने के दाम दोगुने से भी ज्यादा होने के कारण किसानों की आमदनी भी खूब बढ़ गई है। मिथिलांचल राज कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चला रहे आशुतोष ठाकुर के मुताबिक, मखाना किसान अब 1,000 रुपए से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक दाम पा रहे हैं। पिछले दो साल में ही दाम दोगुने हो गए हैं और कोरोना से पहले की तुलना में चार गुने। ठाकुर ने कहा, ह्यहमारे एफपीओ ने करीब 2 करोड़ रुपये के मखाने बेचे हैं। दो-तीन साल पहले इससे आधी बिक्री भी नहीं हो पाती थी। जब से लोगों को पता चला है कि मखाना बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और पोषण से ऊरपूर होता है तब से इसकी खपत बहुत बढ़ गई है।

दरभंगा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉ इंदु शेखर सिंह के अनुसार, मखाने में अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके सेवन से बढ़ती है। इसीलिए मखाने की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण दाम भी उछल पड़े हैं। अब खरीदार इन्हें खरीदने किसानों के खेतों तक आ रहे हैं।

मखाने की खेती अब पोखर के साथ खेतों में भी होने लगी है। इसकी खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए पोखर और झील अच्छे रहते हैं। मगर मांग बढ़ने के साथ ही मखाना खेतों में भी उगाया जाने लगा है। मिथिलांचल के ही कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में मखाना खेतों में भी हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में पूर्वी कोसी नहर के कारण पानी काफी उपलब्ध है। पोखर में मखाना उगाने वाले दरभंगा के बिकाऊ मुखिया मांग बढ़ती देखकर खेत में भी इसे उगाना चाहते थे मगर लंबे वक्त के लिए ठेके पर कोई खेत नहीं मिल रहा था। अब मुखिया को दो एकड़ खेत मिल गया है, इसलिए उस पर भी मखाना उगाया जाएगा।

मांग बढ़ने से मखाने की खेती भी बढ़ रही है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में राज्य में मखाने का रकबा 35,224 हेक्टेयर था, जिसमें 56,389 टन मखाना बीज हुआ और 23,657 टन मखाना लावा निकला। खाने में लावा ही इस्तेमाल होता है। बीते दो-तीन साल में मखाने की खेती तेजी से बढ़ी है। सहनी के मुताबिक पहले वह केवल 1 हेक्टेयर में मखाना उगाते थे मगर अब 3 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। मांग बढ़ने से किसान भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं।

बिहार सरकार भी मखाने की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार से 72,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी मिल रही है, जिससे किसानों में इसका आकर्षण बढ़ रहा है।

बजट में करीब 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रस्तावित मखाना

बोर्ड से इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। पिछले कुछ साल में कंपनियां बिहार से मखाना खरीदकर निर्यात कर भी रही हैं।

मोटा अनुमान है कि देश से 3-4 हजार टन मखाना निर्यात हो रहा है। सबसे ज्यादा मखाना अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त अरब अमीरात को जाता है। मखाना बोर्ड बनने से कोड बन जाएगा और निर्यात के सही आंकड़े मिलेंगे।

मखानों की बढ़ती मांग देखकर इसका प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन भी होने लगा है, जिससे अधिक कमाई हो जाती है। मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड में बिक्री प्रबंधक पप्पू कुमार के मुताबिक उनकी कंपनी रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए रोस्टेड मखाने जैसे उत्पाद बनाती है, जिनमें मार्जिन अच्छा मिलता है। 1,000 रुपए किलो कीमत वाले मखाने की कुल लागत मूल्यवर्द्धन के बाद 1,500 रुपए किलो होती है मगर इसे 2,000 से 2,500 रुपए किलो में बेचा जाता है। रोस्टेड उत्पादन में आधा मखाना और आधी सूजी तथा दूसरी सामग्री होती है। मगर मखाना महंगा होने का असर इन उत्पादों पर भी दिख रहा है। पप्पू ने बताया कि उनकी कंपनी पहले 40 रुपये में तीन फ्लेवर वाला 25 ग्राम का पैकेट बेच रही थी। अब इसका 16 ग्राम का पैकेट 20 रुपए में निकाला है मगर लोग 10 रुपए में मखाना खाना चाहते हैं, जो दाम कम होने पर ही संभव हो सकेगा। डॉ सिंह ने कहा कि मखाने से अब कुरकुरे, पास्ता, हॉर्लिक्स, खीर पाउडर, मखाना हलवा, कुकीज, स्नैक्स आदि भी बन रहे हैं। लुधियाना में आईसीएआर के सीफेट में वैज्ञानिक डॉ राजेश विश्वकर्मा के मुताबिक मखाने से ऐसे उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया सीखने कई उद्यमी उनके यहां आ रहे हैं।

मिथिलांचल में मखाना सामाजिक आयोजनों और रीति-रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है। शरद पूर्णिमा पर होने वाले कोजगरा त्योहार के दिन वर पक्ष के घर कन्या पक्ष की ओर से उपहारों में मखाना विशेष रूप से आता है और परिवार तथा गांव में बांटा जाता है। उस दिन हर परिवार पूजा-प्रसाद में मखाने का इस्तेमाल करता है। उसी समय मखाने की नई फसल भी आती है। ठाकुर ने बताया कि मधुबनी और दरभंगा में सबसे अच्छी किस्म का मखाना होता है, जो 4-5 फुट गहरे पानी में होने के कारण ज्यादा फूला रहता है। मगर ये दोनों जिले पिछले कुछ समय में मखाने की खेती में पिछड़ गए हैं। ठाकुर ने कहा कि मधुबनी में पोखर खूब हैं, जिस कारण मखाना भी बहुत होता है मगर पिछले कुछ समय में पूर्वी कोसी नहर का पानी मिलने के कारण दूसरे जिलों में खेतों में भी मखाना उगाया जाने लगा है। इसीलिए मधुबनी, दरभंगा से ज्यादा उपज दूसरे स्थानों पर हो रही है। लेकिन अब पश्चिम बिहार में भी कोसी का पानी आने लगा है, जिससे इन दोनों जिलों में पोखर के साथ खेतों में भी मखाना उगने लगेगा। इन दोनों जिलों का मखाना गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छा भी माना जाता है। खेतों में 25 से 30 हेक्टेयर प्रति क्विंटल उपज होती है, जबकि पोखर में इससे आधा मखाना ही हो पाता है। इसलिए खेतों में मखाने की फसल से दोनों जिले फिर अव्वल बन सकते हैं। ●

समुद्री मछली पालन का ग्लोबल हब बनेगा भारत

ऋषभ राज

सरकार ने अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन (मछली पालन) को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। मत्स्य पालन मंत्रालय ने बताया कि बजट के बाद कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आयोजित वेबिनार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन की संभावनाओं को लेकर प्रस्तावित ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। आधिकारिक बयान के अनुसार, इसमें स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। प्रस्तावित ड्राफ्ट का उद्देश्य इन द्वीपों को फिशिंग हब में बदलना है, जिससे यहां आर्थिक विकास को रफ्तार मिले, रोजगार के अवसर बढ़ें और फिशिंग सेक्टर में विकास सुनिश्चित हो।

यह वर्चुअल इवेंट 1 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2025 के बजट की घोषणाओं को लागू करने पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन मौजूद थे।

राज्य मंत्री बघेल एसपी सिंह बघेल ने इस चर्चा में भारत के 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एऐ) में मौजूद समुद्री संसाधनों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सतत विकास के लिए किए जा रहे मत्स्य अनुसंधान पर प्रकाश डाला।

वहीं, जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने और अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप में फिशिंग क्लस्टर जोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की।

मत्स्य सचिव अभिलक्ष लिखी की अध्यक्षता में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन' पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें सतत मत्स्य प्रबंधन, समुद्री खाद्य निर्यात और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की गई।

इस सत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, जहाजों की डिजाइनिंग, मत्स्य सहकारी समितियों के लिए लोन की सुविधाएं और समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल के लिए ऑफशोर तकनीकों पर चर्चा की गई।

बता दें कि सरकार ने प्रस्तावित ड्राफ्ट का लक्ष्य रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और बाजार पहुंच को बढ़ाना है। अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को सतत और जिम्मेदार मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ●

निंदा और प्रशंसा दोनों ही जीवन के अहम पहलू

सुनील कुमार महला
वरिष्ठ पत्रकार

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए निंदा/आलोचना का शिकार भी करना पड़ता है तो कभी उसको समाज से प्रशंसा भी मिलती है। जीवन एक चक्र है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक अनुभवों से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को समाज में रहते हुए यह चाहिए कि प्रशंसा और निंदा दोनों पर ही ध्यान दें। भक्तिकाल के कवि कबीर दास एक महान संत थे, उन्होंने भी निंदा के बारे में गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा था कि - 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।' इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, जो व्यक्ति हर समय हमारे भीतर कमियां तलाशता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिये। क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो बिना साबुन या बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना सकता है। मतलब यह है कि वह व्यक्ति हमारे भीतर की हर कमी को दूर कर सकता है।जब कोई व्यक्ति हमें हमारी कमियां नहीं बताएगा तो हमारे स्वभाव में सुधार कैसे संभव हो सकता है? यह मानव का स्वभाव है कि वह हमेशा उन लोगों के साहचर्य में रहना पसंद करता है, जो उसके अत्यंत प्रिय होते हैं, जो उस व्यक्ति विशेष की हमेशा तारीफ और प्रशंसा करते हैं या हमारे भीतर सिर्फ गुण ही खोजते हैं। आदमी हमेशा अपनी प्रशंसा, तारीफ, श्लाघा या बड़ाई में प्रसन्न रहता है, वह इससे परे कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन निंदा हमारे व्यवहार को परिष्कृत करने का काम करती है। वह हमारे व्यवहार को मांजती है, उसे शुद्ध करती है।आज प्रशंसा पाने के चक्कर में हमारा जीवन लगातार बोझिल बनता चला जा रहा है। हमें यह चाहिए कि हम प्रशंसा के चक्कर में अपने जीवन को बोझिल न बनने दें। आज व्यक्ति हर कार्य में दूसरों से शाबाशी पाना चाहता है। व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत होतीं हैं। अपेक्षाएं जीवन को कष्टकारी बना देतीं हैं। इसलिए किसी से भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जो ज्यादा अपेक्षाएं रखता है, वह व्यक्ति जीवन में एक प्रकार से दुःख को जन्म देता है। यह ठीक है कि प्रशंसा हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करतीं हैं लेकिन हमें यह चाहिए कि हम प्रशंसा पाने के लिए कभी भी व्याकुल न रहें। हम अपने विचारों से खुद पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं।एक कहावत है कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में विचार करता है, वैसा ही वह बन जाता है। हम जीवन में कड़वा भी सुनें, आलोचनाओं को भी सहृदयता से स्वीकार करना सीखें। याद रखिए एक डाक्टर हमें कड़वी दवा देता है ताकि हमारा मर्ज ठीक हो सके। वह हमें कड़वी दवा इसलिए नहीं देता है कि वह हमारा दुश्मन है। उसकी कड़वी दवाई में ही हमारा भला छिपा होता है, इसलिए आलोचना भी एक कड़वी दवाई की तरह ही है, जो हमारे जीवन को कहीं न कहीं संवारने का, उसे अच्छा बनाने का काम करती है। आखिर हम हर पल यह क्यों चाहते हैं कि हरदम हमारी पीठ थपथपाई जाए, हमारी प्रशंसा की जाए और दूसरे हमारी सराहना करते रहें। आज व्यक्ति का यह स्वभाव हो गया है कि वह दूसरों की शाबाशी पाने की अंधी होड़ में स्वयं की मूल भावनाओं का गला घोंटने में लगा रहता है, जबकि वह व्यक्ति यह बेहतर तरीके से जानता और समझता है कि दूसरों की शाबाशी को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना केवल स्वयं को झूठी तसल्ली देना और अपने साथ धोखा करना ही तो है। वास्तव में हमें स्वयं से हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने

इनकार को स्वीकृति में, अव्यवस्था को व्यवस्था में, भ्रम को स्पष्टता में बदल देती है... यह हमारे अतीत को समझने में मदद करती है, आज के लिए शांति लाती है और कल के लिए दृष्टि बनाती है।' कहना गलत नहीं होगा कि आभारी होने से हमारा आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान बढ़ता है, और वर्तमान क्षण का आनंद बढ़ता है। हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए आभारी हो सकते हैं, जिसमें वे हिस्से भी शामिल हैं जो अच्छे चल रहे हैं और वे जो अच्छे नहीं चल रहे हैं। वास्तव में हमें यह चाहिए कि हम अपने जीवन में नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय सकारात्मक बातों का अधिकाधिक विस्तार करें।

अंदर इस चेतना को विकसित करें कि हम इस ब्रह्मांड के सम्राट की संतान हैं और अपने परम पिता परमेश्वर के सबसे प्रिय। उस परम पिता परमेश्वर ने हमें सबकुछ दिया है और इसके लिए हमारे व्यवहार में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव झलकना चाहिए। वास्तव में,कृतज्ञता का भाव रखने का मतलब है नियमित रूप से बड़ी और छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की सचेत आदत बनाना। लुईस होवेस कहते हैं कि 'अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा।' लुईस होवेस का यह कथन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्यों कि इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा हम छोड़ते हैं, वही ऊर्जा तो रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस मिलती है। इसलिए हम कृतज्ञ बनें और इस बात को अपने हृदय में महसूस करें कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह दूसरों के पास नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगें, बल्कि यह विचार रखें कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हमें उस परम पिता परमेश्वर के समक्ष उस बच्चे की तरह रहना चाहिए, जो अपने माता-पिता के समक्ष सुरक्षित होकर सुखपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सभी भय को त्याग देता है। जीवन में हरेक मनुष्य के लिए कृतज्ञता का भाव रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों कि यह कृतज्ञता ही है जो हमारी मानसिकता को बदल देती है। वास्तव में हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि प्रशंसा हमें बेहतर नहीं बनाती, न ही निंदा हमें कभी बदतर बनाती है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तो उससे मुग्ध होने के बजाय हमें यह चाहिए कि हम खुद का, स्वयं का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। दूसरी ओर, जब लोग हमारी निंदा करें, तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी कौन-सी बात है, जिसको हम सुधार सकते हैं।मेलोडी बीट्टी ने क्या खूब कहा है कि 'कृतज्ञता हमारे पास जो कुछ भी है उसे पर्याप्त और उससे भी अधिक बना देती है। यह

प्रतिदिन आभारी महसूस करने से हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, जिसका असर हमारे सामने आने वाले अन्य लोगों पर भी पड़ता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सदैव दूसरों में दोष ढूंढते रहना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालना और खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। निंदा करने से हमारे मन में अशांति व्याप्त होती है और हम हमारा जीवन दुःखों, कष्टों , परेशानियों से भर लेते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग दृष्टिकोण एवं स्वभाव होता है। दूसरों के विषय में कोई अपनी कुछ भी धारणा बना सकता है। अतः निंदा और प्रशंसा दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण और अहम पहलू हैं। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

ताकि मुस्कुराता रहे बालपन

डॉ दर्शनी प्रिय
वरिष्ठ स्तंभकार

पिछले कुछ दिनों से हैप्पीनेस करीकूलम को लेकर चचाएं जोरो पर रही हैं। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में ।दिल्ली से शुरू होकर बिहार के स्कूलों तक पहुंचे इस पाठ्यक्रम को लोगो ने न केवल सराहा अपितु हाथों-हाथ लिया। जाहिर है अपनी प्रासंगिकता और सर्वकालिक खूबियों के चलते यह विमर्श के केंद्र में है। 'हैप्पीनेस' या खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे किसी भी कर्यक्षेत्र में बेहतर कार्य प्रदर्शन का पैमाना माना जाता है। एक प्रसन्न व्यक्ति न केवल अपने पि-रवार या समाज के लिए अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी उत्पादक माना जाता है। स्कूली शिक्षा में तो इसकी सबसे ज्यादा दरकार है। परंपरागत शिक्षा से उलट पब्लिक स्कूलों की शिक्षा अपने भारी सिलेबस और मोटे किताबों से बच्चों के नाजुक मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। भारी बस्तों के बोझ तले उनका बचपन असमय कहीं खो-सा गया है। थके और बोझिल कदमों से पीठ पर बोझ लटकाये लौटते नौनिहाल सुनहरे भविष्य की इबारत लिखते नहीं बल्कि एक नीरस और थकाऊ जिन्दगीं का ककहरा पढ़ते नजर आते है। एकरस और उबाऊ शिक्षा पद्धति के प्रभाव में उनका खिलदंड़ापन गायब हो रहा है। घुटता बचपन स्कूली परिक्षाओं , परियोजनाओं और कक्षा कार्यों की भारी-भरकम बोझ की मार झेल रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों का प्रतिस्पर्धात्मक दबाब नौनिहालों से उनका सहज बचपन छीन रहा है। खेल-कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के समय को भारी सिलेबस की खानापूर्ति के नाम पर सिमेटा जा रहा है। पाठ्यक्रमों की जटिलता और दुरूहता ने बच्चों को अक्रामक और अनुशानहीन बनाने की दिशा में प्रवृत किया है।

मानसिक अंसतोश से उपजा खिन्नता का यह भाव बच्चों को गुनाह की ओर भी धकेल रहा है। इसकी ताजा बानगी हालिया घटित उस घटना से लिया जा सकता है जहां एक छात्र ने अपने हीं प्रिसिंपल की गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर है अवसाद और खिन्नता ने उसे इस कदर उग्र बना दिया था कि वह हत्या जैसे जघन्य अपराध की ओर प्रवृत हुआ। गहरे अवसाद का शिकार हुये इस छात्र में अपराधबोध के एहसास को कोई भाव लाक्षिणक तौर पर दिखा। ऐसी ही वह स्थिति है जिसमें प्रसन्नता खुशी के एक मापांक के तौर पर सामने आता है जो बच्चों को अस्थिर मनोदशा और बोझिल पलों से बाहर निकाल सकारात्मकता की ओर अग्रेषित करता है। मौजूदा परिस्थितियों में व्यवहारिक पाठ्यक्रम के ज्ञान व शिक्षा से भी बच्चों को वंचित होना पड़ रहा है। जो व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण बच्चों को विद्यालयों में मिलना चाहिए उसका दायरा सिमटता जा रहा है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा।

एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 4.5 प्रतिशत आबादी इस समय अवसाद के उच्चतम स्तर यानी 'एक्यूट डिप्रेशन' से जूझ रहीं है। 13 से 15 साल की उम्र के हर चार किशोरों में से एक को अवसाद है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया के करीब 8.6 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में है। रिपोर्ट से एक और चौकानें वाला तथ्य सामने आया है कि 10 दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सर्वाधिक आत्महत्या दर भारत में है। इसमें 'दक्षिण पूर्व एशिया में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति' संबंधी रिपोर्ट में यह बाताय गया है कि भारत में 15-29 उम्र वर्ग के प्रति एक लाख व्यक्ति पर अवसाद संबंधी आत्महत्यों की दर 35.5 है। अवसाद संबंधी ये आंकड़ें स्थिति की गंभीरता और भयावहता की ओर इशारा करते हैं।

हाल के शोधों से पता चला है कि उबाऊ कक्षायें और स्कूल का प्रतिस्पर्धी माहौल बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 12 साल की आयु के बच्चों में भारी स्कूली पाठ्यक्रमों की वजह से अकारण अवसाद पैदा हो रहा है ।इसके अतिरिक्त किताबों के बोझ से वे पीठ, घुटने व रीढ़ की हड्डी के दर्द की दोहरी मार झेल रहें है। स्कूल के तनाव भरे परिवेश में, आठों पीरियड पढ़ने से बच्चें इस कदर थक जाते है कि वे घर

आते-आते अक्रामक औऱ उदंड रूप धारण कर लेते हैं। उपर से होमवर्क का बोझ उन्हें चिड़चिड़ेपन और उदंडता की ओर धकेल रहा है। गहरे तनाव की स्थिति में वे अनैतिकता की ओर प्रवृत हो रहे है। शिक्षाविद् सहित कई मनौवैज्ञानिक ये मानते है कि खुशी या प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे बच्चों में पनप रहें तमाम मानसिक औऱ शारिरीक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की महत्ता स्वतः बढ़ जाती है। जाहिर है इसके तहत स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ तनावरहित रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत विभिन्न रचनात्मक व बौद्धिक गतिविधियों के जरिये उनमें हैप्पीनेस स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही उनमें सकारात्मक विचार, अकेला न रहने की सलाह, नशीले पदार्थों और धूम्रपान से दूर रहने संबंधी गतिविधि आधारित तरीको के जरिये खुश रहने की आदत विकसित की जाती है। दिनचर्या, पढ़ाई का दबाब और व्यवहारकुशलता इसके अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है जिन पर भी विशेष बल दिया जाता है।

सकारात्मकता की ओर प्रवृत होने और एक खुशहाल पौध तैयार करने के लिए खुशहाली पाठ्यक्रम को यदि स्कूली स्तर पर हीं लागू कर दिया जाये तो निशिचित तौर पर आनेवाली पीढ़ी को अवसाद जैसी त्रासद स्थिति से मुक्ति दिलायी जा सकेगी औऱ उन्हें भयमुक्त वातावरण में प्रगति के पथ पर अग्रेषित किया जा सकेगा । खुश रहने के कई सामाजिक और वैयक्तिक निहितार्थ है। एक प्रसन्नचित व्यक्ति हीं अपने आस-पास खुशनुमा माहौल तैयार कर सकता है। खुशियां एकांतिक होकर कभी महसूस नहीं की जा सकती अपितु सामुदायिक साझेदारी में यह कहीं अधिक फलित होती है। शेयरिंग और केयरिंग खुशियों को बढ़ा कर रिश्तों में गर्माहट लाती है। गहरे तनाव से जूझते, प्रतिस्पार्धात्मक दौड़ से निपटते औऱ दमघोंटू स्कूली माहौल में पढ़ाई का बोझ उठाते नौनिहालों से एक मजबूत राष्ट्र के स्तम्भं बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और नहीं समाज व परिवार के हित में तरक्की की अभिलाषा। हमारी सांस्कृतिक विविधता औऱ समुत्थानशक्ति समाज में एक खुशहाल समुदाय की सकारात्मकता का पैमाना माना जाता है इसे स्कूली वातावरण में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाये तो सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। बड़ों का आदर,विपरित लिंग के प्रति सहयोगात्मक और आदरसूचक रवैया,अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान,दूसरों के मूल्यों और विचारों को आदर,छोटों के लिए प्यार, व्यवहार और शिष्टाचार में बदलाव और मूल्य आधारित हैप्पीनेस की विभिन्न प्रविधियों के जरिये किशोर-ावस्था से ही बच्चों की आदत में डाला जाना जरुरी है ताकि एक स्वस्थ्य और खुशहाल पौध तैयार की जा सकें। परंपरागत शिक्षा से इतर जब पब्लिक स्कूलों की शैक्षिक व्यवस्था पद्धति की नींव डाली गई तो उम्मीद जगी थी की बच्चें रचनात्मकता और प्रायोगिकता से लैस होकर एक उन्नत राष्ट्र की दिशा में अपना योगदान दे सकेगें। लेकिन तथाकथित आधुनिक शिक्षा के नाम पर बढ़ते होड़ ने इसे उत्पादकता की बजाय व्यावसायिक शिक्षा में तब्दील कर दिया। अव्यावहारिक सिलेबस और किताबों के बोझ ने नौनिहालों के आस-पास अवसाद, चिड़चिड़ेपन और तनाव का एक ऐसा संजाल खड़ा कर दिया है जो अभेद्य किले के रूप में तब्दील हो चुका है। तनाव के इस किले में सेंध लगाने की तत्काल अत्यावश्यकता है। जाहिर है हैप्पीनेस करीकूलम ऐसे में एक शस्त्र की तरह काम करेगा जो दुख,निराशा,अवसाद और तनाव के मजबूत किले को भेदकर एक उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करेगा।

देश के जिन राज्यों ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में तरजीह दी है वहां से सकारात्मक नतीजे सामने आ रहें हैं। अभिभावक खुलकर इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि खुशी पाठ्यक्रम के चलते उनके बच्चों में अनपेक्षित बदलाव आ रहे हैं। जहां वे पहले अपने बच्चों के अक्रामक रवैये औऱ गैर-अनुशासित व्यवहार के चलते शर्मिंदगी झेलते थे वहीं आज इस पाठ्यक्रम ने उनके नौनिहालों के व्यवहार को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। वे पहले से ज्यादा खुशमिजाज, मृदु और व्यावहारिक हो गये है। हैप्पीनेस की संस्कृति धीरे-धीरे उनके मनोविकारों को सकारात्मक चिंतन में परिवर्तित कर रही है। यहां गांधीजी की उक्ति सत्य और प्रांसगिक प्रतीत होती है जब उन्होने कहा था-' शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चें के सर्वांगिण विकास के साथ एक ऐसा प्रसन्नचित,आत्मविश्वासी और परिपूर्ण व्यक्ति तैयार करना जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके'।

छात्रों पर शिक्षकों और अभिभावको दोनो की ओर से बढ़ते अंकों के दबाब से निपटने में यह पाठ्यक्रम एक महती भूमिका अदा कर सकता है। स्पष्ट है छात्र इसके जरिये ये सीख पायेगें कि जीवन सिर्फ अंकों की दौड़ नहीं बल्कि अनुभवों से सीखने की एक निमित्त कला है। तनाव और अवसाद के दानव को हराना है तो नौनिहालों को खुश रखकर अवसाद के विरुद् लड़ाई छेड़नी होगी । एक अवसादमुक्त पीढ़ी तैयार करने कि दिशा में शिक्षा के बुनियादी स्तरों पर प्रसन्नता पाठ्यक्रम को लागू करना ही होगा जिससे बच्चों में खुश रहने की प्रवृति आसानी से जड़ जमा सकें। एक खुशहाल छात्र ही समाज और राष्ट्र के सर्वागिंण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते तनाव, हताशा, कुंठा और आक्रमकता ने स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को समवेत रूप से स्वीकारने पर बल दिया है। जीवन की आनेवाली चुनौतियों से लड़ने में सक्षम यह टूल न केवल संकटग्रस्त परिस्थितियों से उबारने में सहायक होगी अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी नौनिहालों के हक में होगी। मानसिक और शारीरिक गतिविधयों पर आधारित यह पाठ्यक्रम समग्र चिंतन परंपरा और ध्यान शैली पर केन्द्रित है जिसके नाव सवार होकर बच्चें एक सुनहरे कल और समुन्नत भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेगें। क्योंकि खुशहाली में हीं खिलखिलाता बचपन छिपा है जो एक खुशनुमा राष्ट्र की मजबूत आधारशिला बन सकता है। ●

(व्यक्त विचार लेखिका के अपने हैं)

मटर सा दिखने वाला बकला सेहत का पावरहाउस है

रोम–रोम फिट–फाट रहे, इसके लिए हर पल सकरात्मक सोच के साथ पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। शरीर को सालोंसाल तंदरुस्त रखने के लिए खाएं बकला। इसे सब्जी और दाल के रूप में खा सकते हैं। आज से ही इसे खाना शुरू कर दें, कम से कम सप्ताह में तीन बार। फिर देखिए शरीर कैसा फलौदी बनता है।

▸▸दीप्ति अंगरीश
वरिष्ठ पत्रकार, चर्चित स्तंभकार

बकला शहरों में मिल जाएगा। इसे सिर्फ सर्दी में ही ढूंढ़िएगा, बाकि मौसमों में लोग आंखें खोल–खोलकर देखेंगें। कारण एक तो ये शहरों में बहुत कम मिलता है, दूसरा ये सिर्फ सर्दियों की सौगात है। बकला खाने के शौकीन हैं, तो अभी ये सब्जी मंडियों में मिल जाएगा। असल में सालभर नहीं मिलता, सर्दियों में जनवरी से मार्च तक ही मिलता है। बता दें कि बकला बिहार में दलहन की फसल है और रबी फसल के साथ इसकी बुवाई होती है। ठंड के मौसम में बकला की दाल और सब्जी से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, इसलिए इसे उत्तर बिहार में गर्म दाल के रूप में परंपरागत रूप से खाया जाता है। गर्मी में हालांकि इसका सेवन कम किया जाता है। गौरतलब है कि सर्दियों में बकला का सेवन करने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जिससे ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम और फ्लू से बचाव होता है। इसे सब्जी या दाल के रूप में खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है झ सब्जी और दाल। सब्जी के रूप में, इसे छिलका सहित पकाया जाता है, जो स्वाद में बेहतरीन और पौष्टिक होती है। इसके दाने पकने के बाद, इसे दाल के रूप में भी खाया जाता है। आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसे इसे सलाद, सूप या चटनी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके भोजन का स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। इसे कैसे पकाना है यह आप की पसंद पर निर्भर करता है और बनाने की हर तरह की रेसिपी आपको सर्च इंजन में मिल जाएगी।

दिखने में यह मटर जैसा होता है, लेकिन मटर से दूर–दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं। यह सर्दियों में आलू के खेत के किनारे किनारे जिसे धारी बोलते हैं और ऊंचे खेतों में जहां जल जमाव नहीं होता वहां इसकी फसल लगाई जाती है। जब यह हरा होता है तो इसकी

काफी स्वादिष्ट सब्जी बनती है जो गुणकारी और पौष्टिक भी होती है जब यह पक जाता है और इसके दाने निकल जाते हैं, तो उन दोनों से दाल तैयार की जाती है। इसे फावा बीन्स और ब्रॉड बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे फैसेयोलस वल्गैरिस के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में ये बाकला नाम से काफी प्रसिद्ध है

गुणों की खान है बकला

बकला की सब्जी काफी स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। प्रोटीन फाइबर और विटामिन का स्त्रोत ढूंढ रहे हैं तो बकला है बेस्ट विकल्प है। कई बीमारियों को ठीक करने में यह असरदार है। गुणों से भरपूर होने के साथ ही यह स्वाद में भी किसी से कम नहीं है। न्यट्रीशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइटो न्यूट्रीएंट्स, कॉपर, विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम और मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहले इसे सीमित रूप से उगाया जाता था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी इसके स्वाद और पौष्टिकता को देखते हुए इसकी खेती बढ़ी है। अब यह फावा बीन्स और ब्रॉड बीन्स के नाम से भी जाना जाता है और बाजार में सीजन में उपलब्ध होता है। बकला का सेवन कई बीमारियों के इलाज में सहायक होता है और यह सशक्त इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और यह समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बकला का और जादूई असर आपको दिल पर दिखेगा। यानी बकला का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य को भी सुधारता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर और पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ●

हूक

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

(एक)

जब तक गाड़ी नहीं चली थी, बलराज जैसे नशे में था। यह शोर-गुल से भरी दुनिया उसे एक निरर्थक तमाशे के समान जान पड़ती थी। प्रकृति उस दिन उग्र रूप धारण किए हुए थी। लाहौर का स्टेशन। रात के साढ़े नौ बजे। कराची एक्सप्रेस जिस प्लेटफार्म पर खड़ी थी, वहां हजारों मनुष्य जमा थे। ये सब लोग बलराज और उसके साथियों के प्रति, जो जानबूझकर जेल जा रहे थे, अपना हार्दिक सम्मान प्रकट करने आए थे। प्लेटफार्म पर छाई हुई टीनों पर वर्षा की बौछारें पड़ रही थीं। धू-धू करके गीली और भारी हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि मालूम होता था, वह इन सब संपूर्ण मानवीय निमार्णों को उलट-पुलट कर देगी, तोड़-फोड़ डालेगी। प्रकृति के इस महान उत्पात के साथ-साथ जोश में आए हुए उन हजारों छोटे-छोटे निर्बल-से देहधारियों का जोशीला कंठस्वर, जिन्हें 'मनुष्य' कहा जाता है।

बलराज राजनीतिक पुरुष नहीं है। मुल्क की बातों से या कांग्रेस से उसे कोई सरोकार नहीं। वह एक निठल्ला कलाकार है। मां-बाप के पास काफी पैसा है। बलराज पर कोई बोझ नहीं। यूनिवर्सिटी से एम.ए. का इम्तिहान इज्जत के साथ पास कर वह लाहौर में ही रहता है। लिखता-पढ़ता है, कविता करता है, तस्वीरें बनाता है और बेफि क्री से घूम-फिर लेता है। विद्यार्थियों में वह बहुत लोकप्रिय है। मां-बाप मुफस्सिल में रहते हैं, और बलराज को उन्होंने सभी तरह की आजादी दे रखी है।

ऐसा निठल्ला बलराज कभी कांग्रेस-आंदोलन में सम्मिलित होकर जेल जाने की कोशिश करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी को मालूम नहीं कि कब और क्यों उसने यह अनहोनी बात करने का निश्चय कर लिया। लोगों को इतना ही मालूम है कि बारह बजे के करीब विदेशी कपड़े की किसी दुकान के सामने जाकर उसने दो-एक नारे लगाए, चिल्लाकर कहा कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है, और दो-एक भले मानसों से प्रार्थना की कि वे विलायती माल न खरीदें। नतीजा यह हुआ कि वह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसी वक़्त उसका मामला अदालत में पेश हुआ और उसे छह महीने की सादी सजा सुना दी गई। बलराज के मित्रों को यह समाचार तब मालूम हुआ, जब एक बंद लारी में बैठाकर उसे मिंटगुमरी जेल में भेजने के लिए स्टेशन की ओर रवाना कर दिया गया था।

लोग–विशेषकर कॉलेजों के विद्यार्थी- बलराज के जय-जयकारों से आसमान गुंजा रहे थे; परंतु वह जैसे जागते हुए भी सो रहा था। चारों ओर का विक्षुब्ध वातावरण, आसमान से गाड़ी की छत पर अनंत वर्षा की बौछार और हजारों कंठों का कोलाहल बलराज के लिए जैसे यह सब निरर्थक था। उसकी आँखों में गहरी निराशा की छाया थी, उसके मुँह पर विषादभरी गहरी गंभीरता अंकित थी और उसके होंठ जैसे किसी ने सी दिए थे। उसके दोस्त उससे पूछते थे कि आखिर क्या सोचकर वह जेल जा रहा है। परंतु वह जैसे बहरा था, गूंगा था, न कुछ सुनता था, न कुछ बोलता था।

कांग्रेस के उन पंद्रह-बीस स्वयंसेवकों में से बलराज एक को भी नहीं जानता था, और न उसके कपड़े खद्दर के थे। परंतु उन सब वालंटियरों में एक भी व्यक्ति उसके समान पढ़ा-लिखा, प्रतिभाशाली और संपन्न घराने का नहीं था। इससे वे सब लोग बलराज को इज्जत की निगाह से देख रहे थे। गाड़ी चली तो उन सबसे मिलकर कोई गीत गाना शुरू किया और बलराज अपनी जगह से उठकर दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। डिब्बे की सभी खिड़कियां बंद थीं। बलराज ने दरवाजे पर की खिड़की खोल डाली। एक ही क्षण में वर्षा के थपेड़ों से उसका संपूर्ण मुंह भीग गया, बाल बिखर गए, मगर बलराज ने इसकी परवा नहीं की। खिड़की खोले वह उसी तरह खड़े रहकर बाहर के घने अंधकार की ओर देखने लगा, जैसे इस सघन अंधकार में बलराज के लिए कोई गहरी मतलब की बात छिपी हुई हो।

एक स्वयंसेवक ने बड़ी इज्जत के साथ बलराज से कहा– 'आप बुरी तरह भीग रहे हैं। इच्छा हो तो आकर लेट जाइए।'

बलराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। परंतु जिस निगाह से उसने उस स्वयंसेवक की ओर देखा, उससे फिर किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे कोई और अनुरोध कर सके।

खिड़की में से सिर बाहर निकालकर बलराज देख रहा है। उस घने अंधकार में, न जाने किस-किस दिशा से आ-आकर वर्षा की तीखी-सी बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही हैं। न जाने किधर सनसनाती हुई हवा उसके बालों को झटके दे-देकर कभी इधर और कभी उधर हिला रही है।

इस घने अंधकार में, जैसे बिना किसी बाधा के, बलराज ने एक गहरी

सांस ली। उसकी इस बाधा-विहीन ठंडी सांस ने जैसे उसकी आंखों के द्वार भी खोल दिए। बलराज की आंखों में आंसू भर आए और प्रकृति-माता के आंचल का पानी मानो तत्परता के साथ उसके आंसुओं को धोने लगा।

इसके बाद बलराज को कुछ जान नहीं पड़ा कि किसने, कब और किस तरह धीरे से उसे एक सीट पर लिटा दिया। किसी तरह की आपत्ति किए बिना वह लेट गया, और उसी क्षण उसने आंखें मूंद ली।

(दो)

चार साल पहले की बात।

पहाड़ पर आए बलराज को अधिक दिन नहीं हुए। वह अकेला ही यहां चला आया था। अपने होटल का भोजन कर, रात की पोशाक पहन, वह अभी लेटा ही था कि उसे दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज सुनाई दी। बलराज चौंककर उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका खयाल था कि शायद होटल का मैनेजर किसी जरूरी काम से आया होगा, अथवा कोई डाक-वाक होगी। मगर नहीं, दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी–बलराज की रिश्ते की बहन। वह यहां मौजूद है, यह तो बलराज को मालूम था, परंतु उसे बलराज का पता कैसे ज्ञात हो गया, इस संबंध में वह अभी कुछ भी सोच नहीं पाया था कि उसकी निगाह एक और लड़की पर पड़ी, जो उसकी बहन के साथ थी। बलराज खुली तबीअत का युवक नहीं है, फिर भी उस लड़की के चेहरे पर उसे एक ऐसी मुस्कान-सी दिखाई दी, जो मानो पारदर्शक थी। मुस्कराहट की ओट में जो हृदय था, उसकी झलक साफ-साफ देखी जा सकती थी। बलराज ने अनुभव किया, जैसे इस लड़की को देखकर चित्त आह्लाद से भर गया है।

उसी वक़्त आग्रह के साथ वह उन दोनों को अंदर ले गया। कुशलक्षेम की प्रारंभिक बातों के बाद बलराज की बहन ने उस बालिका का परिचय दिया– 'यह कुमारी ऊषा है। अभी दसवीं क्लास में पढ़ रही है।'

बलराज की बहन करीब एक घंटे तक वहां रही। सभी तरह की बातें उसने बलराज से कीं, परंतु ऊषा ने इस संपूर्ण बातचीत में जरा भी हिस्सा नहीं लिया। अपनी आंखें नीची करके और अपने मुंह को कोहनी पर टेककर वह लगातार मुस्कराती रही, हंसती रही और मानो फूल बिखेरती रही।

तीसरे दर्जे की लकड़ी की सीट पर लेटे-लेटे बलराज अर्द्ध-चेतना में देख रहा है, चार साल पहले के एक स्वच्छ दिन की दोपहरिया। होटल में सन्नाटा है। कमरे में तीन जने हैं। बलराज है, उसकी बहन है, और दसवीं जमात में पढ़ने वाली पंद्रह बरस की ऊषा है। बलराज अपने पलंग पर एक चादर ओढ़े बैठा है, उसकी बहन बातें कर रही है, और ऊषा मुस्करा रही है, और लगातार मुस्कराए जा रही है।

(तीन)

कुछ ही दिन बाद की बात है। ऊषा की मां ने बलराज और उसकी बहन को अपने यहां चाय के लिए निमंत्रित किया। बलराज ने तब ऊषा को अधिक नजदीक से देखा। उसकी बहन उसे ऊषा के कमरे में ले गई। तीसरी मंजिल के बीचो-बीच साफ-सुथरा छोटा-सा एक कमरा था, एक तरफ सितार, वायलिन आदि कुछ वाद्य-यंत्र रखे हुए थे। दूसरी ओर एक तिपाई पर कुछ किताबें अस्त-व्यस्त दशा में पड़ी थीं। इस तिपाई के पास एक कुर्सी रखी थी। बलराज को इस कुर्सी पर बैठाकर उसकी बहन और ऊषा पलंग पर बैठ गई।

वीरेन्द्र नारायण झा की दो कविताएं

आहट फागुन की

देखो जी,
बगिया में परेशान किये रहता भंवरा
दिन भर कलियन को
भगा देते हम उसको कित्ता बार
यह कहकर कि
बनने दे फूल उसे, तब यहां फटकना...
पर बरजोरी देखो उसका जी
कि मानता नहीं मेरा कहना
और लौट आता हर बार
जब तक मैं देखूं घर-वार...
एक बात बताएं जी,
झूमने लगती हैं कलियां खुश होकर
भंवरा जब उसके समीप मंडराता
और गुंजन करता...
ई सब असर है फागुन का
या होरी का?
तुम्हीं बताना जब आना
फिर कैसे न हम झूमें
सोच तुम्हरे आने का...।

बच्चों की होली

घर से निकलो तो ही होली है
बाहर ही दोस्तों की टोली है
जोगीरा सा रा रा रा...
मोबाइल में डूबकर कौन सा रंग
पानी में घोलोगे
किसे पिचकारी मारोगे
अबीर-गुलाल लगाओगे
गाओगे-नाचोगे साथ किसके
सभी जो बैठे हैं मोबाइल धरके
बाहर ही तुम्हें कोई मिलेगा
जब मन मोबइल से निकलेगा
छोड़ो भी तुम अब इस बात को
कौन पहले निकलता है, मत सोचो
तुम निकलो घर से तो देखो
बाहर संगी-साथी तुम्हारा है
जो द्वार तुम्हारे कबसे खड़ा है
करो स्वागत रंग डालकर
अबीर और गुलाल फेंककर
करो कुछ ऐसा सब मिलकर
जिसका नाम ही मस्ती है
घर से निकलो तो ही होली है
बाहर अब दोस्तों की टोली है
जोगीरा सा रा रा रा.... ●

ग्रामः समया, पत्रालयः मेंहथ-847404

चाय में अभी देर थी और ऊषा की अम्मा रसोईघर में थी। इधर बलराज की बहन ने पढ़ाई-लिखाई के संबंध में ऊषा से अनेक तरह के सवाल करने शुरू किए, उधर बलराज की निगाह तिपाई पर पड़ी हुई एक कापी पर गई। कॉपी खुली पड़ी थी। गणित के गलत या सही सवाल इन पन्नों पर हल किए गए थे। इन सवालों के आस-पास जो खाली जगह थी, उस पर स्याही से बनाए गए अनेक चेहरे बलराज को नजर आए–कहीं सिर्फ आंख थी, कहीं नाक और कहीं मुंह। जैसे आकृति-चित्रण का अभ्यास किया जा रहा है। बलराज ने यह सब एक उड़ती नजर से देखा, और यह देखकर उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि पंद्रह बरस की ऊषा आकृति-चित्रण में इतनी कुशल कहाँ से हो गई।

हिम्मत कर बलराज ने कापी का पृष्ठ पलट दिया। दूसरे ही पृष्ठ पर एक ऐसा पोपला चेहरा अंकित था, जिसके सारे दांत गायब थे। चित्र सचमुच बहुत अच्छा बना था। उसके नीचे सुडौल अक्षरों में लिखा था–'गणित मास्टर'। बलराज के चेहरे पर सहसा मुस्कराहट घूम गई। इसी समय ऊषा की भी निगाह बलराज पर पड़ी। उसी क्षण वह सभी कुछ समझ गई। बातचीत की ओर से उसका ध्यान हट गया और लज्जा से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया।

इसी समय बलराज की बहन ने अपने भाई से कहा– 'ऊषा को लिखने का शौक भी है। तुमने भी उसकी कोई चीज पढ़ी है?'

बलराज ने उत्सुकतापूर्वक कहा– 'कहां? जरा मुझे भी तो दिखाइए।'

ऊषा अभी तक इस बात का कोई जवाब दे नहीं पाई थी कि बलराज ने किताबों के ढेर में से एक कापी और खींच निकाली। यह कापी अंग्रेजी अनुवाद की थी। इस अनुवाद में भी खाली जगह का प्रयोग हाथ, नाक, कान, मुंह आदि बनाने में किया गया था। बलराज पृष्ठ पलटता गया। एक जगह उसने देखा कि 'मेरा घर' शीर्षक एक सुंदर गद्य-कविता ऊषा ने लिखी है। बलराज ने इसे एक ही निगाह में पढ़ लिया। पढ़कर उसने संतोष की एक सांस ली। प्रशंसा के दो-एक वाक्य कहे और इस संबंध में अनेक प्रश्न ऊषा से कर डाले।

पद्रह-बीस मिनट इसी प्रकार निकल गए। उसके बाद किसी काम से ऊषा को नीचे चले जाना पड़ा। बलराज ने तब एक और छोटी-सी नोटबुक उस ढेर से खोज निकाली। इस नोटबुक के पहले पृष्ठ पर लिखा था–'निजी और व्यक्तिगत।' मगर बलराज इस कापी को देख डालने के लोभ का संवरण न कर सका। कापी के सफे उसने पलटे। देखा एक जगह बिना किसी शीर्षक के लिखा था–

'ओ! मेरे देवता!'

'तुम कौन हो, कैसे हो, कहां हो– मैं यह सब कुछ भी नहीं जानती, मगर फिर भी मेरा दिल कहता है कि सिर्फ.तुम्हीं मेरे हो, और मेरा कोई भी नहीं।'

'रात बढ़ गई है। मैंने अपनी खिड़की खोल डाली है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। सामने की ऊंची पहाड़ी की बर्फीली चोटियां चांदनी में चमक रही हैं। घर के सब लोग सो गए हैं। सारा नगर सो गया है, मगर मैं जाग रही हू। अकेली मैं। पढ़ना चाहती थी; मगर और नहीं पढ़ूंगी। पढ़ नहीं सकूंगी। सो भी नहीं सकूंगी, क्योंकि उन बर्फीली चोटियों पर से तुम मुझे पुकार रहे हो। मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है; परंतु मन-ही-मन तुम्हारी उस पुकार का मैं जो जवाब दूंगी, उसे क्या तुम सुन सकोगे, मेरे देवता?'

वह पृष्ठ समाप्त हो गया। बलराज अगला पृष्ठ पलट ही रहा था कि ऊषा कमरे में आ पहुंची। बलराज के हाथों में वह कापी देखकर वह तड़प-सी उठी, सहसा बलराज के बहुत निकट आकर और अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा– 'माफ कीजिए। यह कॉपी मैं किसी को नहीं दिखाती। यह मुझे दे दीजिए।'

बलराज पर मानो घड़ों पानी पड़ गया, और स्तब्ध-सी दशा में उसने वह कॉपी ऊषा के हाथों में पकड़ा दी।

अपनी उद्विग्नता पर मानो ऊषा अब लज्जित-सी हो उठी। उसने वह कापी बलराज की ओर बढ़ाकर जरा नरमी से कहा– 'अच्छा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगी।' और यह कहकर वह नोटबुक उसने बलराज के सामने रख दी; मगर बलराज अब उस कापी को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सका।

उसके बाद बलराज ही के अनुरोध पर ऊषा ने गाकर भी सुना दिया। अनेक चुटकुले सुनाए। वह जी खोलकर हंसती भी रही, मगर पंद्रह बरस की इस छोटी-सी बालिका के प्रति, ऊपर की घटना से, बलराज के हृदय में सम्मानपूर्ण दशहत का जो भाव पैदा हो गया था, वह हट न सका।

***

वर्षा की बौछार के कुछ छींटे सोए हुए बलराज के नंगे पैरों पर पड़े। शायद उसे कुछ सर्दी-सी प्रतीत हुई। वह देखने लगा–सबसे ऊंची मंज़िल पर ठीक बीचो-बीच एक कमरा है। कमरे के मध्य में एक खिड़की है। इस खिड़की में से बलराज सामने की ओर देख रहा है। चांदनी रात है। मकान में, सड़क पर, नगर में सभी जगह सन्नाटा है। सामने की पहाड़ी की बफीली चोटी चांदनी में चमक रही है। रह-रहकर ठंडी हवा के झोंके खिड़की की राह से कमरे से आते हैं और बलराज के शरीर भर में एक सिहरन-सी उत्पन्न कर जाते हैं। सहसा दूर पर वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। बलराज ने देखा कि चमकती हुई बफीली चोटी पर एक अस्पष्ट-सा चेहरा दिखाई देने लगा। यह चेहरा तो उसका देखा-भाला हुआ है। बलराज ने पहचाना–ओह, यह तो ऊषा है! आज की नहीं, आज से चार साल पहले की। वीणा की ध्वनि क्रमशः और भी अधिक करुण हो उठी। वह मानो पुकार-पुकारकर कहने लगी–'ओ मेरे देवता! ओ मेरे देवता!'

(चार)

दूसरे ही दिन बलराज की बहन ने उसे सिनेमा देखने के लिए निमंत्रित किया। ऊषा भी साथ ही थी। भयानक रस का चित्र था। बोरिस कारलोफ का फ्रैंकंस्टाइन। बलराज मध्य में बैठा। उसकी बहन एक ओर, और ऊषा दूसरी ओर। खेल शुरू होने में अभी कुछ देर थी। बातचीत में बलराज को ज्ञात हुआ कि ऊषा ने अभी तक अधिक फिल्में नहीं देखी हैं और न उसे सिनेमा देखने का कोई विशेष चाव ही है।

खेल शुरू हुआ। सचमुच डराने वाला। श्मशान से मुर्दा खोदकर लाया

जाना; प्रयोगशाला में सूखे शव की मौजूदगी, अकस्मात मुर्दे का जी उठना, यह सभी कुछ डराने वाला था। बालिका ऊषा का किशोर हृदय धक-धक करने लगा और क्रमशः वह अधिकाधिक बलराज के निकट होती चली गई।

आखिरकार एक जगह वह भय से सिहर-सी उठी और बहुत अधिक विचलित होकर उसने बलराज का हाथ पकड़ लिया। फ्रैंकंस्टाइन ने बड़ी निर्दयता से एक अबोध बालिका का खून कर दिया था। ऊषा के कांपते हुए हाथ के स्पर्श से बलराज को ऐसा अनुभव हुआ, जैसे उसके शरीर भर में प्राणदायिनी बिजली-सी घूम गई हो। उसने बालिका के हाथ को बड़ी नरमी के साथ थोड़ा-सा दबाया। ऊषा ने उसी क्षण अपना हाथ वापस खींच लिया।

खेल समाप्त हुआ। बलराज ने जैसे इस खेल में बहुत कुछ पा लिया हो, परंतु प्रकाश में आकर जब उसने ऊषा का मुँह देखा, तो उसे साफ दिखाई दिया कि बालिका के चेहरे पर हल्की-सी सफेदी आ जाने के अतिरिक्त और कोई भी अंतर नहीं आया। उसकी आंख उतनी ही पवित्र और अबोध थी, जितना खेल शुरू होने से पहले। उत्सुकता को छोड़कर और किसी का भाव उसके चेहरे पर लेशमात्र भी चिह्न नहीं था। बलराज ने यह देखा और देखकर जैसे वह कुछ लज्जित-सा हो गया।

* * *

गाड़ी एक स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। बलराज कुछ उनींदा-सा हो गया। उसकी आंखें जरा-जरा खुली हुई थीं। सामने की सीट पर एक दढ़ियल सिपाही अजीब ढंग से मुँह बनाकर उबासियाँ ले रहा था। बलराज को ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे फ्रैंकंस्टाइन का भूत सामने से चला आ रहा है। लैंप के निकट से एक छोटी-सी तितली उड़ी और बलराज के हाथ को छूती हुई नीचे गिर पड़ी। बलराज को अनुभव हुआ, मानो ऊषा ने उसका हाथ पकड़ा है। बहुत दूर से इंजन की सीटी सुनाई दी। बलराज को ऐसा जान पड़ा, जैसे ऊषा चीख उठी हो। उसके शरीर भर में एक कंपन-सा दौड़ गया। मुमकिन था कि बलराज की नींद उचट जाती, परंतु इसी समय गाड़ी चलने लगी और उसके हल्के-हल्के झूलों ने उसके उनींदेपन को दूर कर दिया।

(पांच)

शमीर्ली तबीअत का होते हुए भी बलराज काफी सामाजिक है। अपरिचित या अल्प-परिचित लोगों से मिलना-जुलना और उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकना उसे आता है; परंतु न जाने क्या कारण है कि ऊषा के सामने आकर वही बलराज कुछ भीगी बिल्ली-सा बन जाता है। ऊषा अब लाहौर के ही एक कॉलेज में एम.ए. में पढ़ रही है। अब वह सुसंस्कृत, सभ्य और सामाजिक नवयुवती बन गई है। बलराज अब किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता, फिर भी स्थानीय कॉलेजों के विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय है और विद्यार्थियों का नेता है। सभा-सोसाइटियों में खूब हिस्सा लेता है, बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। वह कवि है, लेखक है, चित्रकार है और ऊषा भी जानती है कि वह सभी कुछ है। इसी कारण वह बलराज को विशेष इज्जत की निगाह से देखती है। परंतु बलराज जब ऊषा के सामने पहुँचता है, तब वह बड़ी निराशा के साथ अनुभव करता है कि उसकी वह संपूर्ण प्रतिभा, ख्याति और वाक्-शक्ति न जाने कहाँ जाकर छिप गई है।

सूरज डूब चुका था और बलराज लारेंस बाग की सैर कर रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा और सड़कों की बत्तियां एक साथ जगमगा उठीं। बाग में एक कृत्रिम पहाड़ी है। इस पहाड़ी के पीछे की सड़क पर अधिक आवागमन नहीं रहता। बलराज आज कुछ उदास और दुःखी था। वह धीरे-धीरे इसी सड़क पर बढ़ा चला जा रहा था।

इसी समय उसके नजदीक से एक तांगा गुजरा। बलराज ने उड़ती निगाह से देखा, तांगे पर दो युवतियाँ सवार हैं। अगले ही क्षण एक लड़की ने प्रणाम किया। बलराज के शरीर भर में आह्लाद की लहर-सी घूम गई। ओह, यह तो ऊषा है! बलराज ने ऊषा के प्रणाम का कुछ इस तरह जवाब दिया, जिससे उसने समझ लिया कि जैसे वह उसे ठहरने का इशारा कर रहा है। तांगा कुछ दूर निकल गया था, ऊषा ने ताँगा ठहरवा लिया और स्वयं उतरकर बलराज के निकट चली आई। आते ही बड़े सहज भाव से उसने पूछा– 'कहिए, क्या बात है?'

बलराज को कुछ भी नहीं सूझा। उसने तांगा ठहरने का इशारा बिलकुल नहीं किया था, परंतु यह बात वह इस वक़्त किस तरह कह सकता था! नतीजा यह हुआ कि बलराज ऊषा के चेहरे की ओर ताकता ही रह गया।

ऊषा कुछ हतप्रभ-सी हो गई। फिर भी, बात चलाने की गरज से उसने कहा– 'आपकी 'सराय पर' शीर्षक कविता मैंने कल ही पढ़ी थी। आपने कमाल कर दिया है।'

बलराज ने यों ही पूछ लिया– 'आपको वह पसंद आई?'
'खूब।'

इसके बाद बलराज फिर चुप हो गया। शायद उसके हृदय में अनेक भावों की आंधी-सी उठ खड़ी हुई कि कुछ भी व्यक्त कर सकना उसके लिए आसान नहीं था। जिस तरह तंग गले की बोतल ऊपर तक भर दी जाने के बाद, अपनी आंतरिक प्रचुरता के कारण ही, उलटा देने पर भी खाली नहीं हो पाती, उसी तरह बलराज के हार्दिक भावों की घनता ही उसे मूक बनाए हुए थी। ऊषा प्रणाम करके लौटने ही लगी कि बहुत धीरे से बलराज ने पुकारा– 'ऊषा!'

ऊषा घूमकर खड़ी हो गई। मुंह से उसने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में एक बड़ा-सा प्रश्नवाचक चिह्न साफ तौर से पढ़ा जा सकता था।

बलराज ने बड़ी शिथिल आवाज में कहा– 'आपको देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है!'

ऊषा यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही।

क्षण-भर रुककर बलराज ने कहा– 'आप सोचती होंगी, यह अजब बेहूदा आदमी है। न हंसना जानता है, न बोलना जानता है, मगर सच मानिए...'

बीच ही में बाधा देकर ऊषा ने कहा– 'मैं आपके बारे में कभी कुछ नहीं सोचती; मगर आपको यह होता क्या जा रहा है?'

बलराज के चेहरे पर हवाइयां-सी उड़ने लगीं। उसे ऊषा के स्वर में कुछ कठोरता-सी प्रतीत हुई। तो भी बड़े साहस के साथ उसने कहा– 'मैं अपने आंतरिक भाव व्यक्त नहीं कर सकता।'

ऊषा ने चाहा कि वह इस गंभीरतम बात को हंसकर उड़ा दे; मगर कोशिश करने पर भी वह हंस नहीं सकी। वह कुछ भयभीत-सी हो गई। उसने कहा– 'मैं जाती हूं।' और वह घूमकर चल दी।

बलराज एक कदम आगे बढ़ा। उसके जी में आया कि वह लपककर ऊषा का हाथ पकड़ ले, परंतु वह ऐसा न कर सका।

एक कदम आगे बढ़कर वह पीछे की ओर घूम गया। उसी वक्त तांगे पर से एक नारी-कंठ सुनाई दिया– 'ऊषा! ऊषा!'
(छः)

अभी परसों की ही बात है।

गर्मियों की इन छुट्टियों में लाहौर से विद्यार्थियों की दो टोलियां सैर के लिए चलने वाली थीं–एक सीमाप्रांत की ओर और दूसरी कुल्लू से शिमला के लिए। इस दूसरी टोली का संगठन बलराज ने किया था, और वही इस टोली का मुखिया भी था।

ऊषा के दिल में अभी तक बलराज के लिए आदर और सहानुभूति के भाव थे। बलराज के मानसिक अस्वास्थ्य को देखकर उसे सचमुच दुःख होता था। वह अपने स्वाभाविक सहज व्यवहार द्वारा बलराज के इस मानसिक अस्वास्थ्य की चिकित्सा कर डालना चाहती थी। और संभवतः यही कारण था कि वह उसके साथ, अन्य दो-तीन लड़कियों समेत, कुल्लू यात्रा पर जाने को भी तैयार हो गई थी।

परंतु अभी परसों की ही बात है। शाम के समय बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को चाय पर निमंत्रित किया। घंटे-दो-घंटे के लिए बलराज के यहां अच्छी चहल-पहल रही। हंसी-मजाक हुआ, गाना-बजाना हुआ और पर्वत-यात्रा के विस्तृत प्रोग्राम पर भी विचार होता रहा।

चाय के बाद, जब सभी लोग चले गए, बलराज ऊषा को उसके निवास-स्थान तक पहुंचाने के लिए साथ चल दिया। ऊषा ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की।

माल रोड पर पहुंचकर बलराज ने प्रस्ताव किया कि तांगा छोड़ दिया जाए और पैदल ही लारेंस बाग का चक्कर लगाकर घर जाया जाए। ऊषा ने यह प्रस्ताव भी बिना किसी बाधा के स्वीकार कर लिया।

दोनों जने ताँगे से उतरकर पैदल चलने लगे। ऊषा ने अनेक बार यह प्रयत्न किया कि कोई बात शुरू की जाए। बलराज भी आज अपेक्षाकृत कम उद्विग्न प्रतीत हो रहा था। फिर भी कोई भी बात मानो चली नहीं, पनप ही नहीं पाई।

क्रमशः वे दोनों नकली पहाड़ी के पीछे की सड़क पर जा पहुंचे। इस समय तक सांझ डूब चुकी थी, और सड़कों पर की बत्तियां जगमगाने लगी थीं।

इस निस्तब्धता में दोनों जने चुपचाप चले जा रहे थे कि मौलश्री के एक घने पेड़ के नीचे पहुंचकर बलराज सहसा रुक गया।

ऊषा ने भी खड़े होकर पूछा– 'आप रुक क्यों गए?'

बलराज ने कहा– 'उस दिन की बात याद है?'

उसका स्वर भारी होकर लड़खड़ाने लगा था। ऊषा कुछ घबरा-सी गई। बात टाल देने की गरज से उसने कहा, 'चलिए वापस लौट चला जाए। देर हो गई है।'

मगर बलराज अपनी जगह से नहीं हिला। मालूम होता था कि उसके दिल में कोई चीज इतनी जोर से समा गई कि वह उसका दम घोंटने लगी है।

बलराज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कांपते हुए स्वर में उसने कहा– 'ऊषा! अगर तुम जानतीं कि मैं दिन-रात क्या सोचता रहता हूं!'

ऊषा अब भी चुप थी। उसके हृदय में विद्रोह की आग भभक पड़ी, मगर फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही। सहन करती रही।

बलराज ने फिर से कहा– 'ऊषा! तुम मुझ पर तरस खाओ। मुझ पर नाराज मत होओ।'

ऊषा ने कठोर और दृढ़ स्वर में कहा– 'आपको नहीं मालूम क्या हो गया है। अगर आपने अब एक भी बात इस तरह की और कही, तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी।'

बलराज यह सुनकर भी संभल नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए और बड़े अनुनय के साथ उसने ऊषा का हाथ पकड़ लिया।

ऊषा ने तड़पकर अपना हाथ छुड़ा लिया और शीघ्रता से एक तरफ को बढ़ चली। चलते हुए, बहुत ही निश्चयपूर्ण स्वर में वह कहती गई– 'मैं आपके साथ कुल्लू नहीं जाऊंगी।'

कुछ ही दूरी पर ऊषा को एक खाली तांगा मिला। उस पर सवार होकर वह अपने घर की ओर चली गई।

अगले दिन सुबह बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के नाम इस बात की सूचना भेज दी कि वह कुल्लू नहीं जा सकेगा। किसी को मालूम भी नहीं हो पाया कि माजरा क्या है और संपूर्ण पार्टी बर्खास्त हो गई।

सीमा-प्रांत की ओर जाने वाली पार्टी सुबह की गाड़ी से ही पेशावर के लिए रवाना हुई है। अब से सिर्फ चौदह घंटे पहले। इस पार्टी को विदा देने के लिए बलराज भी स्टेशन पर पहुंचा था। ऊषा भी इसी पार्टी के साथ गई थी। अपने मां-बाप से यात्रा पर जाने की अनुमति प्राप्त कर कहीं भी न जाना उसे उचित प्रतीत नहीं हुआ। आज सुबह लाहौर स्टेशन पर ही बलराज ने इस पार्टी को कई तरह की नसीहतें दी थीं। किसी को उसके आचरण में असाधारणता जरा भी प्रतीत नहीं हुई थी। परंतु गाड़ी चलने से पहले ही, चुपचाप सबसे पृथक होकर वह तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की भीड़ में जा मिला।

बलराज स्टेशन से बाहर आया, तो दुनिया जैसे उसके लिए अंधकारपूर्ण हो गई थी। आसमान में सूरज बिना किसी बाधा के चमक रहा था। सड़कों पर लोग सदा की तरह आ-जा रहे थे। दुनिया के सभी कारोबार उसी तरह जारी थे, परंतु बलराज के लिए जैसे सभी ओर सूनापन व्याप्त हो गया था। कहीं कुछ भी आकर्षण बाकी न रहा था। सभी कुछ नीरस, फीका- बिल्कुल फीका हो गया था।

सड़क के किनारे फुटपाथ पर बलराज धीरे-धीरे बिलकुल निरुद्देश्य भाव से चला जा रहा था। हजारों, लाखों मनुष्यों से भरी यह नगरी बलराज के लिए जैसे बिलकुल निर्जन और सुनसान बन गई है। रह-रहकर जो इतने लोग उसके निकट से निकल जाते हैं, उसकी निगाह में जैसे बिलकुल व्यर्थ और निर्जीव हैं, चलती-फिरती पुतलियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं।

एक खाली तांगा बड़ी धीमी रफ़्तार से चला आ रहा था। उसका कोचवान बड़ी मस्त और करुण-सी आवाज में गाता चला आता था–

'दो पहर अनारां दे!
फट मिल जांदे, बोल न जांदे यारां दे!

दो पहर अनारां दे,
सड़ गई जिंदड़ी, लग गए ढेर अंगारां दे!'

बलराज ने यह सुना और उसके दिल में एक गहरी हूक-सी उठ खड़ी हुई। निष्प्रयोजन वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता चला गया, अंत में अनायास ही उसने अपने को विदेशी कपड़ों की एक दुकान के सामने पाया, जहां कांग्रेस के कुछ स्वयंसेवक पिकेटिंग कर रहे थे।

गाड़ी उड़ी चली जा रही है, और बलराज सपना देख रहा है। दुनिया के किसी एक कोने में मौलश्री का एक बहुत बड़ा पेड़ है। अकेला–बिलकुल अकेला। चारों ओर सघन अंधकार है। सिर्फ इसी वृक्ष के ऊपर नीचे, आसपास उजाला है। चारों तरफ क्या है, कुछ है भी या नहीं–कुछ नहीं मालूम। ठंडी, सनसनाती हुई हवा चल रही है। पेड़ के पत्ते ऊंची आवाज में इस तरह सांय-सांय कर रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी भागी जा रही हो। इस पेड़ के नीचे सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं–ऊषा और बलराज। ऊषा बलराज से बहुत दूर हटकर बैठना चाहती है, परंतु बलराज उसका पीछा करता है। वह जिधर जाती है, धीरे-धीरे उसी की ओर बढ़ने लगता है। ऊषा कहती है– 'मेरे निकट मत आओ!' परंतु बलराज नहीं सुनता। वह बढ़ता चला जाता है, और अंत में लपककर ऊषा को पकड़ लेता है। ऊषा उससे बहुत नाराज हो गई। वह कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगी। सदा के लिए, अनंत काल के लिए। फिर कभी तुम्हारे पास न आऊंगी। बलराज उससे माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, परंतु वह नहीं सुनती। चल देती है एक तरफ को। गहरे अंधकार में। बलराज चिल्ला रहा है और ऊषा उसकी पुकार सुने बिना अंधकार में विलीन होती जा रही है।

गाड़ी की रफ़्तार बहुत धीमी हो गई है। उनींदी-सी दशा में बलराज बड़े ही कातर स्वर से धीरे से पुकार उठा– 'ऊषा! ऊषा! तुम लौट आओ, ऊषा!'

इसी वक़्त एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, 'उठो। मिन्टगुमरी का स्टेशन आ गया!'

बलराज चौंककर उठ बैठा। उसने देखा, रात के दो बजे हैं, और उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं।

'इंकलाब जिंदाबाद!' और 'महात्मा गांधी की जय!' के नारों से मिन्टगुमरी के रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म रात के गहरे सन्नाटे में भी सहसा गूंज उठा। ●

विगत 23 वर्षों से देशहित में समाज-निर्माण के संकल्प के साथ

न हम डरते है न डराते हैं
हम देशप्रेम की भावना जगाते हैं

अगर आप में है जोश और
देश से प्यार

तो आइए दिल्ली से प्रकाशित
राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका
दूसरा मत
के साथ

अगर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो तो हमेशा एक ही काम करोगे लेकिन पत्रकार बनते हो तो दुनिया समझने को मिलेगी, दुनिया समझाने को मिलेगी। दुनिया को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा, दुनिया को पढ़ाने का मौक़ा मिलेगा

हम आपके हाथ में देते हैं क़लम
समाज-निर्माण की ताक़त के साथ।

योग्यता
खबरों की समझ
और देश के साथ
सच्ची प्रेम-भावना

सोचो, समझो और दूसरा मत से जुड़ो

संपर्क : +91-9643709089

45 YEARS OF EXCELLENCE
होली एवं रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं
!! RADHA SOAMI JI !!
Kasturi Jewellers®
KJ
SINCE 1976
100% HALLMARK JEWELLERY SHOWROOM
#GOLD #DIAMOND JEWELLERY #SOLITAIRES
100% Lifetime Maintenance Free
100% Buy Back Diamond Jewellery
100% Certified Diamond Jewellery
Shop No. 15, 16, 17, 18, SDM Market, Mangal Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110 059
Shop No. 54-55, Main Pankha Road, Opp. Sagar Pur Police Station, New Delhi-110 046
Kasturi Lal Ph. 98186 09444 | Manish (Monu) Ph. 98186 11313

‘दूसरा मत’ प्रकाशन

‘आमने-सामने’ अपने-आप में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू-संग्रह है। इस संग्रह में देश की 62 अहम शख़्सियतों एवं हस्तियों के साक्षात्कार शामिल हैं। यह संग्रह देश ही नहीं विदेशों में भी ख़ासा चर्चित रहा है।

देश के जाने-माने प्रकाशन ‘राजपाल’ के प्रकाशक एवं डीएवी मैनेजमेंट कमिटी के वायस प्रेसिडेंट विश्वनाथ जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है,- “इस तरह के विशाल इंटरयू-संग्रह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभी तक नहीं आए हैं।

आमने-सामने (मूल्य 750/)

सामना (मूल्य 1100/)

‘सामना’ भी एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू-संग्रह के तौर पर ‘आमने-सामने’ की तरह सामने आया है। इसे भी शख़्सियतों एवं साक्षात्कार की कला को क़ुबुल करने वाले लोगों ने हाथों-हाथ लिया है। इस संग्रह में देश की विभिन्न क्षेत्रों की 82 हस्तियों की इंटरव्यू की शक्ल में लेखा-जोखा एवं उनकी हस्ती की पड़ताल है।

अपने-अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले और देश व दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने वाले लोगों के एक समूह विशेष इस अंक में शामिल हैं।